राजस्थान विधान सभा

१४ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक-१३ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में प्रातः ८-४५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १४५

दिसम्बर १९५४ के पश्चात् राजधानी से बाहर भेजे गये राजकीय विभागों के प्रमुख कार्यालय

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ दिसम्बर, १९५४ के बाद किन किन राजकीय विभागों के प्रमुख कार्यालय राजधानी से कहां कहां भेजने के आदेश जारी किये गये ?

(ख) उक्त विभागों में से कौन कौन अन्यत्र भेजे जा चुके हैं ?

(ग) उक्त विभागों के बाहिर भेजने में किस किस विभाग के लिए कितना कितना रुपया सरकार द्वारा खर्च किया गया ?

(घ) ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनका स्थानान्तर खर्च की स्वीकृति की इन्तजारी में रुका हुआ है ?

(ङ) ऐसे कौन कौन विभाग हैं जहां के कर्मचारियों ने राजधानी से बाहिर जाने में असमर्थता जाहिर करते हुए ट्रान्सफर के लिये आवेदन-पत्र दाखिल किये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—(क) निम्नलिखित कार्यालयों को फरवरी, सन् १९५५ में स्थानान्तरित करने की आज्ञा की गई थी :

१.	इन्स्पेक्टर जनरल प्रिज़न्स	अलवर
२.	डाईरेक्टर, ट्रान्सपोर्ट	अलवर

Page No.2

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

३.	डाईरेक्टर, बेकवर्ड क्लॉसेज़ वेलफेयर डि०	उदयपुर
४.	कमिश्नर, देवस्थान विभाग	उदयपुर
५.	सेटलमेन्ट कमीश्नर	जोधपुर
६.	डाईरेक्टर, मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज़	जोधपुर
७.	डाईरेक्टर, लोकल बोडीज़	बीकानेर
८.	डाईरेक्टर, एग्रीकल्चर	भरतपुर
९.	रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़	कोटा

(ख) इनमें से कमिश्नर, देवस्थान का कार्यालय उदयपुर जा चुका है । शेष के लिये आज्ञा हो चुकी है कि इनके स्थानान्तर करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) देवस्थान डिपार्टमेन्ट के स्थानान्तर होने में २६२५ रु० ५ आने खर्च हुए ।

(घ) ऐसा कोई भी विभाग नहीं है ।

(ङ) 'ख' के कारण इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या कमिश्नर, देवस्थान को वापिस बुलाने का निर्णय गवर्नमेंट का है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया ।

श्री चांदमल मेहता—राजधानी से इन कार्यालयों को अन्यत्र भेजने के आदेश किन कारणों से दिये गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस वजह से कि अलग अलग राजधानियां थीं, वहां कुछ कार्यालय यहां से भेजे जावें तो उन स्थानों में ठीक रहेगा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार अब उन कारणों से पुरानी राजधानियों को महत्व देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मानती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी बात नहीं है । वहां विस्तार से एकोमोडेशन के लिए जानकारी की गई तो ज्यादातर यही सवाल सामने आया कि काफी खर्चा करने के बाद ही उन कार्यालयों को वहां स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

Page No.3

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो पहले यह जानकारी नहीं की गई थी, इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले कि वहां स्थान नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यही कहा जा सकता है कि जानकारी की कमी थी।

श्री चांदमल मेहता—पुरानी राजधानियों को महत्व देने की दृष्टि से क्या कोई दूसरे कारण भी सोचे गये थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देखेंगे कि हर एक के डेवलप्मेन्ट के लिये कोशिश की गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह जानकारी हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट से ही या कलेक्टर-कमिश्नर से की गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ज्यादातर कलेक्टर या कमिश्नर शामिल थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपर्युक्त जानकारी कमिश्नर से करने के बजाय डिपार्टमेंटल हैड ने जो खर्च के आंकड़े बना कर दे दिये क्या उस पर निर्णय लिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सम्बन्ध में उस क्षेत्र के सदस्य महोदयों से जानकारी करने की कोशिश की गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने आदेश दिये थे कि उनसे जानकारी करने का प्रयत्न किया जाय और इसके अलावा मुख्य मंत्रीजी ने पत्रकार सम्मेलन में भी इस प्रकार का एलान किया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पत्रकार सम्मेलन में ऐसा एलान किया हो, ऐसी बात नहीं है। जहां जहां स्थानीय एम. एल. एज़. थे जानकारी की गई थी लेकिन उस जानकारी को रेकर्ड के रूप में रख कर उस पर निर्णय लिया गया हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या उदयपुर ही में भेजने की आवश्यकता महसूस हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं।

श्री दिलीपसिंह—क्या ग्रेटर राजस्थान बनते वक्त इस बात का निर्णय नहीं किया गया था कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कार्यालय कोटा में भेजा जाय, लेकिन ६ वर्ष के पश्चात् भी नहीं भेजा गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं आपको निवेदन करूं कि हमने आदेश दिये थे उसके बाद निर्णय किया गया था। कोऑपरेटिव के लिए कालेज खोला गया है और कोटा में वर्तमान ऑफिसेज़ के लिए भी पूरे स्थान नहीं।

श्री अध्यक्ष—श्री जगतसिंह झाला।

प्रश्न संख्या १४६

उदयपुर डिवीजन के विभिन्न जिलों के जागीरदारों से खुदकाश्त हेतु जमीन प्राप्त करने के आवेदन-पत्र

श्री जगतसिंह झाला—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर डिवीजन के हर एक जिले से कितने कितने जागीरदारों की ओरसे खुदकाश्त के लिए जमीन के आवेदन-पत्र सरकार के पास आये हुए हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि एक साल का समय होने पर भी उनमें से अभी तक किसीको भी जमीन नहीं दी गई है ?

(ग) क्या सरकार भविष्य में कोई निश्चित समय तक इन्हें जमीन मिल सके, इसके लिये प्रबन्ध करेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) उदयपुर डिवीजन से खुदकाश्त भूमि प्राप्ति हेतु १६८ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जो निम्न प्रकार हैं :

जिला उदयपुर	७६
चित्तौड़गढ़	४५
डूंगरपुर	१
भीलवाड़ा	२५
बांसवाड़ा	४८

(ख) यह सही नहीं है। उदयपुर डिवीजन में कई जागीरदारों को खुदकाश्त हेतु भूमि प्रदान की जा चुकी है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ग) हर एक जागीरदार को जिसने आवेदन-पत्र खुदकाश्त भूमि हेतु पेश किया है उसे शीघ्र ही भूमि दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है और जिलों में ताकीद की जा रही है।

श्री जगतसिंह झाला—कुल कितने लोगों को भूमि दी जा चुकी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नाम तो मैं बता नहीं सकता किन्तु १४ दरख्वास्तों पर भूमि दी जा चुकी है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या एक साल में १४ दरख्वास्तों पर भूमि देना काफी है ?

श्री अध्यक्ष—काफी और नाकाफी का सवाल नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—बाकी लोगों को अब तक जमीन क्यों नहीं मिली ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जमीन की कमी है उसके बारे में प्रयत्न किया जा रहा है, जमीन उपलब्ध होते ही दे दी जायगी।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि जितने आवेदन पत्र आये हैं उनकी जांच भी नहीं की गई। जमीन की कमी है या नहीं, यह सवाल ही पैदा नहीं होता ?

श्री भूलजी भाई—क्या यह सही है कि खुदकाश्त के नाम पर जमीन लेकर अन्य लोगों को बेच दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से तो सम्बन्धित नहीं है। यह प्रश्न तो खुदकाश्त की भूमि मिलने का था। आपने जो कहा वैसी जानकारी सरकार के पास नहीं है।

श्री भूलजी भाई—क्या सरकार इस बात की जांच कराने के लिये तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर शिकायत वाजिब होगी तो जांच कराई जा सकती है।

श्री भैंरूसिंह—जिन लोगों को खुदकाश्त भूमि नहीं मिली क्या उनके आवेदन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जांच की जा रही है और जिनकी जांच पूरी हो चुकी उनको जमीन अलोट कर दी गई।

कुं० **श्री जसवन्तसिंह**—यह जो जमीन अलोट हुई है उदयपुर डिवीजन में हुई है या भाखरा या चम्बल के इलाके में ?

Page No.6

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—१४ को खुदकाश्त की जमीन अलोट हुई जिसमें ८ को उदयपुर जिले में, १ को भीलवाड़ा और ५ को बांसवाड़ा में।

प्रश्न संख्या १४७

विभिन्न मुद्रणालयों से मुद्रित राष्ट्रीयकरण की पुस्तकों की मुद्रण दरें

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे

(क) चालू वर्ष में राष्ट्रीयकरण की गई कौन कौन सी पुस्तकें किस किस प्रेस से किस रेट पर छापी गईं ?

(ख) उक्त पुस्तकों के छपाने के पूर्व क्या टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे ?

(ग) यदि हां तो कब व किस प्रेस के टेन्डर लोएस्ट होते हुए भी उसे पुस्तकें छापने का काम नहीं दिया गया ?

(घ) गवर्नमेन्ट प्रेस की रेट के मुकाबले में किन किन की रेट अधिक हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकों की प्रतियां समाप्त हो गईं निम्नलिखित गवर्नमेन्ट प्रेसों में छपाई गईं :—

बीकानेर, जयपुर, जोधपुर।

सरल विज्ञान कक्षा ६। सरल विज्ञान कक्षा ७। सरल विज्ञान कक्षा ८। आधुनिक सामाजिक विज्ञान–६। आधुनिक सामाजिक विज्ञान—७। आधुनिक सामान्य विज्ञान-८। आधुनिक चित्रकारी व चित्रकला-८।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्न संख्या १४८

धौलपुर से सेपऊ सडक एवं उस पर पार्वती नदी के पुल का निर्माण

श्री हंसराज जटिया—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री हंसराज जटिया]

(क) क्या धौलपुर से सेपऊ सड़क का निर्माण हो चुका है ?

(ख) अगर हां, तो क्या उस पर पार्वती नदी का पुल भी बन चुका है ?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों और अब सरकार उसे कब तक बनवाने का विचार रखती है ।

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(क) कार्य चालू है ।

(ख) पार्वती नदी पर पुल नहीं बना है ।

(ग) इस समय रुपये की कमी की वजह से कोई योजना नहीं है ।

श्री हंसराज जटिया—यह रुपये की कमी कब पूरी हो जायगी ?

श्री शाहअलीमुद्दीन—कोशिश की जा रही है, जल्दी पूरी हो जाय ।

प्रश्न संख्या १४६.

वर्तमान संचालक, मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग, राजस्थान की नियुक्ति एवं उनकी योग्यता

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री मुद्रणालय तथा स्टेशनरी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डाइरेक्टर ऑफ प्रिंटिंग व स्टेशनरी के स्थान पर किस व्यक्ति को कब से नियुक्त किया गया है ?

(ख) उक्त व्यक्ति की योग्यता क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) दिनांक ७–५–१९५५ से श्री बृजमोहननाथ तनखा को नियुक्त किया गया है ।

(ख) वह आई० ए० एस० है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह पोस्ट नई क्रिएट की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बिल्कुल सही है !

श्री चांदमल मेहता—यह जो नई पोस्ट क्रिएट की गई इनके जिम्मे काम क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता - वे डाईरेक्टर हैं।

श्री चांदमल मेहता—यह पोस्ट क्रिएट करने से पहले काम किस तरह चलाया जाता था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके पहले दूसरे ओफिसर मौजूद थे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वह टेकिनक्ल क्वालिफिकेशन नहीं रखता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—टेक्निकल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं रहती। सारे प्रेसेज़ के मेनेजमेन्ट को डाइरेक्ट कर सके इसलिये नियुक्त किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—इनके पहले जो अधिकारी काम करते थे वे टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखते थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे अब भी काम कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता— जब वे काम कर रहे थे तो यह विशेष पोस्ट क्यों कायम की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेनेजमेन्ट के लिये कायम की गई।

श्री सन्तोषसिंह—मौजूदा जो डाइरेक्टर हैं क्या उनसे स्टाफ नाराज़ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात नहीं।

प्रश्न संख्या १५०

गंगापुर लालसोट सड़क का जीर्णोद्धार

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को विदित है कि गंगापुर-लालसोट सड़क की हालत इतनी खराब है कि मोटर गाडियां ठीक तरह से नहीं चल सकतीं ?

(ख) क्या सरकार इस सडक को शीघ्र ही ठीक करायेगी ? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—सड़क की हालत कहीं कहीं खराब है जो ठीक कराई जा रही है। अगामी वर्ष तक हालत सन्तोषजनक हो जाने की संभावना है।

श्री श्री दास गोयल—क्या इसके टेन्डर्स लिये जा चुके हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जी नहीं।

श्री श्री दास गोयल—तो फिर इस चालू वर्ष में ठीक कराने का कोई इरादा नहीं है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जरूर इरादा है।

श्री श्री दास गोयल—तो टेन्डर्स कब लिए जायेंगे ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जिस वक्त ठीक कराना होगा उस वक्त।

श्री श्री दास गोयल—This is no reply.

श्री अध्यक्ष—This is a circle out of which it is very difficult to get.

श्री श्रीदास गोयल—मेरा निवेदन यह है कि जब कि गवर्नमेन्ट यह कह रही है कि इसको ठीक कराने का जल्दी इरादा है तो कबतक इसके टेन्डर्स लिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इन्होंने जवाब दिया कि जब ठीक कराना होगा तब टेन्डर्स लिये जायेंगे।

श्री दास गोयल—क्या माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार के जवाब देना उचित है। मेरा माननीय उपमंत्री जी से निवेदन है कि जब इस सड़क को ठीक कराने का इरादा है तो इसके लिये क्या कोई स्कीम है टेन्डर्स वगैरह कॉल करने की ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसके लिये चालीस हजार रुपये सेंक्शन भी कर दिये गये हैं और डिपार्टमेंट द्वारा काम चालू कर दिया गया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि इस सड़क पर मोटर गाड़ियां ठीक तरह से नहीं चल सकतीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस सड़क के अन्दर १६ व २२ वां माइल सब से ज्यादा खराब है, उसको रिपेयर किया जा रहा है। मोटरें चलती हैं। अच्छी तरह चलने और न चलने की बात दूसरी है।

श्री शाह अलिमुद्दीन—मैं अभी एक सप्ताह पहले चलकर आया हूं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आप सरकारी मोटर में गये होंगे ?

श्री शाह अलिमुद्दीन—मेरे पास जीप गाड़ी थी ।

श्री कुं० जसवन्तसिंह—वह भी सरकार की थी, अगर आपके घर की गाडी होती तो आपको मालूम होता ।

श्री शाह अलीमुद्दीन—सरकारी काम से गया था और सरकारी गाड़ी थी ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—घर की गाड़ी से जाते तो तकलीफ मालुम होती ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—शरीर तो इनका खुद का था ।

प्रश्न संख्या १५१

श्री अध्यक्ष— श्री भोपालसिंह ।

(अनुपस्थित, ये प्रश्नोत्तर आगे लिये गये हैं ।)

प्रश्न संख्या १५२

जनवरी १९५५ के पश्चात् राज्य सेवा आयोग द्वारा नायब तहसीलदार भी पुष्टिकृत न होने पर भी कार्यवाहक तहसीलदार बनाना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे:-

(क) १ जनवरी, सन् १९५५ के बाद ऐसे किन किन कर्मचारियों को कार्यवाहक तहसीलदार बनाया गया जो० पी० एस० सी० द्वारा कनफर्म्ड नायब तहसीलदार भी नहीं हैं ?

(ख) उक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में कब कब किन किन अधिकारियों द्वारा उक्त आज्ञा प्रदान की गई ?

श्री सम्पतराम—(उप मंत्री)-(क) किसी को भी नहीं ।

(ख) किसी ने भी नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय उप-मंत्री को यह पता है कि उन्होंने स्वयं ने इस सदन में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था कि फलां फलां लोगों की नियुक्ति की गई है ?

श्री सम्पतराम—ऐसी बात का मुझे पता नहीं, किन्तु जहां तक १ जनवरी, १९५५ के बाद के लिये पूछा है इस समय में किसी को नायब तहसीलदार नहीं बनाया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि श्री ईश्वरीसिंह राणावत बनाया गया है जब कि वे पी० एस० सी से कनफर्म्ड नहीं थे ?

श्री सम्पतराम—इस बारे में मैंने पहले भी प्रश्न-कर्ता महोदय को इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में बता दिया था कि बन्दोबस्त विभाग में हमें कुछ अनुभवी आदमियों की जरूरत थी, ट्रेन्ड आदमी उपलब्ध नहीं थे तो टेम्परेरी बेसिस पर कुछ आदमियों को लिया गया। यह बात भी १ जनवरी, १९५५ के पहले की है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वे व्यक्ति अब भी कार्यवाहक तहसीलदार की जगह पर काम कर रहे हैं ?

श्री सम्पतराम—वे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह एक अलग से सवाल से किन्तु ऐसे कई मामले हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि श्री ईश्वरीसिंह राणावत के साथ कुछ अन्य व्यक्तियों को जो पब्लिक सरविस कमीशन से कनफर्म्ड नहीं थे कार्यवाहक तहसीलदार बनाया गया ?

श्री सम्पतराम—आप कोई स्पेसिफिक नाम बतायेंगे तो खास तोर पर जानकारी प्राप्त करके बताई जा सकती है, लेकिन जहां तक कुछ व्यक्तियों का सवाल है ऐसे प्रश्न सरकार के सामने हैं, जिन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

श्री चांदमल मेहता—वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके लिए गम्भीरता से विचार किया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम—मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जैसे सारे राजस्थान के नायब तहसीलदारों की सूची मेरे पास हो। यह एक अलग सवाल है।

श्री चांदमल मेहता—जिन व्यक्तियों के मामलों पर गम्भीरता से विचार हो रहा है उनके सम्बन्ध में आदेश कब तक हो जायेंगे ?

श्री सम्पतराम—वह नीति का सवाल है, सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर आप स्पेसिफिक इनफोर्मेशन दें तो बताया जा सकता है।

प्रश्न संख्या १५३

प्रथम पंच वर्षीय योजना में जि० चित्तौड़गढ़ में पक्की बनाई जाने वाली सड़कें

श्री जगतसिंह झाला—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला चित्तौड़गढ़ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन किन सड़कों को पक्की बनाने का निश्चय हुआ है ?

(ख) हर एक सड़क कितनी कितनी याने कहां से कहां तक बनाई जा चुकी हैं और उनमें अब तक कितना कितना व्यय हो चुका है ?

(ग) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में छोटी सादड़ी से बड़ी सादड़ी तक की सड़क केवल तीन मील ही बन पाई है और अब आगे का कार्य बन्द कर दिया गया है ?

(घ) क्या इन सड़कों के बनने में देरी होने का कारण इस जिले में सड़कों के बनाने वाले इन्जनों का नितान्त अभाव है ?

(ङ) सरकार भविष्य में छोटी सादड़ी से बड़ी सादड़ी जाने वाली सड़क को कब तक सम्पूर्ण करा देने का विचार करती है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उपमन्त्री)—(क) उदयपुर—चित्तौड़गढ़ २७ मील

चित्तोड़ जिले की सड़कों की संलग्न सूची

सड़कों का नाम	लम्बाई प्रथम पंच वर्षीय योजना	मील जो बन चुकी	जिनका कार्य जारी है	व्यय जो माह अक्टूबर ५५ तक
१ उदयपुर-चित्तौड़गढ़	२७ मील पक्की	६		३०५६००)
२ नसीराबाद-निम्बाहेडा	३२ मील पक्की	१८		३३७०४६)
३ बूंदी—चित्तौड़गढ़	२० मील पक्की	२ ५.८	११	१८६३४१)
४ प्रतापगढ़—अरनोद	२२ मील कच्ची, पक्की २ पक्की, ८ कच्ची			८३६४२)

Page No.13

[श्री शाह अलीमुद्दीन]

५	सीमोली—भीचोर	४ मील पक्की	४		११७४४७)
६	चित्तौड़-कपासन	१० मील पक्की	—	४ मील	१८४७१)
७	छोटी सादड़ी—बड़ी सादड़ी	६ मील पक्की	३	५	८१२६५)
	अपरोच सड़क सहायक				
१	बेगूं-काटून्डा	२ मील पक्की	२		३६३६२)
२	चित्तोड़गढ़-मानपुर	७ ८ मील पक्की	७ ८		२४०५२)
३	मंगरार	१ मील पक्की	१		२३६४७)
	बेगन कटूडा में बाकी सड़क	२	—	—	
		१३०,७,८	५०,५,८	२०,३,८	

श्री भैरू सिंह—इसमें भवन के लिए प्रश्न पूछा है और आप इत्तला दे रहे हैं सड़कों का ?

श्री चांदमल मेहता—सड़कें ही हैं।

श्री शाह अलीमुद्दीन—(ख) विभिन्न सड़कें पृथक् पृथक् भागों में बनाई गई हैं। जितना कार्य प्रत्येक सड़क पर हो चुका है और व्यय अक्टूबर, १९५५ तक हो चुका है वह उपरोक्त मानचित्र में लिखा गया है।

(ग) इसी डिस्ट्रिक्ट की अन्य महत्व पूर्ण सड़कों पर कार्य तीव्र गति से करवाने के कारण इस सड़क का काम पूरा न हो सका। कोई आगे का काम बन्द नहीं हुआ। बराबर जारी है।

(घ) नितान्त अभाव नहीं है। कमी जैसी अन्य सर्वत्र है यहां भी है

(ङ) यह कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में पूरा हो जायगा, निश्चित तारीख अभी नहीं बताई जा सकती।

श्री जगतसिंह झाला—इस सड़क का काम कब तक पूरा हो जावेगा, बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी तक।

श्री शाह अलीमुद्दीन—काम चल रहा है। जल्दी ही समाप्त हो जायगा।

Page No.14

प्रश्न संख्या १५४

उद्योग विभाग के इन्सपेक्टर्स एवं उनके हैडक्वार्टर्श

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) उद्योग विभाग में इन्सपेक्टर्स की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त इन्सपेक्टर्स में कौन कौन किस किस उद्योग के विशेषज्ञ हैं तथा उनके हैड क्वार्टर कहां कहां हैं व उनके जिम्मे क्या क्या कार्य हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क)

मार्केटिंग इन्सपेक्टर्स	२
हैण्डलूम इन्सपेक्टर्स	८
इन्डस्ट्रियल इन्सपेक्टर्स	३
इन्सपेक्टर्स शीप एण्ड वूल	४
	१७

(ख)

नाम	पद	योग्यता	हैडक्वार्टर्स	कार्य
श्री चांदमल जैन,	मार्केटिंग इन्सपेक्टर,	विक्रेता का अनुभव करीब ७ साल का, (२) कार्य की दक्षता व अनुभव	जयपुर	राजस्थान हैण्डी क्राफ्ट्स के लिए प्रोत्साहन देना । (२) कुटीर उद्योगों के लिये बाहर के लिए मार्केट्स मालूम करना (३) प्रदर्शिनियों में ठीक तरह से अपने हैण्डीक्राफ्ट्स का प्रदर्शन करना व आर्गेनाइज़ कराना (४) यहां से भेजे जाने वाले हैण्डीक्राफ्ट्स के ऑर्डर्स प्राप्त करना । (५) राजस्थान के कॉटेज इण्डस्ट्रीज़ प्रोडक्ट्स को बनवाना और सप्लाई करना ।

Page No.15

[श्री रामकिशोर व्यास]

२।	श्री एल के वर्मा,	मार्केटिंग इन्सपेक्टर (१) बी. ए. २। डाइंग का डिप्लोमा और रंगाई छपाई में विशेष योग्यता		दिल्ली	कार्य उपरोक्त।
३।	श्री फतेहलाल भंडारी,	हैण्ड लूम इन्सपेक्टर	बी. ए., एल एल. बी.	जयपुर	(१) हैण्डलूम क्लॉथकी कीमतें निर्धारित करना। (२) हैण्डलूम सेल्स डिपोज़ का सुपरवीज़न (३) रिबेट क्लिम्स कॉऑपरेटिव सोसायटीज़ व सेल्स डिपोज़ के चैक करना। (४) हैण्डलूम क्लॉथ्स सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तथा और दीगर संस्थाओं से ऑर्डर्स प्राप्त करना। (५) वीवर्स की कॉऑपरेटिव सोसायटीज बनवाना।
४	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन	हैण्डलूम इन्सपेक्टर	बी. कॉम	जयपुर	उपरोक्त कार्य
५	श्री महावीर प्रसाद पुरोहित	,,	बी. एस सी	अलवर	उपरोक्त कार्य
६	श्री आनन्द किशोर जौहरी	,,	एम. ए. हिन्दी	कोटा	उपरोक्त कार्य

[श्री रामकिशोर व्यास]

१	२	३	४	५	६
७	सूरजनारायण शर्मा	हैण्डलूम इन्सपेक्टर	मैट्रिकुलेट, टैक्सटाइल मैनुफेक्चरिंग का डिप्लोमा (पंजाब) कॉटन वीविंग एग्ज़ामिनेशन (लंदन) प्रथम श्रेणी, प्रभाकर हिन्दी और इन्टरमीजिएट	जोधपुर	उपरोक्त कार्य
८	श्री बी. एन. मेहता	,,	बी. ए., एल एल. बी.	उदयपुर	,,
९	श्री प्रभुराम चौधरी	,,	मैट्रिक अजमेर बोर्ड और टैक्सटाल इन्डस्ट्री में प्रेक्टिकल अनुभव वीविंग और स्पिनिंग।	नागौर	,,
१०	श्री करनवीरसिंह	,,	बी. ए. पंजाब यूनिवर्सिटी	बीकानेर	,,
११	श्री परसराम	ईन्डस्ट्रियल इन्सपेक्टर	डिप्लोमा वीविंग	जोधपुर	डिमोन्स्ट्रेशन पार्टीज़ द्वारा गांवों व कस्बों कस्बों में वीविंग टाई डाई स्पिनिंग
१२	श्री नजीर मोहम्मद	इन्डस्ट्रियल इन्सपेक्टर	डिप्लोमा डाइंग	जोधपुर	उपरोक्त कार्य
१३	श्री आर. एन. चावला	,,	डिप्लोमा टेनिंग बी. ए.	जोधपुर	उपरोक्त कार्य

Page No.17

[श्री रामकिशोर व्यास]

१	२	३	४	५	६
१४	श्री सी. बी. एल. माथुर	इन्सपेक्टर शीप एण्ड वूल	मैट्रिक अनुभव ७ साल	राजस्थान	शेपहर्ड को शीप शीयरिंग व वार्शिंग, वूल ग्रेडिंग व वार्शिंग के आधुनिक तरीके बताना। शेपहर्ड की कार्ओपरेटिव सोसायटीज़ बनाना। एक्ज़ीबिशन्स में भाग लेना। शीप शो आर्गेनाइज़ करना। भेड़ पालकों को तरह तरह की भेड़ों की नस्लों से अवगत कराना। विविध प्रकार की भेड़ों की बीमारियों को रोकने का उपाय बताना इत्यादि
१५	श्री बी. के. मेहता	,,	डाइंग का डिप्लोमा	बीकानेर	,,
१६	श्री गणपतसिंह	,,	मैट्रिक। शीप ब्रीडिंग व वूल क्लासिंग ट्रेनिंग पूना से पास की।	जैसलमेर	,,
१७	श्री शंकरलाल दुबे	,,	मैट्रिक। शीप ब्रीडिंग व वूल क्लासिंग ट्रेनिंग पूना से पास की।	बीकानेर	,,

(ग) यह तालिका कॉलम नं० पांच में दिया गया है।

(घ) यह संलग्न तालिका में कॉलम नम्बर ६ में दिया गया है।

Page No.18

श्री चांदमल मेहता—इनके हैड क्वार्टर्स किस आधार पर निश्चित किये जाते हैं या किये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—उनके काम के आधार पर।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि विशेषज्ञ जो हैं वे और जो विशेषज्ञ नहीं हैं वे भी सब इन्सपेक्टर्स एक ही ग्रेड में रखे गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो अलग प्रश्न है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मौजूदा कार्य को देखते हुए जो संख्या इन्सपेक्टरों की बताई गई है वह अपर्याप्त है।

श्री रामकिशोर व्यास—हो सकती है। अगर आगे डिपार्टमेन्ट ने चाहा तो विचार किया जा सकता है।

श्री खेतसिंह—क्या यह भी सरकार ने जांच की है, वूल और शीप के जितने भी इन्सपेक्टर्स हैं वे मुफ्त की तनख्वाह उठा रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह सही नहीं, काम कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह—यह आप किस आधार पर कह रहे हैं ? रोजाना काम की रिपोर्ट आती है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—काम कर रहे हैं, आधार क्या होता है।

श्री खेतसिंह—जिन को आप जोधपुर में इन्सपेक्टर बताया उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने किसी भी एरिया में जाकर कोई काम नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास—किसी की व्यक्तिगत बात अगर आप बतावेंगे तो जांच की जा सकती है। फिर वहां तो इम्प्रूवमेन्ट हुआ है।

श्री खेतसिंह—यह किस जगह हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सारे राजस्थान में।

श्री खेतसिंह—कौन से कोने में ?

श्री रामकिशोर व्यास—मेरे ख्याल से शेरगढ़ में हुआ है। (हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह इम्प्रूवमेन्ट फाइलों में ही हुआ है या ब्रीड में भी हुआ है?

श्री अध्यक्ष—Order Please !

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर्स जो काम करते हैं उनकी डेली रिपोर्ट पेश नहीं होती ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह कोई जरूरी नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि हैण्ड लूम इन्सपेक्टर ४ महीने तक किशनगढ़ में बैठे रहे और उन्होंने कोई काम नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास—काम जरूर करते हैं। जितना और जिस जगह काम होता है करते हैं। यह अलग सवाल है कि जैसा और जिस जगह आप चाहते होंगे वहां नहीं किया गया होगा ।

श्री चांदमल मेहता—पर काम करने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये आपने क्या व्यवस्था कर रक्खी है ?

श्री रामकिशोर व्यास—डेली रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती। जितना काम ऑफिस में होता है उतना करते ही हैं।

श्री खेतसिंह—इन्सपेक्टर्स के जिम्मे कितने कितने काम आपने सौंप रक्खे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—आपने पहले सुना नहीं, मैंने वह सारी सूची पढ़कर सुना दी है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ब्रीड में कितना और क्या इम्प्रूवमेन्ट हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास—अच्छी नस्ल बढ़ाई जा रही है। हरएक हल्के की जानकारी ली जा रही है और वूल भी इम्प्रूव की जा रही है।

श्री मोतीलाल चौधरी—कितने ब्रीडों का निरीक्षण आपने किया ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जगतसिंह झाला ।

प्रश्न संख्या १५५

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला चित्तौड़गढ़ की तहसीलों में किये गये भवन निर्माण के कार्य

श्री जगतसिंह झाला—क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला चित्तौड़गढ़ की प्रत्येक तहसील में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नये भवन निर्माण के क्या क्या कार्य कराया जाना निश्चय हुआ है ?

(ख) क्या यह सच है कि इसी जिले की बड़ी सादड़ी तहसील में पुलिस स्टेशन व तहसील कार्यालय के भवन निर्माण का कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है ?

(ग) यदि हां, तो क्यों और इन दोनों भवनों के निर्माण का कार्य सरकार कब तक शुरू कर देने का विचार रखती है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मन्त्री)—(क) जो भवन बनाये जाने के लिए तय किये गये हैं उनकी लिस्ट पेश की गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ख) काम शुरू कर दिया गया है ।

(ग) सवाल पैदा ही नहीं होता

श्री जगतसिंह झाला—कौनसी तारीख को काम शुरू किया गया है ? प्रश्न के बाद शुरू किया गया है या पहले ?

श्री शाह अली मुद्दीन—सवाल सुनाई नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष—कौनसी तारीख को काम शुरू किया गया है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—तारीख इस वक्त नहीं बता सकता , बाद में बता सकता हूं ।

श्री जगतसिंह झाला—यह कैसे माना जाय कि काम शुरू किया गया है ?

श्री शाह अली मुद्दीन—मौके पर जाकर मुलाहिजा फरमा लीजिये ।

श्री जगतसिंह झाला—आपने मौके का अन्दाज फरमाया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कम शुरू नहीं किया गया है।

श्री शाहअलीमुद्दीन—मेरा अन्दाज नहीं है, लेकिन मेरी रिपोर्ट मुकम्मिल रिपोर्ट है।

प्रश्न सं० १५६

पंचायत बदनौर (जिला भीलवाड़ा) द्वारा आज्ञा का उलंघन करके कुर्सियां खरीदना

श्री जयसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि चीफ पंचायत ऑफिसर राजस्थान सरकार ने आदेश संख्या २९७५७) पी. डी. ५५, दिनांक ७-६-५५ के जरिये पंचायतों को कुर्सियें नहीं खरीदने का आदेश दिया है ?

(ख) क्या उसी आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि इस आज्ञा की खिलाफवर्जी होगी तो कुर्सियों की कीमत खरीददार पंचों के जिम्मे रहेगी ?

(ग) क्या यह सही है कि पंचायत बदनौर, जिला भीलवाड़ा, ने चौदह कुर्सियें और दो टेबिल लगभग १५०) रुपये में खरीदी हैं ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त रकम अब किस प्रकार वसूल हो कर जमा होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जयसिंह—पहले से वह खरीदी हुई हैं तो उनका क्या उपयोग होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह जो आज्ञा दी गई है वह पहले की दी हुई है।

श्री जयसिंह—उसका उपयोग क्या है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसका उपयोग हो सकेगा।

श्री जयसिंह—उस आज्ञा का क्या उपयोग रहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आज्ञा देने के बाद खरीद की गई है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सरकार की नीति है कि पंच कुर्सियों पर बैठकर काम नहीं करें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह पंचों के लिए कहा गया है, पंच सेवक हैं। वह अफसर नहीं बन जायें, इसलिए ऐसा कहा गया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह चीफ पंचायत ऑफिसर ने अपनी तरफ से आदेश दिया है या सरकार की नीति के आधार पर हुक्म दिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कम खर्चे में चलाने के लिए यह है, उनके पास पैसा नहीं है।

श्री खेतसिंह—मन्त्री महोदय ने अभी फरमाया था कि पंचों को अफसर नहीं बनाया जाय, तो क्या अफसर सेवक नहीं है मालिक हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनके तबके में फर्क है और उनके पास पैसा नहीं है।

श्री शम्भूसिंह—क्या जिन पंचायतों के पास कुर्सियां खरीदने के वास्ते काफी पैसा मौजूद है वे कुर्सियां खरीद सकती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सबको मना कर दिया है।

श्री शम्भूसिंह—बावजूद पैसा होते हुए भी मना क्यों किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पंच सेवा के लिए हैं कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं हैं।

प्रश्न संख्या १४७

ग्राम मौकाला (तहसील मेड़ता) में कुछ खेतों को इसी ग्राम पंचायत कोर्ट द्वारा बलात् बेदखल करवाना

श्री भोपालसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री भोपालसिंह]

(क) ग्राम मोकाला तहसील मेड़ता में खेत खसरा नम्बर ३३५, ३५७, ४०२ ८४६, ६७८, ११०५, १२५४ अभी मौजूदा हालत में किस किस के कब्जे में है ?

(ख) यह खसरा नम्बरान और आपी है या बापी के ?

(ग) क्या २-३ साल पहिले इनको कोई दीगर काश्तकार काश्त करते थे ?

(घ) क्या यह सच है कि पंचायत कोर्ट ग्राम मोकाला द्वारा यह खेत काश्तकारों से धमकी देकर बेदखल कराये गये हैं और खड़ी फसल में छुड़ाये गये हैं ?

(ङ) क्या सरकार एस. डी. ओ. द्वारा दरयाफ्त करा कर जो धांधली चल रही है उसका माकूल प्रबन्ध करा कर हकदारों को वापिस उनका हक दिलावेगी ?

श्री संपतराम (उप मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब नहीं आया है, इसलिए मेरी अर्ज है कि इसको दुबारा रखा जाय।

प्रश्न संख्या १५८

चित्तौड़गढ़ में जुलाई, १९५५ में गाडिया लुहारों को बसाने सम्बन्धी उत्सवों पर व्यय हुई शासकीय धन-राशि

श्री राज हिम्मतसिंह—Will the Minister for Backward Classes welfare be pleased to state:

(a) How much money was spent in the functions celebrated in the month of July, 1955, to rehabilitate the Gadiya Lohars in and around the famous fort of Chittor ?

(b) How many of these Lohars have so far been rehabilitated and in what villages ?

(c) How much land has been allotted to each family and what is the ratio of the allotment ?

(d) How much loans have been advanced to them in total and how much does it come per family ?

[राज श्री हिम्मतसिंह]

(e) How much land has been brought under cultivation by these Gadiya Lohars in the villages where they have been rehabilitated ?

(f) Besides these what other facilities are being given or proposed to be given to them ?

श्री **रामकिशोर व्यास** (गृह मंत्री)—उक्त समारोह माह जुलाई ५५ में नहीं हुआ अपितु ६ अप्रेल सन् ५५ को हुआ था। समारोह पर होने वाले वास्तविक व्यय के आंकड़े चुकारा मुकम्मिल न होने से उपलब्ध नहीं हैं। सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा अनुमानत: १५,००० रु० व्यय हुआ।

(ख) ११२ परिवारों को बसने के लिये जमीनें दी गई, ७६ परिवारों को बीकानेर में, ३२ परिवारों को नागौर में, और ४ परिवारों को चित्तोड़ जिलान्तर्गत गीलूड़ में। इनके अतिरिक्त मौजा मानपुरा तहसील चित्तौड़ में ७ परिवारों को ६६ बीघा जमीन अलॉट की गई है।

(ग) विभिन्न स्थानों पर उनकी आवश्यकतानुसार जमीन अलॉट की गई है। 'ग्रुप' शब्द से सदस्य का आशय क्या है, यह प्रकट नहीं होता; अत: रेश्यो के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(घ) ऋण अभी तक नहीं दिये गये अत: प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गाडुलियों द्वारा काश्त नहीं की गई, अत: प्रश्न नहीं उठता।

(च) गाडुलियों के दो हजार परिवारों को आगामी पांच वर्ष में बसाने की योजना बनाई गई है। चालू वर्ष में प्रत्येक परिवार को मकान बनाने के लिये सौ रुपये प्रति परिवार और कृषि आदि औजार के लिये दो सौ रुपये प्रति परिवार सहायता दिये जाने की योजना है। जो लोग खेती करना चाहें उन्हें दस से पन्द्रह बीघा भूमि नि:शुल्क देने की योजना है। कुओं आदि के लिये तकावी दी जावेगी। तीन स्थान पर वर्कशोप खोलने, इन्हें (गाडुलियों को) कोलोनी के रूप में बसाने और क्राफ्ट स्कूल खोलने की योजना है। भारत सरकार द्वारा १,५०,००० रु० की धनराशि हाल ही में स्वीकृत की गई है। चित्तौड़ में एक होस्टल खोला गया है।

कु० श्री **जसवन्तसिंह**—राजस्थान में कितनी गाडुलिया लुहारों की फेमिलीज़ होंगी। इसका क्या अनुमान किया गया है ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—अभी इसकी सेन्सस नहीं कर पाये हैं।

श्री **अध्यक्ष**—No supplementry Shri Hans Raj Jatiya

प्रश्न संख्या १५६

विकास खंड बसेड़ी में धौलपुर उप जिले के ग्राम निवासियों की संख्या

श्री हंसराज जटिया—क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) विकास खंड बसेड़ी में कितने ग्राम सेवक धौलपुर उप जिले के निवासी हैं ?

(ख) क्या विकास खंड अधिकारी ने अपने स्वीकृत बजट को पूरा पूरा व्यय किया है ? अगर हां, तो किस किस मद में और नहीं, तो क्यो ?

श्री संपतराम (उप मंत्री)—(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, बसेड़ी, में २ ग्राम सेवक धौलपुर उप जिले के निवासी हैं ।

(ख) इस खंड में स्वीकृत रकम को किन्हीं किन्हीं मदों को छोड़कर बाकी के इस समय तक की प्रस्तावित रकम खर्च कर दी गई है । कुछ मदों में इस समय तक के लिये स्वीकृत रकम पूरी खर्च नहीं होने के कारण इस प्रकार है—

(१) बजट में स्वीकृत रकम में से अधिकांश हिस्सा पीने के पानी के कुओं आदि में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का था, लेकिन इस कार्य में जन-सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिला और यह रकम अभी तक खर्च नहीं हो पाई ।

(२) कुछ सामान डोलर. इक्विपमेंट के टेक्निकल कोऑपरेशन के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सामुदायिक योजना प्रशासन दिल्ली से सीधा प्राप्त होता है । वह अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है ।

(३) गांव वालों द्वारा सिंचाई के लिए तकावी लोन के लिए उदासीन वृत्ति भी इसका एक प्रमुख कारण रहा है ।

प्रश्न संख्या १६०

कोटा के महाराव भीमसिंह अस्पताल के कार्यप्रारम्भ की तिथि

श्री राव हिम्मतसिंह—Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to state—

By what time will the Maharao Bhim Singhji, Hospital at Kotah start functioning.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(स्वास्थ्य मंत्री)—संभवतः अगले वर्ष।

श्री. राज हिम्मतसिंह—यह कब तक तैयार हो जाना चाहिए था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस साल का जितना रुपया था वह काम हो चुका। दो-ढाई लाख और रुपया उसके लिये चाहिये जिसके लिये प्रोवीजन किया जा रहा है अगले साल।

प्रश्न संख्या १६१

धौलपुर उप जिले में मनीला मांगरोल सड़क का कार्य

श्री हंसराज जाटिया—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) धौलपुर सब डिवीजन में मनीला-मांगरोल सड़क का काम कब तक पूरा हो जाने का इकरारनामा है ?

(ख) क्या इकरारनामे के मुताबिक समय पर काम पूरा हो जावेगा ? समय पर काम पूरा न होने के बाबत इकरारनामे में क्या पेनेल्टी रखी है ?

श्री संपतराम (उपमंत्री)—(क) मनीला से मांगरोल नाम की कोई सड़क कार्यान्वित रूप में नहीं है, इसलिये कब तक पूरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १६२

सीकर जिले के अध्यापकों को टी. ए. व डी. ए. की देय धनराशि की भुगतान

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि सीकर जिले के अध्यापकों की काफी रकम अलावा टी. ए. डी. ए. के सरकार में बकाया है और उनको नहीं मिलती है ?

(ख) यदि हां, तो किस किस अध्यापक की कितनी कितनी रकम कब से बाकी है ?

(ग) बकाया रहने का क्या कारण है और अब इस बकाया रकम का कब तक भुगतान हो जायेगा ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी)—(क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ग) इस बकाया की भुगतान के लिए सारी सूचना व तथ्य विचाराधीन हैं और शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कर दी जायगी।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है सन् ४६ से भी कई अध्यापकों की रकम बकाया है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—हो सकता है।

श्री भैरूसिंह—सन् ४६ से ५५ तक उनको भुगतान करने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—जो आवश्यक सूचना जरूरी थी उनको इकट्ठा किया जा रहा है।

श्री भैरूसिंह—यह सूचना कब तक इकट्ठी हो जायगी ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—जल्दी ही हो जायगी।

श्री भैरूसिंह—सन् ४६ से जिन लोगों की तनख्वाह बाकी थी उनको भुगतान करने के लिए सरकार को किन २ सूचनाओं की आवश्यकता थी और कब २ यह सूचनाएं प्राप्त करने की सरकार ने कार्यवाही की ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—इन सूचनाओं में कुछ स्वास्थ्य संबन्धी है, कुछ उनको लास्ट में की सूचना चाहिए, कुछ उनके ट्रान्सफर्स किये गये हैं, इस तरह की कुछ चीजें की गई हैं; जिनकी जानकारी के बिना वह स्टेटमेंट पूरा नहीं हो सकता। कब २ वह की गई इसकी मेरे पास तफसील से जानकारी नहीं है। आप चाहेंगे तो बाद में बता सकूंगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या इस काम में भी १०-१० वर्ष लग जाते हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—सभी में नही लगता है, किन्हीं किन्हीं में लगता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है जिन अध्यापकों को १०-१० महीनों तक तनख्वाह नहीं मिली थी उनके ट्रान्सफर्स किये गये और ट्रान्सफर्स लागू करने के लिये उनको मजबूर किया गया ?

श्री अध्यक्ष— This is a difebrent question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह उनके टी. ए., डी. ए. से संबंधित है जो कि उनको बाद में मिला नहीं है। वह चिल्लाने लगे तो उनको अलग कर दिया, उस हद तक पूछ रहा हूँ।

(विराम)

Pending the disposal of their T.A. and D. A. cases they were forced to implement the transfer orders.

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—यह कोई जनरल बात नहीं है, किसी केस में हो गया है, जिसके कारण से कहा जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस किस्म के मोर देन हंड्रेड केसेज़ हैं और इसके बारे में सरकार के पास आवेदन-पत्र, तार वगैरह शिकायतों के रूप में सेकड़ों की तादाद में पहुंचे हैं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—उनका कोई विशेष कारण होगा।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—क्या यह सही है कि जिन अध्यापकों को यह रकम देन है उनके कागज़ात इन्स्पेक्टरेट के कार्यालय से गायब हो गये हैं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह कौनसा विशेष कारण था कि जिनके कारण बेचारों पर यह परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—अलग से पूछेंगे तो उत्तर दिया जायगा।

श्री भैरूंसिंह—१९४९-५० की बाकी रकम पड़ी हुई है, और उसके भुगतान के सरकार के ऑर्डर हो चुके हैं, फिर क्या कारण है कि सरकार की आज्ञा होने के बावजूद भी यह भुगतान नहीं हो रहा है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसा कोई विशेष कारण होगा, एतराज का कारण रहा होगा, नहीं तो भुगतान नहीं होने की आज्ञा होने के बाद कोई कारण नहीं।

श्री भैरूंसिंह—यही तो मैं पूछ रहा हूं कि यह विशेष कारण कौनसा रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट द्वारा आज्ञा प्रदान किये जाने के बावजूद भी तनख्वाह नहीं दी गई?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—ए. जी. का ओब्जेक्शन हो सकता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह है कि उन अध्यापकों को तनख्वाह व टी. ए. नहीं मिलने के कारणउ नकी जिन्दगी परेशानियों से परिपूर्ण हो गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं निवेदन करदूं कि अगर यह लिस्ट देख ली जाती तो परेशानी और जिन्दगी दूभर होने की बात नहीं पूछी जाती । किसी के ६ रुपये बाकी हैं, तो किसी के १० रुपये बाकी हैं, कुछ के थोड़े ज्यादा हैं । इससे किसी की जिन्दगी दूभर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता । सन् १९५० के पहले के सिर्फ ७ केसेज़ हैं, कोई सैकड़ों केसेज नहीं हैं । इसमें दिक्कत यह है कि कई नियम पूरे करने पड़ते हैं, प्रमाण पत्र देना पड़ता है, हैल्थ का सार्टिफिकेट देना पड़ता है, फिर ए. जी. के पास जाने से कई टेक्निकल रीज़न्स से डीले हो जाती है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मुख्य मन्त्री ने जो ७ केसेज़ १९५० के पहले के बताये तो क्या वे सीकर जिले के ही हैं या सारे राजस्थान के ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह जानकारी एक जिले की पूछी गई है ।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—एक जिले में इस तरह के ७ केसेज हो गये हैं तो राजस्थान में सैकड़ों केसेज़ हो सकते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—हो सकता है कुछ जगह और हों, लेकिन यह है कि यहां ठिकाने के भी केसेज शरीक हैं जिनकी वजह से ऐसे केसेज़ सामने आ रहे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—टी. ए., डी. ए. के लिए तो यह कहा गया, पर छः छः और आठ आठ महिनों तक तनख्वाह नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमला कुमारीबेनीवाल—तनख्वाह नहीं मिलने के बारे में अलग से जानकारी नहीं दी गई है; पर कई महिनों से तनख्वाह नही मिली है, ऐसी हमारे पास जानकारी नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—छः छः, आठ आठ महिनों तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं, इसके लिये सैंकड़ों तार, आवेदन-पत्र दिये गये हैं जो सरकार के पास मौजूद हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूं सिवाय इसके कि कुछ ठिकानों को रिज्यूम किया गया, उनकी स्कूलों को लिया गया, वह बात अलग है, पर उनके लिये भी इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि उनको तनख्वाहें जल्दी से जल्दी दी जाय, और केसेज़ हमारी जानकारी में नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार ने उनको भुगतान कर देने की टार्गेट डेट फिक्स की है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सबको बराबर तनख्वाहें मिलनी चाहिये, इसमें टार्गेट डेट फिक्स करने का सवाल पैदा नहीं होता। जो ठिकाने ५३ में रिज्यूम हुए और उनके ४६ के बकाया हैं तो इसके लिये हमें जिम्मेदार ठहराया जाय, यह ठीक नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—जिनके ४६ और ५० के पहले के बकाया हैं वे सरकार के हैं, जो ठिकाने रिज्यूम हुए हैं उनके नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—The Education Department in Sikar was taken over by the former Jaipur Goverment in the year 1947 or so.

प्रश्न संख्या १६३

सीकर जिले के अध्यापकों का फिक्सेशन

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सीकर जिले में अध्यापकों का फिक्सेशन हो चुका है ?

(ख) यदि नहीं, तो किन किन अध्यापकों का और क्यों व अब कब तक हो जायगा ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उपमन्त्राणी)—(क) कुछ अध्यापकों के अलावा शेष समस्त अध्यापकों का फिक्सेशन हो चुका है। ड्रिल मास्टर एवं राज्याधीन कई संस्थाओं के अध्यापक हैं, उनका फिक्सेशन शेष है।

(ख) उन सबके फिक्सेशन स्टेटमेंट सरकार के विचाराधीन हैं, उनका निर्णय होते ही फिक्सेशन हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह—उनके फिक्सेशन स्टेटमेंट कौनसी तारीख से सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—तारीख की जानकारी नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—कितने महीनों से है, और कितने वर्षों से है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—यह रेकर्ड अभी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, वर्षों का अन्दाज तो बताया जा सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पहले ही निवेदन किया जा चुका है कि इन्टिग्रेशन कम्प्लीट नहीं हुआ है, इसी वजह से फिक्सेशन पूरा नहीं हुआ। इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इन्टिग्रेशन किया जाय।

श्री भैरूं सिंह—जल्दी से जल्दी कौनसे महीने तक उम्मीद की जाय कि कौनसे महीने तक पूरा हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—निश्चित महीना तो मैं नहीं बता सकता, परन्तु हमने इस चीज को टोप प्रायोरिटी दी है। पहले इन्टिग्रेशन डिपार्टमेंट हटा दिया गया था पर फिर गवर्नमेंट ने जानकारी की तो पता चला कि अभी इन्टिग्रेशन का काम बाकी पड़ा हुआ है। इसलिये सेक्रेटेरियेट में अलग स्पेशल ऑफीसर मुकर्रर करके इसकी जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६४

बड़ी सादड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच व उनके साथियों के त्यागपत्र की प्रस्तुति

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी सादड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच ने एक लम्बे समय से स्थानीय पंचायत के कार्य में भाग लेना बन्द कर दिया है ?

(ख) क्या इनका व इनके साथी कुछ सदस्यों का त्याग-पत्र पंचायत में दे दिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो किन किन का ?

(घ) क्या यह भी सच है कि उस ग्राम पंचायत के कार्यों से यहां की जनता को काफी शिकायत है और अधिकारियों के पास शिकायत करने पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)—(क) जी नहीं, सरपंच पंचायत को सूचना देकर पंचायत की इजाजत से २ माह के लिये अपने निजी कार्य के कारण अनुपस्थित रहे।

(ख) जी नहीं।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ग) (ख) के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(घ) जी नहीं। कोई शिकायत नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६५

पी. टी. एस. सी. पास अध्यापकों को स्वीकृत ग्रेड से कम ग्रेड देना

श्री भैरूंसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सीकर जिले में पी. टी. एस. सी. पास अध्यापकों को १।७।५० से ४५-२-५० की ग्रेड में वेतन मिल रहा था?

(ख) क्या यह सही है कि सरकारी आज्ञा द्वारा अब उनका वेतन १।३।५५ से ३०-१-४० की ग्रेड में किया गया है?

(ग) यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी)—(क) जी हां।

(ख) जी हां, सरकार की आज्ञा द्वारा हुआ पर महालेखापाल ने एतराज किया। इस प्रश्न को हल करने के लिये सरकार ने कमेटी बना दी है।

(ग) महालेखापाल का एतराज कि १।४।५० से पहले जो मिलता था उसी निर्धारित ग्रेड में फिक्सेशन होना चाहिये, न कि ऊंचे ग्रेड में।

श्री भैरूंसिंह-क्या यह सही है कि जिनको पी. टी. एस.सी. के ग्रेड में लिया गया उनकी सैंक्शन गवर्नमेंट से नहीं ली गई थी इसलिये उनको इस ग्रेड की तनख्वाह नहीं दी गई?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—तो फिर महालेखापाल का एतराज क्या है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने आपको बताया।

श्री भैरूं सिंह—एतराज किया यही बताया, क्या एतराज किया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--महालेखापाल ने यह एतराज किया कि १।४।५० से पहले उनको जिस ग्रेड में तनख्वाह मिलती थी उसी ग्रेड में उनका फिक्सेशन होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको हाइयर ग्रेड दिया है तो उसमें (तनख्वाह) नहीं मिलेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह ऑर्डर गवर्नमेंट की सेंक्शन होने के बाद इश्यू कर दिया गया या विभागीय आज्ञा से इश्यू किया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—कौनसा ओडर ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—उनको पी. टी. सी. ग्रेड में रखने का।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—शिक्षा विभाग द्वारा किया गया, गवर्नमेंट की मन्जूरी से हुआ।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि इस प्रकार का ऑर्डर जिसमें गवर्नमेंट की मंजूरी आवश्यक होती है वह बगैर गवर्नमेंट की मंजूरी के इश्यू किया गया और गवर्नमेंट की मन्जूरी नहीं होने से ही वह मामला अटका हुआ है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि महालेखापाल ने इस आशय का एतराज सरकार के पास भेजा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--उस एतराज की डिटेल्स यहां पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—श्री प्रभुदयाल।

प्रश्न संख्या १६७

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोलायत से भाप रोड के लिये स्वीकृत धन-राशि

श्री प्रभूदयाल—क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में बीकानेर ज़िले की कोलायत से भाप रोड के लिये कितनी रकम मन्जूर हुई थी ?

Page No.34

[श्री प्रभुदयाल]

(ख) उसमें से अब तक कितनी रकम खर्च हुई है, कितनी बाकी है ?

(ग) सड़क निर्माण का कार्य कब तक शुरू हो जावेगा व यह कैसी सड़क बनाई जावेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में बीकानेर जिले में स्थित कोलायत से गाप रोड के लिये कोई रकम मंजूर नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रभूदयाल—वहां जो काम शुरू हुआ है वह किस पैसे से शुरू हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—शायद फेमीन रिलीफ में हुआ हो।

श्री अध्यक्ष—श्री हंसराज जटिया, प्रश्न संख्या १६६।

प्रश्न संख्या १६६

सरमथरा जागीर धौलपुर के पटवारियों का वेतन राजस्थान के अन्य पटवारियों से कम

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कि कृपा करेंगे : (क) सरकार अस्थायी पटवारियों को क्या वेतन देती है ?

(ख) क्या सरमथरा जागीर, धौलपुर के पटवारियों को वेतन राजस्थान के अन्य पटवारियों के समान है ? यदि नहीं, तो क्यों और भविष्य में सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)--(क) स्थाई या अस्थाई पटवारियों को नई नियुक्ति पर राजस्थान सरकार के ग्रेड ४०. १. ५५ के अनुसार प्रारम्भ में ४० रु० वेतन दिया जाता है।

(ख) (ग) राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण जागीर कर्मचारियों को राज्य सेवा में लेना नियमावली १६५४ के नियम ४ के नोट के अनुसार जागीर सरमथरा के पटवारियों को अपना पूर्व वेतन (प्रीवियस पे) जो वह जागीर खालसा होने से पूर्व पाते थे पा रहे थे, परन्तु अभी हाल में उनको राजस्थान सरकार का ४०. १. ५५ का ग्रेड दिये जाने की आज्ञा सम्बन्धित अधिकारियों को दी जा चुकी है।

Page No.35

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री भैरूं सिंह

प्रश्न संख्या १६८

राजस्थान में शीशे, तांबे व जस्ते की खानें व उनका ड्रिलिंग एवं मेपिंग

श्री भैरूं सिंह—क्या वाणिज्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में किन किन स्थानों पर शीशा, तांबा व जस्ते की खाने मिली हैं ?

(ख) क्या सरकार ने जिन स्थानों पर यह पदार्थ मिले हैं उनका ड्रिलिंग और मेपिंग कराया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों और कब तक ड्रिलिंग और मेपिंग कराया जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) खानें निम्न लिखित स्थानों पर है।

खाने निम्नलिखित स्थानों पर हैं :

शीशा—जावर, ऋषभदेव, देवारी। उदयपुर
बागी डोरा। बांसवाडा।
गुढा किशोरीदास। अलवर।
हर्ष पहाडी। सीकर।
वंनजारी। चौथ का वरवाडा।

तांबा— खेतडी। जयपुर।
खोदरीबा, सेनपुरी। अलवर।
दरीबा। बीकानेर।
देलवाडा। उदयपुर।
चांदपुरा। जहाजपुर।
सराडा। उदयपुर।

जस्त—जावर माइन्स।

(ख) हां, पर सभी स्थानों पर नहीं।

(ग) अगले पांच वर्षों में दूसरे क्षेत्रों में भी ड्रिलिंग और मेपिंग का कार्य चालू रक्खा जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सिलसिले में विदेशी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—प्लानिंग कमीशन को इसके लिये रिक्वेस्ट की गई थी।

श्री सन्तोषसिंह—क्या सोजत में जो शीशे की खान है उसके लिये सरकार ने कोई पता लगाया है।

श्री रामकिशोर व्यास—जितना मालूम है उसका जवाब दे दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसके लिये पंचवर्षीय योजना में सरकार ने रकम मंजूर की है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(अश्रव्य)

श्री हरिकृष्ण व्यास—जावर माईन्स पर विचार हो चुका है...

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १५१

नागोर म्युनिसिपैलीटी द्वारा शहर में मकानों की चबूतरियें तुड़वाने के विरुद्ध आवेदन-पत्र

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नागौर म्युनिसिपैलिटी द्वारा शहर में मकानों की पट्टाशुदा चबूतरिये तुड़वा दी गई हैं ?

(ख) क्या इसके बाबत कलेक्टर नागौर के पास जनता ने रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या कलेक्टर के ऑर्डर की नकल तक जनता द्वारा मांगी जाने पर नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां ।

(ख) कुछ लोगों के तार जिलाधीश के पास आये थे, जो मुनासिब कार्यवाही के लिये सहायक जिलाधीश नागोर के पास भेज दिये गये थे ।

(ग) जिलाधीश के हुक्म की नकलें मांगी जाने पर नियमानुसार अवश्य दी जाती हैं ।

श्री भोपालसिंह—जो चबूतरिये तुड़वाई गई उसकी कार्यवाही जाब्ता में नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अश्रव्य) बाद में समझा-बुझा दिया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह लेन्ड एक्वायर की गई ?

Page No.37

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरेन्डर की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरेन्डरनामा मौजूद है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—यह लिखाया नहीं गया, यह उसके फायदे के लिये ही था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि बगैर इजाजत के और बगैर उन लोगो की रजामंदी के चबुतरिये तुड़वा दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह शिकायत आई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जांच करवाई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो चबूतरिये तुड़वाई गई वे उनकी पट्टा शुदा जमीने हैं, फिर क्यों तुडवाई गई ? क्या उन लोगो ने वोलेन्टरीली सरेन्डर किया या कराया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि यह शिकायत कराई गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह ओरल सरेन्डवोलेन्टेरी की सरेन्डर किया गया काफी माना जावेगा ? इस प्रकार की प्रणाली और कहीं भी लागू की गई है या इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो उनके फायदे की बात है। यह नहीं कि म्युनिसिपेल्टी ने उस पर कब्जा कर लिया हो।

श्री भोपालसिंह—जो जिलाधीश ने हुक्म दिया उसकी नकल की दरख्वास्त पेश की गई, उसकी नकल नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इनक्वायरी हो रही है।

श्री भोपालसिंह—जिलाधीश के यहां कम्पलेन्ट की उसकी नक्ल के लिए रिपोर्ट पेश की, उसकी नक़्ल नहीं दी गई।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—इनक्वायरी करने.....

श्री भोपालसिंह—क्या चबूतरियें बढ़ाने का ऑर्डर दिया गया उसकी नकल के लिए दरख्वास्त पेश की गई थी ?

Page No.38

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी कोई मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जानकारी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह इसी प्रश्न में पूछा गया है, इसकी जानकारी मिलनी चाहिये।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—जो प्रश्न पूछा गया उसके सम्बन्ध में मैंने जवाब दे दिया।

श्री भोपालसिंह—क्या सरकार इसकी इनक्वायरी करके जल्दी इत्तिला कराने की कृपा करेगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इनक्वायरी नहीं होती, वहां नियमानुसार कार्यवाही होती है।

राजस्थान उत्पादक भाटक नियमन (संशोधन) विधेयक, १९५५ [श्रीमान् राजप्रमुख द्वारा पुनः विचारार्थ लौटाना]

श्री अध्यक्ष—राजस्थान प्रोड्यूस रेन्ट्स रेगुलेटिंग (संशोधन) विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में श्रीमान् राजप्रमुख से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है जो मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए पढ़ता हूं।

"I return this Bill for reconsideration by the Rajasthan Legislative Assembly on the point whether its enactment into law is necessary now when the principal Act which it seeks to amend stands repealed with effect from the 15th October 1955 with the coming into force of the Rajasthan Tenancy Act, 1955."

आश्वासन समिति की स्थापना एवं सदस्य-नामावली

Another announcement about Assurance Committee. I inform the Hon'ble Members that an Assurance Committee has been formed, consisting of the following members :

1. Shri Nathu Ram Mirdha.
2. Shri Ram Karan Joshi,
3. Shri Tejmal Bapna,
4. Shri Sribhan Singh and
5. Shri Himmat Singh (61).

[श्री अध्यक्ष]

Shri Nathu Ram Mirdha will work as Chairman of ths Assurance Committee.

(हर्ष-ध्वनि)

राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा का प्रतिबन्ध) आनियमन, १९५१ में नियुक्ति (सी) विभाग की विज्ञप्ति

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा का प्रतिबन्ध) आनियम, १९५१ में नियुक्ति (सी) विभाग विज्ञप्ति संख्या आई. डी. एम. ३५।५५ एफ १४ (४) नियुक्ति (सी) (५१) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५५ द्वारा जो संशोधन किया गया है उसको सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—Yes, next.

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली का प्रारूप (प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति (रूल्स) राजस्थान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली का प्रारूप (ड्राफ्ट) समिति के प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—Next.

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४ (विचारार्थ)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस सम्बन्ध में दो प्रस्ताव और भी आये हैं। एक श्री हरिकृष्ण व्यास का और दूसरा श्री जगतसिंह झाला का, कि इस विधेयक को उसी प्रवर समिति के पास यह आदेश देकर भेजा जाय कि वह इसे ज्यादा प्रजातांत्रिक बनाये तथा अपनी रिपोर्ट आगामी सत्र के प्रथम दिवस तक प्रस्तुत करे।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरा प्रस्ताव भी इसी प्रकार का है कि राजस्थान म्युनिसिपैलीटीज़ बिल, १९५४ को दुबारा उसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

Both are identical and only one (motion) will be moved, I think Shri H. K. Vyas will move first and the other Member will have the right to second it and express his opinion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, जिस विधेयपर अभी अभी हम विचार कर रहे हैं उसका इस राजस्थान की विधान सभा में भी एक बड़ा ही चेकर्ड केरियर रहा है। एक विधेयक इस विधान सभा में प्रस्तुत हुआ, वह सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया गया और जहां तक मेरी जानकारी है सिलेक्ट कमेटी का कार्य लगभग पूरा होने के नजदीक आया तब उस विधेयक को वापिस लेकर एक नया ही मजमून, एक नये विधेयक के रूप में फिर से सदन के सामने प्रस्तुत किया गया और उस पर विचार होने के बाद, सिलेक्ट कमेटी द्वारा उस पर पूरी तौर पर विचार कर लेने के बाद आज जिस रूप में यह विधेयक आया है उस पर हम विचार कर रहे हैं।

पहले इसके कि मैं उन विशेष धाराओं अथवा विधेयक के उन विशेष अंगों का उल्लेख करूं जिनकी वजह से मैंने आज इसे फिर से प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है मैं इस व्यवस्था के ऐतिहासिक पहलू पर कुछ चन्द शब्द कहना चाहूँगा।

यह विधेयक जब प्रस्तुत हुआ सदन में और इस पर जब बातचीत हुई अथवा आज भी जब कभी बातचीत होती है अध्यक्ष महोदय, तो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और वह शब्द है 'लोकल सेल्फ गवर्नमेंट'। यह शब्द न सिर्फ अंग्रेजी जबान का शब्द है बल्कि भारत में कम से कम इसकी शुरूआत अंग्रेजी शासन के जमाने से ही चली थी और सन् १९०५ अथवा उसके लगभग इसका चलन देश के अन्दर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि 'लोकल सेल्फ गवर्नमेंट' इस प्रकार का शब्द या इस प्रकार की संस्था दुनियां में और कहीं है या नहीं। तो मुझे यह जानकर बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह व्यवस्था सिवाय कोलोनियल वर्ल्ड, औपनिवेशिक देशों के अलावा और कहीं नजर नहीं आती है। न तो यह उन देशों में नजर आती है जो पूंजीपति प्रणाली पर कार्य करते हैं और न ही उन देशों में नजर आती है जो समाजवादी प्रणाली पर काम करते हैं। यह केवल औपनिवेशिक प्रणाली में ही नजर आती है और यह जो मौजूदा शब्द है वह उस ढांचे के बाहर नहीं निकल आया। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट का जो ढांचा बना था वह उससे बाहर नहीं निकल पाया है। हकीकत यह है अध्यक्ष महोदय, दुनिया के दूसरे क्षेत्र या प्रणाली में लोकल' सेल्फ गवर्नमेन्ट, इस प्रकार की अलग से कोई चीज़ हो कि जिसका काम केवल बिजली की बत्ती की व्यवस्था कर देना या सफाई की व्यवस्था कर देना या थोड़ी दवाई, इलाज, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था कर देना, बाकी का शासकीय कार्य बाकी के शासन संबंधी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अधिकार सारे के सारे किसी दूसरे व्यक्ति या अधिकारी के हाथ में होते हैं और केवल थोड़े से सीमित अधिकार इस संस्था को दिये हुए हों, ऐसा और मुझे कहीं नजर नहीं आया।

कई देशों में तो इस प्रकार की प्रणाली है। मैं मिसाल के तौर पर अपने पड़ौसी मुल्क चीन के बारे में अर्ज करूं कि जहां लोकल शासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट नाम की दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। सरकारी अधिकारी जो ऊपर से मुकर्रर किये जाते हैं, मुकर्रर किये हुए व्यक्ति हों जिनको आप प्रशासन अधिकारी या मजिस्ट्रेट वगैरह कहते हैं, वहां ऐसा नहीं हैं। वहां सारे के सारे स्थानीय अधिकार ऐसी चुनी हुई बॉडी के हाथ में होते हैं जिस चुनी हुई बॉडी को राज्य का आधार-भूत अंग माना जाता है। फ्रान्स में भी जिस प्रकार की प्रणाली है पुलिस को छोड़कर बाकी शासकीय जितने अंग हैं, ब्रिटेन में बरोज और फ्रान्स में काउन्टीज़ के रूप में है और ऐसी प्रणाली सामने आयी है। न यह सिर्फ भारत की व्यवस्था है बल्कि ताज्जुब यह है कि आज भी लागू होने वाली यह व्यवस्था, इसका जो सारा का सारा ढांचा है वह बाकायदा एक नौकरशाही प्रणाली के आधार पर है। महज थोड़े से अधिकार दे दिये गये हैं, स्वायत्त शासन संस्थाओं के नाम से चुनी हुई संस्थाएं हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यह प्रणाली एक जमाने में साम्राज्यवादियों ने शुरू की तो आज कोई कारण नहीं है कि इस प्रकार का कायदा हम भी पास करें।

जैसा सर्व विदित है अध्यक्ष महोदय, जब इस देश में आजादी का आन्दोलन शुरू हुआ, प्रजातांत्रिक प्रणाली की मांग शुरू हुई तो अंग्रेजों ने उस मांग से घबरा कर थोड़ा बहुत समाधान देने की दृष्टि से यह प्रणाली शुरू की कि अच्छा, राज्य के मुख्य मुख्य अंग हमारे हाथ में रहेंगे, हमारे अधिकारियों के हाथ में रहेंगे, थोड़े अधिकार आपको देते हैं स्वाराज्य चलाने के मातहत; यह ट्रेनिंग होगी, यह इम्तिहान आया कि वे स्वराज्य चलाने के काबिल हैं या नहीं। यह उस आन्दोलन में अधिकार छीना था, एक ब्रिटिश साम्राज्यवादी हुकूमत से यह अधिकार प्राप्त किया था। राजस्थान में भी यह सर्व विदित है कि इन म्युनिसिपेलिटीज़, स्वायत शासन संस्थाओं के मातहत, सामन्ती शासन के खिलाफ लोगों को स्वराज्य के अंग के रूप में यह हक मिला और इस बिनाह पर इन संस्थाओं का निर्माण हुआ। पहले निर्माण हुआ, फिर चुनाव प्रणाली डाली गई और विस्तार हुआ और धीरे २ यह संस्था आगे बढ़ी।

लेकिन आज जब हम कानून बनाने चले हैं और इस पर विचार करने चले हैं तो यह आवश्यक है कि न सिर्फ मौजूदा कानून कैसा है, कायदे बने हैं उनकी ओर गौर करें बल्कि ऐतिहासिक तौर पर इस संस्था की कैसे उत्पत्ति हुई, किस प्रकार निर्माण हुआ उस पर तात्विक रूप से गौर करें और फिर हम तैय्यारी करें कि हमें आज किस प्रकार की संस्थाओं की प्रणाली का निर्माण करना है।

मैंने निवेदन किया कि मौजूदा बिल है वह उस दायरे के बाहर नहीं निकला है जो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने प्रस्तुत किया था और उसके लिए १, २ मिसाल प्रस्तुत करना चाहूँगा।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उस विधेयक के खण्ड २ के उप खंड (बी) के रूप में संकेत कर यह लिखा है

" In case of municipal Boards, corporations, Councils, Town Municipalities or other Municipal authorities comprising of elected members at the time of the commencement of this Act the State Government may order for the nomination of members thereof in accordance with this Act."

(राज श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, ६. ४६ पर पदासीन)

म्युनिसिपेलीटीज़ के निर्माण के सम्बन्ध में जब कानून शुरू हो तो शुरू शुरू में ही जैसी कि "प्रथम ग्रासे मक्षिका पात:" की कहावत चरितार्थ करते हुए, शुरूआत उसकी यह हो कि चुने हुए लोग होंगे तो भी नोमिनेट करके उनको इस ढंग से लाया जायगा जो इस एक्ट के अन्तर्गत ठीक हो। जब नोमिनेशन से शुरूआत हो तो उसकी प्रजातान्त्रिक प्रणाली के बारे में और क्या खयाल किया जायगा, यह तो चेयरमेन महोदय हम और आप अच्छी तरह से विचार बना सकते हैं; लेकिन यह तो एक छोटी सी चीज दीखती है। इससे ज्यादा गहन, इससे ज्यादा गंभीर और मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान की विधान सभा या राजस्थान के सार्वजनिक नेताओं के लिए एक बहुत ही शर्मिन्दगी पैदा करने वाली जैसी बात है और वह यह है कि इस विधेयक के अन्दर कोई म्युनिसिपेलिटी का मेम्बर हो अथवा चेयरमेन अथवा वाइस चेयरमेन हो उसको हटाने का अधिकार दिया गया है।

किसे अधिकार दिये गये? इस सदन में जहां पचास हजार के वोटों पर या लाख वोटों पर मेम्बर चुनकर आये हैं; चाहे किसी भी सदस्य को, किसी भी मत का हो, चाहे कितना ही मत मतान्तर हो, कितना ही मतभेद हो लेकिन हकीकत में उसको हटाया नहीं जा सकता। वे म्युनिसिपेलिटी के सदस्य भी जनता के द्वारा चुनकर आये हैं। जितने हमको अधिकार है उतने उनको भी अपने क्षेत्र में अधिकार है। इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को चाहे इस तरफ हों चाहे उस तरफ इनको ज्यादा अधिकार हों ऐसा नहीं कहा जा सकता। सिवाय इसके कि तादाद में ज्यादा लोगों के वोटों से इस सदन में चुनकर आये हैं। उसी प्रकार म्युनिसिपैलिटी में ऐसे सदस्य आते हैं, जो वार्ड होते हैं उन वार्डों द्वारा उनको चुनकर भेजा जाता है। अब उनको हटाने का अधिकार इस बिल में किसको दिया गया है, बाकी सब म्युनिसिपैलीटीज़ में तो कलेक्टर को और सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ में कमिश्नर को।

चेयरमेन महोदय, एक राज्य के अधिकारी को, जिस अधिकारी की चाहे कुछ भी काबलियत हो; एक सामान्य राज्य के अधिकारी को यह अधिकार दे देना कि वह चाहे जिस मेम्बर को हटा सकता है वह चाहे ट्रिब्यूनल बैठा सकता है और उसके बाद उसको हटा सकता है। कल यहां पर भी यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हो सकता है, राजस्थान विधान सभा के किसी मेम्बर को, चीफ सेक्रेटरी को अधिकार दे दिये जांय कि वह चाहे जिसको हटा दे; कल ऐसी नौबत भी आ सकती है। अगर कोई मेम्बर ऐसी कार्यवाही करे जिससे सरकार यह देखे कि इसका रहना म्युनिसिपैलिटी में ठीक नहीं वह कलेक्टर को कह सकते हैं कि इस मेम्बर को हटा दिया जाय या इसके आचरण की जांच की जाय। यह इतनी गंभीर बात है, जिसकी विधान सभा जांच करें। कलेक्टर को यह अधिकार दे देना जो वर्षों से नौकरशाही ढांचे में पले हुए हैं जिनमें bureacratic framework फैला हुआ है इनका एक मोटो है; वह मोटो यह है कि "Kick at the bottom and lick at the top."

इस प्रकार की शिक्षा इन लोगों को मिली हुई है। उन लोगों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वे एक बोर्ड के मेम्बर को हटा दें, चेयरमेन को हटा दें। हटाने के पहले यदि जांच आवश्यक हो तो उस जांच के पीरियड में उस मेम्बर को सस्पेन्ड किया जायगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा ख्याल आता है, अगर इस प्रकार के अधिकार विधान सभा के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को दे दिये जाते तो कम से कम मैं नहीं समझता चार-पांच मेम्बरों को तो इस पीरियड में सस्पेन्ड कर दिया गया होता। सत्तारूढ ग्रुप के विरोध में काम करता नजर आये तो जांच करे, अगर जांच में साबित कहीं हो तो कम से कम तीन चार महिने तो सस्पेन्ड रखा जा सकता है। इस तरह से न सिर्फ उनको हटाने के ही अधिकार हैं, जब तक जांच चलती है उनको सस्पेन्ड करने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को एक तरफ तो यह कहते हैं कि आप चुनकर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं और दूसरी तरफ से अधिकार देते हैं कि अगर आपकी मरजी से इधर उधर हुआ तो यह ध्यान में रहे कि आपका चुनकर आने से कोई मतलब नहीं, सस्पेन्ड आपको किया जा सकता है कलेक्टर द्वारा। अगर सस्पेन्ड हो गये तो एक-दो महिने अपील में गुजर जायेंगे, जब तक उस पर कार्यवाही पूरी नहीं होगी तब बोर्ड की अवधि समाप्त हो जायगी। चेयरमेन महोदय, यह शुरूआत इस बात की है। एक दो विशेष धाराओं का उल्लेख करके मैं सदन से निवेदन करूंगा कि ये तो मैंने मिसालें दी हैं। आज जो म्युनिसिपैलिटी का ढांचा है जो एक प्रजातान्त्रिक संस्था है लेकिन उसके स्तम्भ कौन है; वे हैं कलेक्टर। यहां की म्युनिसिपैलिटीज़ क्या हैं; इनको थोड़े बहुत अधिकार दिये गये हैं। इस प्रकार की यह संस्था है जिनको थोडा सा टुकड़ा डाल दिया गया सन्तोष दिलाने के लिये स्वायत्त शासन की ट्रेनिंग देने के लिये और उनका इम्तिहान लेने के लिये। यही भरोसा अंग्रेज लोग देते थे, भारत वासियों यही प्रणाली विदेशी शासन में बरती जाती थी; सामन्तवादी राजा महाराजा भी, नवाब भी यही पालिसी बरतते थे। किनके खिलाफ बरतते थे ज्यादातर उधर बैठे हुए लोगों के खिलाफ और कुछ इधर बैठे हुए लोगों के खिलाफ। आज यह गाड़ी का चक्कर फिर उसी घुमाव में फिर रहा है, आज वही जोश उन लोगों के खिलाफ बरता जा रहा है जिन लोगों के वोटों से आप यहां आकर बैठे हैं। आपको इस प्रणाली का परित्याग करना चाहिये। तभी सही मायने में प्रजातंत्र कायम कर सकते हैं। जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो यह कहा जाता है कि सम्राज्यवादी क्षेत्रों में जनता पर प्रजातांत्रिक देशों में डिक्टेटर शिप है। मैं इस चीज पर मौके

Page No.44

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बे मौके उल्लेख करना नहीं चाहता किन्तु आज इस बात को कहना रिलेवेन्ट होगा और यह आवश्यक भी है। बारबार इस बात को कहने वाले मित्र कि प्रजातांत्रिक देशों में डिक्टेटरशिप है, उनसे मेरा यह निवेदन है। वे इस बात पर गौर करें जो देश आज नये प्रकार से आजाद हुए हैं जहां पीपुल्स डेमोक्रेसी है, जिसका आधार नौकरशाही का ढांचा नहीं। सब नीचे से लेकर ऊपर तक जो चुने हुए हैं वहां पंचायतें फैसला करती हैं और उन्हीं पंचायतों के हाथों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आधार है। सारे का सारा आधार है वहां लोकल ओरगेन्स आफ पॉवर और लोकल ओरगन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहां के सदस्य जो चुनकर आते हैं, जो प्रजातंत्र के आधार हैं उन्हें जहां चुनकर भेजने का अधिकार है वहां राइट ओफ रिकाल यानी वापिस बुलाने का भी अधिकार है लेकिन यहां तो राइट ओफ रिकॉल तक हवा गुजारी नहीं, उसके नजदीक तक जाने की बात नहीं सोची गई। म्युनिसिपल कमेटियां बनाने की प्रणाली, उनके काम करने की प्रणाली बीच की अप्रजातांत्रिक चीज है। सब से बुरी बात यह है कि जहां दुबारा चुनाव करने का अधिकार है वह अधिकार नौकरशाही ढांचे के पुरजे को दिया गया है आम तौर पर जिससे रात-दिन रोज-मर्रा काम पड़ता रहता है वह कलेक्टर और कमिश्नर कहा करते हैं। जब इस प्रकार के दृष्टिकोण का समावेश हुआ है तो यह आवश्यक है कि वह दृष्टिकोण धीरे धीरे चारों तरफ फैले। मैं एक नमूना प्रस्तुत करूं बोर्ड के कार्य का। जिस बोर्ड को यह अधिकार दिया है, चेयरमेन के चुनाव करने का साहसिक अधिकार है कि वे चाहें तो उस चेयरमेन में अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं और उसको हटा सकते है। लेकिन चुनाव का अधिकार तो सामान्य लोगों को है। वापिस हटाने का अधिकार जो है उसमें कुछ ब्यूरोक्रेटिक टाइप के कानून लागू किये गये हैं। एक बार जो चुना गया, चाहे किसी प्रकार से वादे कर लिये, जनता को मुगालता दे दिया या किसी वजह से वह चुनकर आ गया और उसको सभापति का पद दिया है, अगर वह ऐसा काम करता है जो जतना के हित में न हो तो ऐसी हालत में जिन लोगों ने चुनकर उसको भेजा है उन्हीं को वापिस बुलाने का अधिकार मिल जाय तो क्या बुरा है इन अधिकारों को सीमित किये हों ऐसी बात नहीं लेकिन एक अजीब स्थिति का निर्माण किया गया है, उसको मैं अजीब स्थिति कहकर उल्लेख करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी मेम्बर ने यह रिक्वीज़ीशन भेजा कि मुझे सभापति में विश्वास नहीं है हम लोगों को विश्वास नहीं है सामुहिक रूप से भेजा है। अगर इस प्रकार के प्रस्ताव पर बहस करने के लिये मीटिंग बुलाई जाती है तो उस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा; वही करेगा जिसके खिलाफ नो कोनफीडेंन्स मोशन आया है, इस कानून के जरिये दूसरा नहीं कर पायेगा।

क्लॉज़ ५४ के सब क्लॉज़ (४) में यह दर्ज कर दिया गया है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑथोरिटी आधे घंटे तक नहीं आ पाये या हाजिर न हो बोर्ड की मीटिंग में, "The prescribed authority and no other person shall preside at such meeting and if within half an hour from the time appointed for the meeting such authority is not present or if such authotity is, for any unavoidable reason, unable to preside at the meeting, the meeting shall stand adjourned to the date and time to be appointed

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

and notified to the members." अब यह कौन अपोइन्ट करेगा, कौन नोटिफाई करेगा, इसका भी उल्लेख नहीं है । रिक्विजीशन करके तो मीटिंग बुलाई, जिसमें विश्वास नहीं है; उसको कहा कि तू ही सभापति बन और फिर कहा कि भैइया इस अविश्वास के चक्कर से बचकर निकलना है तो इस कानून को गौर से पढ़ ले, कोई परेशानी मुझको नहीं उठानी पड़ेगी, आधे घंटा देर से आजाना, कह देना रास्ते में गाड़ी थोड़ी पंक्चर हो गई । फिर गई महीने की इस बीच कारस्तानी करने के लिए आसानी से समय मिल जावेगा । तो ऐसी एब्सर्ड चीज है यह । हमारे संविधान में ही नहीं, हमारे असेम्बली के विधान में, यहां के नियम में यह दर्ज है कि ऐसी मीटिंग में वह व्यक्ति जिसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है, प्रेसाइड नहीं कर सकेगा । यदि अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है तो उपाध्यक्ष महोदय बैठेंगे और अगर उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव है तो अध्यक्ष महोदय बैठेंगे और, अथवा दोनों के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है तो कोई चेयरमेन बैठेगा । यह इस विधान सभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है । पर इस म्यूनिसिपल के कानून में क्या प्रोवीजन है ? जिसको चेयरमेन एक बार बना दिया उसको तो जागीर पट्टा लिख दिया कि तू तो अब निकल ही नहीं सकता । वह कहता है मैं तो निकलूं ही नहीं, तुम चाहो या नहीं चाहो और निकलने के लिए रिक्विजीशन कर लें तो कह दे कि रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, इसलिये देर हो गई और इस तरह वह मीटिंग तो गई । एक महीने की मोहलत और मिली और इस एक महीने की मोहलत में अपनी खासी कारस्तानी करने का फिर पूरा पूरा मौका उसको मिल गया । तो इस सारे कानून में इस तरह की एक नहीं, जगह जगह पर अनेक गैर प्रजातान्त्रिक और अप्रजातान्त्रिक धाराएं बिखरी पड़ी हैं, चारों ओर बिखरी हुई हैं और फिर उसका स्वरूप क्या और किस प्रकार का है । उन्होंने इस चुनी हुई जनता के प्रतिनिधियों से ज्यादा सरकारी अधिकारियों के हाथ में अधिकार दिये हैं । उनको सुपरवाइज़िंग ऑथोरिटी दी है और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि जो इलेक्टेड बोडी है उसको हटाने का अधिकार भी इस कलक्टर को दिया है ।

आगे चलकर सारी की सारी म्यूनिसिपेलिटी को हटाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया है और इस प्रकार ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है कि स्थानीय स्वराज्य की ये संस्थाएं स्थानीय स्वराज्य भी नहीं कर पावेंगी । असल राज्य तो सरकार के इन अधिकारियों के हाथ में है, थोड़े बहुत अधिकार तुम अपने मन का समाधान करने के लिए भले ही ले लो । पर इस पर भी जिस दिन तुमने अपनी राय बदली तो हमने अपने तरीके बदले । कलेक्टर को टेलीफोन पर इशारा किया तो तुम्हारी मेम्बरी भी गई और म्यूनिसिपल बोर्ड की जिन्दगी भी खतरे में पड़ी । इसका यह एक कारण है और वह बहुत महत्वपूर्ण है, केवल इसी कारण की बिनाह पर मैं यह कह सकता हूँ कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सामने फिर रक्खा जावे, इसे फिर उसे सुपुर्द किया जावे । परन्तु इतना ही कारण नहीं इसके ना मन्जूर करने का भी । इसमें न सिर्फ अप्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है बल्कि इसमें मजदूर विरोधी और जनता विरोधी दृष्टिकोण भी अपनाया गया है । मुझे ताज्जुब है कि यह दृष्टिकोण कैसे इसमें घुस पड़ा ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मुझे यह भी ताज्जुब है, आज के जमाने में सोश्यलिस्टिक पैटर्न की दुहाई देने के बाद भी इस प्रकार की धाराओं का समावेश करने बैठे हैं ये। मुझे तो सचमुच ताज्जुब होता है और वह ताज्जुब होना वाजिब है। मेरी ऐसी मान्यता है और जब मैं एक दो क्लॉज़ों का उल्लेख करके बताऊंगा तो आप सबको भी वैसा ही ताज्जुब होगा और आपकी भी ऐसी ही मान्यता हो जावेगी। मैं क्लॉज़ ५९ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जिसके अन्दर महतरों को और इसी प्रकार का सफाई का म्यूनिसिपैलिटी का जो मजदूर है उसके कामके बारे में, उनकी नौकरी के बारेमें कुछ धाराएं रक्खी हैं। इसमें यह रक्खा गया है कि अगर म्यूनिसिपल कमेटी किसी महतर को निकालना चाहे तो एक महीने का नोटिस उसे देना पड़ेगा। यदि मियादी तौर पर रक्खा है तो कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं, अगर अलग से कन्ट्राक्ट पर लिया हो तो नोटिस देने की जरूरत नहीं, अगर डिस्चार्ज किया है या डिसिप्लिनेरी एक्शन लिया है तो कोई नोटिस की जरूरत नहीं; वे जब भी चाहें उसे निकाल सकते हैं। इस महतर को एक अधिकार जरूर मिला है कि अगर वह कन्ट्राक्ट बेसिस पर नहीं है, इन्तजामी या मियादी काम पर भी अगर वह नहीं है तो दस-बीस साल या पन्द्रह साल काम करने के बाद उसको बेशक उदारता का सबक गवर्नमेन्ट पढ़ा रही है, कि एक महीने की तनख्वाह तुम जरूर लेलो और इसके एवज में मिल क्या रहा है? उसको मिल रही है दास प्रथा, गुलामी। उसे यह कहा जा रहा है कि अगर म्यूनिसिपेलिटी तुम्हें काम से छुड़ावे तो कुछ नहीं, कभी भी छुडा सकती है, अधिक से अधिक एक महीने की तनख्वा हे तुम्हें दे सकती है और इसमें भी पचासों शर्तों पर। अगर महतर स्वयं छोड़ना चाहे तो? अगर रिटन कन्ट्राक्ट पर रक्खा है तब तो बात जुदा है, वहां तो नोटिस उसके काम का नहीं, मयादी सर्विस का मुद्दा काम का नहीं; उसको क्या देना पड़ेगा? उस पर वह जबरदस्ती अपनी इच्छा के खिलाफ, अपनी स्वयं की इच्छा से अगर काम छोड़ना चाहे तो उस पर मुकदमा चलेगा और उसको एक महीने की सजा भी काटनी पड़ेगी। ताज्जुब की बात है। आपको किसी से नौकरी लेनी हो या तनख्वाह लेनी हो तो आप अपने लिए तो एक महीने की मियाद मुकर्रर करते हैं पर वह सहूलियत हमें नहीं। हमें आप निकालना चाहोगे तब तो एक महीने का नोटिस देकर निकाल दोगे, पर वह स्वयं निकलना चाहे तो उसके लिए क्यों नहीं एक महीने की मियाद? वह काम नहीं करना चाहेगा तो छोड़ देगा, एक महीने का नोटिस देकर दूसरी नौकरियों की तरह। पर यह नहीं, क्योंकि यह तो उसकी एसेन्शियल सर्विसेज़ में आती है। इस कारण अगर वह नौकरी छोड़ना चाहे तो जेल है उसके लिए। काम अगर तू नहीं करना चाहे तो सजा पा। हम निकालना चाहें तो एक महीने का नोटिस और वह भी यह कह कर कि तू देरी से आया है, बगैर इजाजत से छुट्टी लेली, आदि कुछ भी चार्ज लगाकर उसे छुट्टी दे दें। कहीं भी ऐसा कानून नहीं। राज सेवाओं में एसेन्शियल सेवाओं में बिजली घर भी आता है। इसके अन्दर भी ऐसा कोई कानून नहीं। गवर्नमेन्ट प्रेस भी एसेन्शियल सर्विसेज में है, पर वहां भी ऐसा कानून नहीं है और मैं कहूँ आप से; फर्ज करें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ऑर्डनेन्स फैक्टरियां हैं, जबलपुर में हैं, पूना के आस पास में है। सरकार की ऑर्डिनेन्स फैक्टरियों में जहां पर कि लड़ाई का समान तैयार होता है जिससे बढ़कर एसेन्शियल सर्विसेज़ और कौनसी होगी, उसमें भी ऐसा कानून नहीं है जैसा कानून कि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सरकार के इस महकमे के लिए ये बना रहे हैं, बेचारे समाज के उस सबसे पिछड़े तबके के लिए सबसे गरीब तबके के लिए बना रहे है, जिसे हम अन्याय से ज्यादा काम करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसके ऊपर पाबन्दी लगा रहे हैं कि किया करो वह काम, छोड़ने का अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर आप पाबन्दी लगाते ही है तो म्यूनिसिपल कमेटी पर लगाइये पाबन्दी कि वह उन्हें छोड़ना चाहे तो छोड़ न सके। वह अगर अपनी मरजी से छोड़ना चाहे, दूसरा काम करना चाहे, रोजगार करना चाहे, तो उसको क्यों नहीं यह अधिकार होना चाहिये? पर नहीं, उसको अधिकार नहीं है, वह तो दास प्रथा कायम रखने के लिए मजबूर किया जावेगा, अगर छोड़े नौकरी तो कहते हैं तुझे एक महीने की जेल होगी, सजा पावेगा, मुजरिम होगा। यह तो एक मजदूर विरोधी दृष्टि-कोण की मिसाल बताई आपको।

पर जैसा अर्ज किया न सिर्फ मजदूर विरोधी दृष्टिकोण का ही इसमें समावेश है। आम जनता विरोधी दृष्टिकोण का भी इसमें समावेश है और वह आवेगा जहां टेक्सेज़ का उल्लेख इस कानून में है। मैं क्लॉज ८७ और ८८ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जहां पर टेक्सेज़ को सिलसिले में कुछ स्थापनाएं रक्खी गई हैं और जब इन टैक्सों की स्थापनाओं की ओर ध्यान देने का मौका आता है तो ऐसा मालूम होता है जैसे राज्य सरकार अथवा इस बिल को बनाने वाले सदस्य महोदयों की लिबरेलिटी सीमा को पार करती चली गई है। तरह तरह के टेक्सों का उल्लेख है, प्रोफेशन्स पर भी टेक्सों का उल्लेख हैं। मोची है तो मोची भी, कुम्हार है तो वह भी, लौहार है तो लौहार भी और चमार है तो वह भी सभी टैक्स दे। गरीब हो तुम; कोई परवाह नहीं, पर टैक्स दो।

आगे एक जगह मोटर वेहीकल्स और दूसरे कन्वेयेन्सेज और एनीमल्स हैं उनके ऊपर भी टालकी व्यवस्था की है कि यदि बाहर से कोई लाया जाय तो उसके ऊपर टेक्स देना पड़ेगा; यहां तक कि कोई गधा भी लाया जाय बाहर से तो टेक्स देना पड़ेगा हालांकि मेरा ऐसा खयाल है कि उस जानवर के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति होनी चाहिये थी।

श्री कंवरलाल जेलिया—आपको उसकी ज्यादा चिन्ता है क्योंकि आप पेशेवर हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्योंकि वह बोझ ढोने वाला है। इतना ही नहीं लेकिन कोई अगर जानवर रखे, इस चीज के लिए सवारी के लिए घोड़ा, ऊंट या हाथी रखे तो घोड़ा या हाथी पर लगे तो लगे लेकिन बोझ लादने के लिये कोई जानवर रखे, कोई अपनी बैलगाड़ी चलाने के लिए बैलों की जोड़ी, मानलो कि किसी ने रख ली, तो जानवरों के ऊपर भी टैक्स की व्यवस्था की गई है। इस तरह राजस्थान की प्रगतिशीलता समाजवाद की ऊंचाई पर बढ़ रही है कि इन्सानों पर टैक्स तो है ही परन्तु अब तो जानवर भी नहीं बचे। कोई बोझा ढोने के लिये रखता है, कोई सवारी के लिए रखता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा।

एक माननीय सदस्य—मक्खियों पर टैक्स नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मक्खियों पर लगाना संभव हो तो इसकी जैसी मन्शा है उसमें मक्खियों और मच्छरों पर टैक्स लगाने की नीयत तो नजर आती है लेकिन वह सम्भव नहीं है! अगर सम्भव हो तो बड़ा उचित हो।

फिर स्केवेन्जिग टैक्स है। फिर टैक्स फोर दी क्लीनिंग ऑफ लेट्रिन्स एण्ड प्रिवीज़ है अलग से। स्केवेन्जिग अलग है और टैक्स फोर दी क्लीनिंग ऑफ लेट्रिन्स एन्ड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज भी अलग है। "Construction or maintenance or both of public latrines and for the removal and disposal of refuse." वह भी अलग है। जैसे कोई बड़ी उदारता से लिस्ट को को बढ़ा-चढ़ा कर चाहे जैसे हो उसको दबोचो, कैसे भी पैसा लो। तो स्केवेन्जिग का अलग रखा, पब्लिक लेट्रिन्स के क्लीनिंग का अलग रखा, प्राइवेट लेट्रिन्स के क्लीनिंग का अलग रख लिया; फिर भी जो कुछ लागू रखा, ऐसा लगता है मुझे, जैसे कि बहुत पैसे की कमी हो गई हो, जैसे कि कोई दीवाला निकल रहा हो, और अब जहां से पैसा मिलता है वहां से दाबो, जहां से मिलता है वहां से छीन २ कर लो। तो मैंने सोचा कि यह आम धारणा अगर इस चीज की है, इस बिल की यह आम मन्शा है तो देश के अन्दर इमरजेन्सी है, परेशानियां हैं तो हरेक को अपनी बैल्ट टाइट करना पड़ेगी तो थोड़ा ज्यादा सोचना था लेकिन उसने गरीब आदमियों पर टैक्स लगाने को सिलेक्ट कमेटी ने हिम्मत की और वह सामने आये तो उस दिमाग को प्रदर्शित करके कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि:—

"No tax of any kind imposed as aforesaid shall be leviable in respect of any building or part of a building used or intended for the occupation of the Rulers of the Covenanting States or the members of their family or for the location of the establishment of such Rulers or members" जिन हाथों ने ऐसी व्यवस्था की है उनको, मैं बिल्कुल गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं, शर्म से झुक जाना चाहिए। गरीब आदमियों के ऊपर आपका डंडा चले। क्या वे स्वर्ग से पट्टा लिखा कर आये हैं राजा महाराजा लोग? क्या खासियत लेकर आये हैं ये कि इनके बिल्डिंग्स के ऊपर जब कि पैसे की कमी है तो उनको टैक्स से वेब किया जाय। तो फिर आम लोगों से पैसा लेने का भी आपको अधिकार नहीं है जब कि आपकी हिम्मत यह नहीं है कि राजा महाराजाओं की बिल्डिंग, उनकी फेमिलीज़ की बिल्डिंग, लाखों की बिल्डिंगें सारे राजस्थान में एक छोटी-मोटी लिस्ट कर दी जायगी। अभी तक तो ऐसा है कि २०, २५ तो जयपुर शहर के अन्दर हैं बिल्डिंग्स जिनके ऊपर टैक्स नहीं है। उनको जो पानी दिया जाता है उस पानी के ऊपर टैक्स नहीं है, उनको जो बिजली दी जाती है लाखों रुपयों की वह बिजली को रेट हम चार्ज नहीं कर सकेंगे। म्युनिसिपेलिटीज़ से हम कहना चाहते हैं कि अपना खर्च खुद चलाओ, आप स्वशासन करते हैं तो आप टैक्स लगाओ जनता के ऊपर नहीं तो काम कैसे चलेगा, गुस्से में आकर कहते हैं कि टैक्स लगाना पड़ेगा। टैक्स लगाने के आदेश देने के लिये हिम्मत है। एक कमेटी को टैक्स लगाने का आदेश दें और कहें कि इनसे टैक्स वसूल करो, फिर जनता के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सामने आकर कहें आप, चाहे उनके लिए कानून में व्यवस्था करेंगे, उनको कहेंगे कि वे नहीं दे सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं दे सकते हैं ? आपको रियायत देनी है तो राज्य के पास खजाने में पैसा है। उसमें से दो, फायदा क्या उस देने का ? बड़े बड़े लोगों को देखा है कि कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में उल्लेख करना शायद श्रेयकर नहीं है। लेकिन चन्द दिन पहले देखा है कि जिनको लाखों रुपयों की रियायत राजस्थान सरकार से मिली है और पांच, पचास के खर्चे की बात आई तो वहां पर ऐसा प्रदर्शन होता है जो प्रदर्शन कि अवांछनीय है और जो कि नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद कानून बनाने चले हैं और कानून बनाते समय यह अधिकार रखा है। यह राजप्रमुख की प्रथा अब स्टेट्स रिआरगेनाइजेशन कमीशन ने भी हटाने की सिफारिश की है इसलिए वह अधिकार भी गया। प्रिवी पर्स में आपने लाखों रुपये डाल दिये। पंचवर्षीय योजना में आपने समाजवादी पेटर्न रखा है। यह कौन सा समाजवाद है ? कौन सी प्रणाली है ? कम से कम इसके बारे में गम्भीरता से विचार किया जाय। कम से कम यह सोचा जाय कि इस दृष्टिकोण को लेकर जायेंगे तो टैक्स से छोड़ने वाली कोई चीज नहीं मिलेगी। लोगों को बार बार कहने का हक है। एक तरफ आप राजाओं को फ्री करेंगे, दूसरी तरफ बिड़ला को सस्ती बिजली देंगे, बड़े बड़े कारखानों को मुफ्त जमीन देंगे। चौथे इसमें है कि किस किस को रियायत देंगे। इस रियायत को कुछ विशेष व्यक्तियों को विशेष संस्थाओं को इस कानून के जरिये दे दो। पोद्दार और बिड़लाजी को सस्ती जमीन, सस्ती बिजली और कम से कम मुफ्त पानी देने की नौबत आये और म्युनिसिपल कमेटी नहीं माने तो राज्य सरकार ने वह भी अधिकार अपने हाथ में ले रखे हैं। यह तो दृष्टिकोण है। दूसरी ओर आजादी दी गई है कि म्युनिसिपेलिटी ताकत बढ़ाये। म्युनिसिपेलिटी अपना खर्चा खुद चलाये, कहीं से लाये। वह आमदनी करे, अगर लोगों का भला करें तो कहां से लाये। गरीब लोगों पर कानून बना २ कर बोझ डाले। राजाओं की बिल्डिंग से टैक्स नहीं ले, सरकारी वेहिकल्स से टैक्स नहीं ले। वह बच गये। भारत सरकार की हैं तो उनसे नहीं। वह भी बच गये। उसके बाद बिजली, पानी और मकान टैक्स तीनों निकल गये, चुंगी से भी निकल गये। उसके बाद राजा-महाराजा, पुरानी कोवेनेन्टिंग स्टेट्स के रूलर्स है वह भी बच गये। उनकी फेमिली के मेम्बर्स बच गये। फिर कुछ विशेष व्यक्ति आये उन लोगों के लिए भी राज्य सरकार ने अधिकार ले लिये। सब देनेवाले बच गये। वह रिक्शा वाले मिले जिनसे ३।। रू० लाइसेन्स फीस ले, वह साइकल वाले मिले उनसे १।। रू० साइकल की फीस ली। ठेले वाले मिले उनसे १२ रू० साल ठेके की लाइसेन्स फीस ली। वह बैलगाड़ी वाला मिला चूंकि वह बैल रखता है उससे अपनी फीस लो, टैक्स लो। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ऐसे वह मिलने वाला नहीं है। ऐसे म्युनिसिपेलिटियां खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं होने वाली हैं। इस लिए मैं कहता हूँ कि यह न सिर्फ मजदूर विरोधी है लेकिन जनता विरोधी भी इसका दृष्टिकोण है। यह कौन सा दृष्टिकोण है कि जिस दृष्टिकोण से आम लोगों पर पाबन्दी लगा रखें और जिससे पैसा मिलना चाहिए, लेना चाहिए उनके ऊपर टैक्स नहीं हो। होना तो यह चाहिए था कि सन् १९४९ के अन्दर सरदार पटेल और मैनन के जमाने में जिन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

राजाओं ने, जिन पुराने राज्यों के कर्ता-धर्ताओं ने, बड़ी २ बिल्डिंग, महल और बड़े २ किले अपनी प्राइवेट प्रापर्टी में लगा लिये हैं, वे आज तक न उनका उपयोग कर पाये हैं और न कर पायेंगे और न उनकी ठीक से सुरक्षा कर सकते हैं।

होना तो यह चाहिए था कि आप म्युनिसिपल कमेटियों को अधिकार देते, जो उनके काम में आ रहा है उसको छोड़ दें और जो फंड हैं उनको सार्वजनिक संस्थाओं को देवें, वाचनालय खोलें, दवा दारू का प्रबन्ध करें, स्कूल खोलें, बच्चों के लिए व्यवस्था करें। फंड क्या है बगैर पैसा दिये ! यह अधिकार देते तो समझते कि म्युनिसिपैलिटियों को प्रोत्साहन देने का कानून है, बल्कि इन सीमित अधिकारों में कुछ न कुछ कुठाराघात किया गया है।

इसके बारे में मैं अर्ज कर दूं, रोज रोज सवाल होते हैं और उठ कर कहा जाता है कि अगर टेक्सेज़ नहीं लगाते तो काम नहीं चल सकता। मैं जिम्मेदारी से घोषणा कर देना चाहता हूं कि यही कारण है कि आम लोगों के अन्दर टेक्सेज़ का विरोध हो रहा है, सरकार की नीयत पर शक शुबह होता है। जिन पर लगाना चाहिये उनसे पूरा लिये बगैर, जिन बड़े बड़े लोगों पर बोझा पड़ना चाहिये उनको रियायतें देकर आप लोगें जब आम लोगों की जेबें कतरने के लिए जाते हैं तो वे लोग कहते हैं, खबरदार हमारी जेबें कतरने वाले, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास लाखों की सम्पत्ति है, जिनके पास लाखों का कारोबार है उनसे तो तुम कुछ नहीं लेते और हम लोगों की जेबें कतरते हो। आप जब तक कि इन बड़ों बड़ों से टेक्सेज़ नहीं लेंगे तब तक आप आम लोगों से टेक्सेज़ लेने में कभी कामयाब नहीं होंगे।

इस तरह सारे के सारे कानून में न सिर्फ मजदूर विरोधी दृष्टिकोण है बल्कि जनता विरोधी दृष्टिकोण है। इतने अधिकार हाथ में ले लेने के बाद भी सरकार को भरोसा नहीं है, यह सारा कर देने के बाद भी कोई म्युनिसिपैलिटी हमारे इस प्रकार के दृष्टिकोण को नहीं अपनाये तो ? फिर क्लॉज़ ८८ में आ गया, जहां स्वायत्त शासन की कब्र खोद दी गई है जहां एक सेनाटोफ (Cenatoph) लगा दिया है : Here lies buried all the local self-government powers of Rajasthan. यह क्लॉज़ ८८ एक तरह मकबरे के ऊपर नारा लगता है, उसी प्रकार राज्य सरकार कमेटी के माननीय सदस्यों की राय के मुताबिक सेनाटोफ्स (cenatophs) है जहां उनकी अन्त्येष्टी क्रिया होती है। अगर वह बोर्ड टैक्स नहीं लगाना चाहे, उसको नहीं लगाना हो तो फिर राज्य सरकार बीच में आती है और कहती है, नहीं लगाना पड़ेगा, तुम नहीं चाहते हो तो क्या हुआ ? हम चाहते हैं। चाहिये किसके लिए, किसके काम काज के लिये ? और हुक्म देने वाली कौन हैं ? राज्य सरकार। "By a general or special order published in the Rajasthan Gaeette require of him to impose anp tax." और अगर ऐसा हुक्म निकाल दिया तो उसे वह टैक्स वहां लगाना ही पड़ेगा और एक दफा लागू हो गया तो फिर उसको रद्द या

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उसमें संशोधन नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते, यह है प्रजातन्त्र, यह है स्थानीय स्वायत्त शासन !

जो उनके आमदनी के जरिये थे वे तो ले लिये राज्य सरकार ने और फिर रोज रोज दिल्ली कहने के लिए जाते हैं कि फाइनेन्शियल इन्टिग्रेशन हुआ तो हमारे बड़े आमदनी के जरिये ले लिये गये, हमारी रेल्वे ले ली, उसके बदले में हमें कुछ मिलना चाहिये। पर इन म्युनिसि-पैलिटीज़ के लिए कुछ नहीं करते जिनके कि आमदनी के जरिये कुल राज्य सरकार ने ले लिये हैं। कम से कम और कुछ नहीं करते तो और बात है, पर अजमेर म्युनिसिपैलिटी के सभापति के नाते डेढ़ दो साल तक राजस्थान सरकार से पत्र-व्यवहार किया है कि आमदनी के जरिये हमको दो, नहीं तो हमारा काम नहीं चल सकता, उनके खुद के दस्तखतों के पत्र हैं, संजीदगी से भरे हुए, सोच विचार कर लिखे हुए ठीक किस्म के ठीक पत्र हैं, क्यों नहीं उनको निकाल कर मन्त्री महोदय मंजूरी देते। और भी कई माननीय सदस्य बोलेंगे (संभवत श्री चन्दनमल वैद को लक्ष्य करके) घबराहट की बात नहीं उनके भी कई पुराने जमाने के पत्र हैं जो सरकारी फाइलों में मौजूद हैं। उनको यह पता उस समय नहीं था कि ये पत्र बाद में किसी जगह उनके खिलाफ काम में लाये जावेंगे।

कम से कम यह क्यों नहीं पूरा करते ? सरकार ने अपने हाथों में अधिकार लिये हैं कि म्युनिसिपैलिटीज़ को हुक्म लगा दें कि टैक्स लगाना पड़ेगा, अगर म्युनिसिपैलिटीज़ में काम करना चाहते हो तो टैक्स लगाना पड़ेगा। क्या बात हुई ? काम हमारा है, तुम्हारा तो केवल संस्था के रूप में नाम है, हमें बताते रहो कि यह व्यवस्था सड़कों की करो, किसी को पट्टा दे दो, अधिकार तो सारे म्युनिसिपैलिटीज़ के हैं। पर अधिकार अपने हाथ में सरकार ने रखा है कि अगर म्यु-निसिपैलिटी में काम करना है तो यह टैक्स जनता पर लगा दो, नहीं तो एग्जीक्युटिव ओफीसर मुकर्रर कर दिया जायगा। यदि इतना कन्ट्रोल करना चाहते हो स्थानीय संस्थाओं को अधिकार देने के बारे में और जिस जगह सख्ती नहीं करनी चाहिये वहां तो करते हैं; जिस जगह सख्ती की जरूरत है उस जगह आ कर ढीले बन गये और वह है ओडिट के बारे में। ट्रेड यूनियन नाम की संस्था होती है जिसको कानूनी अधिकार होना चाहिये उसका कि अपने आपको संस्था के नाम पर घोषित कर दे। १९२६ के एक्ट (Trade union Act) के माफिक उस पर पाबन्दी है कि वह अपने हिसाब किताब की सालाना जांच कराये, ओडिट करवाया करे, हर साल के जुलाई के अन्त तक वह हिसाब किताब सरकार के पास नहीं भेजा गया तो उसका रजिस्ट्रेशन केन्सिल कर दिया जायगा। जिसके पास सरकार का पैसा नहीं, उस पर यह जाब्ता पाबन्दी का है, कोओपरेटिव सोसायटीज़ के ऊपर है। जो म्युनिसिपैलिटीज़ जिनमें से कुछ एक की तो लाखों रुपयों की आमदनी सालाना है, जिनको कानून के जरिये बहुत अधिकार दिये गये हैं, उनके लिये क्या रखा है ? साल के अन्त में ३ महीनों के अन्दर अन्दर उसका हिसाब ओडिट हो जाय। इसमें सिर्फ इतना लिख दिया।

Page No.52

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"The Municipal Accounts shall, from time to time and once in every year at the least, be audited by the examiner. The Local Fund Accounts in accordance with the provisions of the Rajasthan Local Fund Audit Act" and " (2) The board shall pay from the municipal fund such charges for the awdit as may be prescribed by the Government."

और कोई नहीं करावे तो क्या लीगल कोन्सीक्वेन्सेज़ फोलो होंगे ? मैंने खूब गौर से देखा इस एक्ट को कि शायद कहीं कुछ तो लिखा होगा, पर कहीं नजर नहीं आया । सालाना ओडिट करावें, यह तो डिक्लेरेशन ओफ पोलिसी है । It is a directive principle of policy, जो पांच साल में करा दें, १० साल में करा दें और अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, कोई बंधन नहीं है । जहां टैक्सेज़ के बारे में बन्धन लगाया जाना आवश्यक नहीं है वहां तो इतनी देख-भाल, जाब्ता करें और जहां ओडिट के बारे में यही कह कर छोड़ दें कि साल में एक बार करा लेना भाई । हिसाब-किताब के बारे में कहीं तो यह रखें कि जोलाई के अन्त तक अगर ओडिट नहीं कराया गया तो उसके यह लीगल कोन्सीक्वेन्सेज होंगे । तब मालूम हो कि देखभाल करने वालों की मंशा देख भाल करने की है, नहीं तो यह तो सिर्फ नकेल अपने हाथ में रखने की बात है कि जरा भी अगर गड़बड़ की तो इन क्लॉज़ों के अन्तर्गत तुमको निकाल देंगे, बोर्ड को सुपरसीड कर देंगे, टैक्स लगाने का आदेश दे दें, अमुक २ अधिकार हैं, इसकी लिस्ट सेंक्शन कर दें, नोमिनेट कर दें, एग्जीक्युटिव ओफीसर भेज दें, रीकन्स्टीट्यूट कर दें ।

ये सारे अधिकार लेने का तात्पर्य यही है कि म्युनिसिपैलिटियों को नकेल अपने हाथों में रखना है, अगर हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करने वाले लोग आ जावें तो उनको निकाल सकें । अगर देख भाल करने के लिये यह कानून बनाया गया होता तो जरूर ऑडिट करने का कानून बनाते ।

इसलिये माननीय चेअरमैन मैंने जितनी आवश्यक क्लॉज़ेज़ थे जिनका कि उल्लेख करना आवश्यक था उनका मैंने उल्लेख किया, वैसे तो सैकड़ों क्लॉज़ेज़ ऐसे हैं जिनमें कि संशोधन करना जरूरी है ।

जो तात्विक सिद्धान्त की बातें हैं उन पर पुनर्विचार होना चाहिये, पुनर्विचार करने के लिये न सिर्फ सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय......

श्री हरीराम निनामा—चेअरमैन महोदय, आपका सिद्धान्त क्या है ?

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास (जारी)—माननीय चेअरमैन, आप मेरी मदद करें कि माननीय सदस्य मुझसे क्या स्पष्टीकरण की आशा कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया ।

श्री भैरूसिंह—यह मुश्किल माननीय चेअरमैन महोदय के सामने भी है कि उन्होंने क्या कहा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो मेरे माननीय मित्र जानने की इच्छा रखते हों वह दरियाफ्त कर लें ।

श्री हरिराम—मैं तो आपका सिद्धान्त जानना चाहता हूँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे सिद्धान्त जानना चाहते हैं कि जिसके आधार पर सरकार को ठीक किया जावे । मेरा प्रस्ताव भी इसी प्रकार का है...

श्री हरिराम—जी नहीं , हरगिज नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे माननीय मित्र ने बिल्कुल ठीक फरमाया । मेरे प्रस्ताव की मंशा है प्रजातान्त्रिक बनाना । सरकार का यह सिद्धान्त नहीं है, यह आपने ठीक ही फरमाया ।

श्री हरिराम—सरकार का सिद्धान्त बिल्कुल ठीक है । आप जिन उसूलों पर बक रहे हैं, बिल्कुल गलत है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना तो नहीं चाहता मगर जो इन्होंने कहा है उसके लिये कुछ कहना पड़ता है । मेरा उनका कोई ऐसा खाता तो है नहीं । मेरे माननीय मित्र को आप समझा दें कि "बक रहे हैं" ऐसे शब्द न कहें । ये माननीय मित्र नया खाता खोलना चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि उनको यह खाता महंगा पड़ेगा ।

श्री सभापति—"बक रहे हैं" शब्द वाजिब नहीं हैं ।

("हिअर हिअर" की विरोधी दल की तरफ से आवाज)

श्री हरिराम—मैं इन शब्दों को वापिस लेता हूँ ।

श्री भैरूसिंह—"बक रहे हैं" के स्थान पर कौन से शब्द प्रयोग करने चाहियें, यह बतला दिया जाए ।

श्री सभापति—order ! order !!

श्री हरिराम—हां, बतावें ।

Page No.54

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेअरमैन महोदय, मुझे कुछ अंदेशा ऐसा मालूम होता है कि इसका कुछ परिणाम न हो जावे। इसलिये ट्रेजरी बेंचेज़, की तरफ से इनको कुछ डाइरेक्शन दी गई है और ये बोल रहे हैं।

श्री हरिराम—मैं अकसर समझता हूँ......

श्री सभापति—order ! order !!

श्री भैरूसिंह—On a point of ine point of information sir.

श्री हरिराम—मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे आदिवासियों का क्या भला होगा मेरी यह अर्ज है कि.... ..

श्री सभापति—order ! order !!

श्री भैरूसिंह—On a point of information, Sir, जिस वक्त माननीय सदस्य बोल रहे थे उस समय उनके कन्धों पर हाथ रख कर उनको बिठाये जाने की कोशिश की। क्या यह सदन में शोभा की बात हैं ?

श्री सभापति—यह तो आपसी व्यवहार है।

श्री भैरूसिंह—कहीं इसका दुरुपयोग नहीं हो जावे।

श्री सभापति—Now no disturbance. We must carry on with the work.

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमैन महोदय, चूंकि सिद्धान्तों के बारे में मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया गया है इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि न सिर्फ एक आदेश देकर सभापति को हटा सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं जिसको वे चाहें उसको रोका जावे और इसको ज्यादा प्रजातान्त्रिक बनाया जावे। एक हुक्म में किसी को हटा देना या भंग कर देना यह एक नौकरशाही ढंग का शासन है। आज के युग में हम विधान सभा में आने वाले जनता द्वारा चुने हुए होंगे और उसके बाद सेक्रेटेरियेट और उसके बाद सेक्रेट्री और उसके नीचे सुप्रिन्टेन्डेन्ट, थानेदार, तहसीलदार, पटवारी आदि जो भी नियुक्त होंगे वे सब ऊपर से नियुक्त होंगे इस प्रकार का ढांचा और राज्य शासन नहीं रहे बल्कि मैं यह चाहता हूं कि चुने हुए लोगों को अधिकार दिया जावे और पब्लिक को महज उनको चुनने का ही नहीं बल्कि उनको यानि चुने हुए सदस्यों को वापिस बुलाने का भी अधिकार हो। इस प्रकार का एक unremovable ढांचे का शासन बना कर प्रस्तुत कर सकें। इस दृष्टि से मैंने यह प्रस्ताव रखा है और आशा करता हूं कि इसको स्वीकार किया जावे। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे ताकि सिर्फ सदस्यों को हटाने के बारे

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में ही नहीं बल्कि कई दूसरे कन्ट्रोजिज़ भी हैं जिनका भी हल किया जाए और उनको सही रूप में लाया जावे।

इन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव सदन में स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं और उधर बैठने वाले कई सदस्यों की जिनकी भावना प्रजातन्त्र की ओर झुक रही है और वे इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि सम्बन्धित मंत्रीजी भी जो आज से १॥ साल पहले अलवर म्युनिसिपल बोर्ड के चेअरमेन थे, उस स्तर पर इस पर विचार करेंगे तो इसको मंजूर भी करेंगे। इसलिये मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय चेअरमेन, मेरा भी यही प्रस्ताव है कि इसको वापिस उसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार का एक Act उदयपुर सिटी कोरपोरेशन Act के नाम से उदयपुर में १० साल पहले मेवाड सरकार ने बनाया था। उसमें यह अधिकार दिया हुआ था कि वह जो फैसला कर देता उसकी अपील कहीं नहीं होती था लेकिन आज यहां पर इस बिल में यह प्रोविजन रखा गया है कि सिटी में अपील कमीश्नर के पास होगी और टाउन्स में कलेक्टर के पास। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि आज हम जिन सिद्धान्तों के द्वारा सोशियल पेटर्न कायम कर रहे हैं और जनता के लोगों को ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं और चुने हुए व्यक्तियों को ज्यादा अधिकार देने की हमारा भावना है वह पूरी नहीं होगी और आप अपने अधिकार नौकरशाही के हाथ में सौंप रहे हैं। हमारे मेवाड में जो सिटी कोरपोरेशन Act था उसमें उन लोगों को ओटोनोमस पॉवर थे। उनका बजट कहीं पास नहीं होता था वे ही पास करते थे और सारा ही काम उसी तरह से होता था जिस प्रकार से स्वायत्त शासन में होना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा, कि हम कहते तो ऐसा हैं कि हमने आवडी अधिवेशन में यह पास किया है कि सोशियल पेटर्न हम चाहते हैं लेकिन आप यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक जनता को सिटी कोरपोरेशन से नफरत हो क्योंकि वे अधिकार जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की म्युनिसिपैलिटी में नहीं है। मगर जो अधिकार आपने इसके द्वारा प्रतिनिधियों को दिये हैं इससे आगे आने वाला युग आपको बतलाएगा कि आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटते जा रहे हैं। इसलिये मैं सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वे इन सारी बातों को जो जोधपुर से आने वाले सदस्य ने कही हैं और उनको दोहरा कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता, उन पर विचार करके इसको वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे जिससे कि हम इस पर ठीक प्रकार से सोच सकेंगे। पंचायतों के मामलों में भी पंचायतों की अपील तहसील पंचायत में होती है और आगे यहां पर आपने सिटी की अपीलें कमीश्नर के पास और टाउन की कलेक्टर के पास करने का अधिकार दिया है, जो सरकार का एक ब्यूरोक्रेटिक टाइप है। अगर आप यह चाहते हैं कि उसकी अपील हो तो आप राज्य सरकार में सारी ताकत रखने के बजाय यह कहते कि अगर उसकी अपील हो तो उसके लिये

[श्री जगतसिंह झाला]

आप अपील रख सकते थे और कह सकते थे कि इसकी अपील डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के पास होगी। इसका मतलब यह होता कि आप उस पर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखल नहीं कर सकते; और लोगों को उचित इन्साफ मिलता। आपने यहां पर कलेक्टर और कमिश्नर को अधिकार दिये हैं जिनसे आपके टेलीफोन हमेशा मिले रहते हैं और जो पब्लिक यह चाहती है कि हमारा न्याय हो उसको न्याय नहीं मिल सकता है। उनको कोई न्याय नहीं मिलेगा और उनका पैसा न्याय के लिये जो खर्च होगा उसका दुरुपयोग होगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे।

आप यह कहते हैं कि राजाओं में प्रतिक्रियावादी भावनाएं थीं। राजाओं के कानून प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर नहीं थे। आपके बनाये हुए कानून प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर होने चाहिये। मैं भी सिलेक्ट कमेटी का सदस्य था। मैंने इसके लिये निवेदन किया कि इसमें जिस रूप से विचार किया जाना चाहिये था नहीं हुआ। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको दुबारा उसी सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किये जाने का मेरा प्रस्ताव है उसको स्वीकार करेंगे।

कुं० श्री **जसवंतसिंह**—मिस्टर चेयरमैन, सर, म्युनिसिपेलिटीज़ के बिल की जो सिलेक्ट कमेटी इस सदन द्वारा नियुक्त की गई थी उसका मैं भी एक सदस्य था और आम तौर पर यह प्रथा है जिसको कि अंग्रेजी में या पार्लियामेन्टरी वर्ड्स में 'कन्वेन्शन' कहते हैं, कि आम तौर पर प्रवर समिति के सदस्य ऐसी बहसों में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनको जो कुछ कहना था वह प्रवर समिति में कह चुके हैं और उस रिपोर्ट के भागी होने के नाते उन्हें जनरल सपोर्ट उस कमेटी को रिपोर्ट को देना चाहिए। मिस्टर चेयरमैन सर, इस कन्वेन्शन को तोड़ने के लिए मैं जो यहां खड़ा हुआ हूं उसका सिर्फ कारण यह है कि मैं इस कमेटी की किसी मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता था, लेकिन यह न समझा जाय कि मैं जानबूझ कर शामिल नहीं हुआ। परन्तु कुछ स्थिति ऐसी हो गई थी कि जिसके कारण, यानि इस म्युनिसिपल प्रवर समिति की जो बैठक होती थी उसके साथ साथ पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी (जन लेखा) या दूसरी कमेटियों की बैठक साथ साथ होती रही थीं और मैं उन कमेटियों का भी सदस्य होने के कारण वहां मुझे जाना पड़ा था और इस कमेटी की बैठकों में शामिल नहीं हो सकता था और इसलिए मैं अपने विचार वहां प्रकट नहीं कर सका। इसीलिए मैं आज्ञा चाहता हूं कि अपने भाव इस वक्त प्रकट करूं।

मैं इस रिपोर्ट पर आऊं उसके पहले जो प्रवर समिति में वापिस इस बिल को भेजने के लिए जोधपुर से आये माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है उसके मुतल्लिक कुछ कहूंगा। मैं नहीं समझ सका कि वापिस इस रिपोर्ट को प्रवर समिति में भेजने से क्या अर्थ निकलेगा? जो कुछ माननीय सदस्य इस बिल में तब्दीली कराना, चेन्जेज़ कराना चाहें वे इस सदन में हो सकती हैं। प्रवर समिति ने महीनों तक इस पर विचार किया है और एक बहुत बड़ी पुस्तक रिपोर्ट के रूप में हमारे सामने रखी है। माननीय सदस्यों के भिन्न भिन्न विचार इस विषय पर हो सकते हैं और वे अपने

[कु'० श्री जसवंतसिंह]

विचार इस सदन में जनरल बहस के वक्त भी प्रकट करेंगे और अमेंडमेंट्स द्वारा भी प्रकट करेंगे, तो जो प्रस्ताव रखा गया है कि इसको वापिस प्रवर समिति में भेज दिया जाय, एक तो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरा मेरे पूर्व वक्ता ने इस पर वापिस विचार करने के लिए रखा है, पूर्व वक्ता ने तो अपने विचार भी रख दिये हैं, तो दुबारा इसको प्रवर समिति में भेजने से मतलब मैं नहीं समझ पाया। मेरा विचार है कि इस बिल पर सदन में समय निकाल कर जितना जल्दी विचार करें उतना ही प्रान्त के हित की बात है क्योंकि कई जगह या तो म्युनिसिपैलिटीज़ काम नहीं कर रही हैं और यदि कर रही हैं तो पुराने कानूनों के नीचे। वह अप्रजातान्त्रिक काम होगा यदि इसमें देरी लगावेंगे तो।

मेरे मित्र जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया और वे एक बहुत अच्छा भाषण देने वाले भी हैं। उन्होंने कुछ विचार प्रकट किये, उनमें से मैं दो पहलुओं पर कहना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं नहीं कह सकता कि किस प्रकार इतना जोर इस बात पर दिया कि जिस चेयरमैन पर नो कान्फिडेन्स मोशन, अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा रहा है वह ही इसका सभापतित्व करेंगे और अगर वे चाहें कि आधा घंटा देरी से आवें तो उस प्रस्ताव को स्थगित कर सकते हैं और उन पर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जायगा वह कोई माने नहीं रखेगा मैंने क्लॉज़ ५४ जिसका कि उन्होंने उल्लेख किया है, को देखने की कोशिश की तो मुझे देखने को नहीं मिला कि चेयरमेन किस प्रकार सभापतित्व उस मिटिंग का करेगा। इसमें प्रेस्काइब्ड अथोरिटि है तो इस एक्ट के ताबे रूल्स बनेंगे तो उनमें निःसंदेह कहा जायगा कि चेयरमैन प्रेस्क्राइब्ड अथोरिटी नहीं होगा, कोई दूसरा ही होगा। बहुत अच्छी स्टडी करने वाले माननीय सदस्य हैं और जो कुछ सदन में कहते हैं वे अच्छी जानकारी करके कहते हैं लेकिन मालूम होता है कि उन्होंने इस पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया और उनका खास हमला (मेन अटेक) इसी बात पर था; दो पहलू पर था, एक तो यह अविश्वास का प्रस्ताव और दूसरा टेक्सेशन। अविश्वास के प्रस्ताव पर उन्होंने इतना जोर दिया जिसके देने की आवश्यता नहीं पड़ती अगर वह देखते कि चेयरमेन उस मीटिंग का सभापतित्व नहीं करेगा जिसमें अविश्वास का प्रस्ताव लाया जायगा लेकिन प्रेस्काइब्ड ओथोरिटी करेगा और वह ओथोरिटी। जो नियम बनेंगे उनमें दूसरा ही नियुक्त होगा। अगर उनका यह मत है कि यह बिल बिल्कुल रद्दी है और वापिस प्रवर समिति के पास जाय तो मैं आदर के साथ निवेदन करूंगा कि महज यह गलतफहमी है और यह ऐसा विषय नहीं बन जाता है कि यह दुबारा प्रवर समिति में जाय।

दूसरा उन्होंने जोर टेक्सेशन पर इसलिए दिया कि वे एक साम्यवादी संस्था के एक माननीय सदस्य हैं और जहां पैसे का या रुपये का सवाल आता है तो उनको वाकई में गुस्सा आता है कि उनके पास ज्यादा पैसा ही क्यों हो और उन्हें इसके लिए दोष भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे

[कु० श्री जसवंतसिंह]

ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिससे कि उनको कहना चाहिए और शायद उसमें विश्वास भी करते हैं, तो पार्टी के सिद्धान्त के रूप में और निजी सिद्धान्त के रूप में अक्सर गुस्सा आ जाता है और लम्बे चौड़े विचार व्यक्त कर देते हैं। मैं माननीय चेयरमैन, इसके लिए उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रवर समिति ने क्लॉज ८७ में एक लम्बी चौड़ी लिस्ट दी है जिस पर कि म्युनिसिपैलिटीज़ को अधिकार होगा कि इस प्रकार का कर लगा सके। कुछ स्थानों पर, मैं भी उस बात से इत्तिफाक नहीं करता हूँ कि जो कुछ लिख दिया है वह दुरुस्त लिख दिया है। इसमें बहुत से कर ऐसे हैं जिन पर मुझे आपत्ति है और जब इस रिपोर्ट को सदन में लेंगे तब बहुत से संशोधन आवेंगे और बहुत से माननीय सदस्य भाषण देंगे कि बहुत से कर हटा दिये जांय। लेकिन उन्होंने जो दिलचस्पी गरीब आदमियों पर दिखलाई और उस बिल के विरुद्ध उन्होंने ऐसे उदाहरण दिये और उन्होंने जो सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाईटी कांग्रेस सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति है उस पर भी उन्होंने बहुत लम्बा चौड़ा भाषण दिया और खास तौर पर उनका हमला राजाओं पर हुआ। उनका तो यह सिद्धान्त ही है कि उनसे ज्यादा जिनके पास पैसा हो उनसे छीन लिया जाय, उनसे कम हो तो नहीं छीना जाय, बराबर हो तो नहीं छीना जाय, लेकिन उनसे ज्यादा हो तो छीन लिया जाय; यह तो उनकी पार्टी का और खुद का सिद्धान्त है इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन हर प्रकार की बात कहना कुछ व्यक्तियों के लिए, कुछ तत्वों के लिए जैसे अंग्रेजी में कहावत है "in season and out of Season" मौके बे मौके रात दिन हमला हो यह स्वभाविक हो गया है, यह भी एक सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी का कायदा नहीं है।

उनका अपना दृष्टिकोण होगा, उन्होंने अपना खयाल बताया। उनका यह कहना उनकी पार्टी के सिद्धान्तों के अनुकूल हो सकता है किन्तु मैं निवेदन करूं चेयरमैन महोदय, जो जेन्टलमेन होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं या ऊंचे सिद्धान्त मानने वाले राष्ट्र होते हैं उनके सामने भी वादे और जबान की पाबन्दी भी बहुत कुछ मायने रखती है। एक दूसरे विषय पर बोलते हुए मैंने इसी सदन में बतलाया था कि डाकुओं और चोरों में भी आन का सवाल (कोड ऑफ आनर) होता है। कई बातें उनमें ऐसी होती हैं कि भले आदमी जो बातें नहीं कर सकते वे करते हैं। कुछ डाकुओं के बारे में यहां तक सुनने को मिला है कि स्त्रियों, ब्राम्हणों और गरीब आदमियों पर वार नहीं करते चाहे उनके पास कितना ही धन हो, उनके लिये पैसा मिलना ही आवश्यक नहीं है। उन्होंने जो सिद्धान्त बना लिया है कि चाहे कितना ही पैसा ब्राम्हण, या स्त्रियों के पास हो वे नहीं लेंगे और और दूसरे वर्ग जिनके पास पैसा है उन पर वे हमला करेंगे।

भारत जो कभी छोटे राष्ट्रों में था आज उसका नाम बड़े राष्ट्रों में है। भारत ने दुनियां में नाम क्यों कमाया क्योंकि उसने एक सही मार्ग अपनाया सत्य का, उसने सही दृष्टिकोण अपनाया, सही सिद्धान्त अपनाया, इसलिये आज भारत का नाम ऊंचे राष्ट्रों में गिना जाता है। उसने अपना मोटो रखा सत्य की राह चलना; उसी रास्ते को हमें भी ग्रहण करना है। भारतवर्ष को जब

[कु० श्री जसवंतसिंह]

स्वराज्य मिला उस वक्त भारत के सामने, गांधीजी के सामने हमारे नेताओं के सामने बड़ी बड़ी समस्यायें थीं। उन समस्याओं का हल करने के लिये उन्होंने एक रास्ता सत्य का ग्रहण किया, कुछ वादे किये उन राजाओं के साथ, उन्होंने वादे किये और वे वादे यह किये कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया उस त्याग की प्रशंसा महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ही की हो यह बात नहीं, आज भी वे उन राजाओं के त्याग का उल्लेख करते हैं। अगर सोशियलिस्टिक पेटर्न ओफ सोसायटी के यही मायने हों कि भले आदमियों से वादा करके, उनका विश्वास ग्रहण करके, उनसे काम लेकर जब आपका काम सिद्ध हो गया उनका गला काट दे, अगर आपके सोशियलिस्टिक पेटर्न ओफ सोसायटी की यही तारीफ है तो मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि आपने इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया तो भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्र में आज तक जितना नाम कमाया वह नाम आप एक महीने के अन्दर खो देंगे। आज जिन राजाओं के पास राज रह गया, वे नाम मात्र के राजा हैं; जो भी समाप्त हो जायेंगे लेकिन जो आपने वादे किये, अमुक तत्वों के साथ वादे किये उसमें जहां ओनरेबल आदमी होते हैं जो अपनी जुबान का मूल्य रखते हैं उनके लिये तो यह पाबन्दी बन जाती है कि वे अपनी जुबान पर कायम रहें। माननीय मित्र को गुस्सा राजाओं के नाम पर आता है; जैसे 'Red rag to the bull' यानी स्पेन में एक खेल किया जाता है जिसमें एक मनुष्य और सांड (Bull) के बीच लड़ाई होती है और सांड हमला कर सके इसलिये लाल रुमाल दिखाया जाता है। रुमाल को देखते ही सांड को गुस्सा आने लगता है। उसी प्रकार हमारे माननीय मित्र को राजा के नाम पर ही ऐसा गुस्सा करना स्वाभाविक ही है। जो जुबान सरकार द्वारा दे दी गई है उसको तोड़ना ही सोशियस्टिक पेटर्न ऑफ सोसायटी के यही मायने हैं तो मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसी सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसायटी का नाश हो, ताकि भारत का भला हो सके।

लेकिन वास्तव में सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी के यह मायने नहीं। उसमें गुण है और उसी गुण को हमें ग्रहण करना चाहिये। जो वादे हमने इज्जत के साथ किये उन वादों को, जब अपना काम बन गया, तोड़ दें तो यह वैसा ही होगा जैसी एक मारवाड़ी में कहावत है कि जिस हान्डी में खाये उसी को फोड़ना। राजाओं ने जो त्याग किया वह इसलिये किया कि भारत की एकता मजबूत बन सके भारत का आज जो मान है उसको कायम रखने के लिये राजाओं ने त्याग किया। उस वक्त उनके साथ एग्रीमेन्ट्स हुये थे कि अमुक अमुक कर नहीं लगाये जायेंगे, आज उनके साथ इस प्रकार की रियायत देखते ही गुस्सा आता है सज्जन आदमी के लिये, सत्यवादी आदमी के लिये, सत्यवादी राष्ट्रों के लिये, तो यह शोभा नहीं देता कि अपने स्वार्थों को पूरा करने के बाद में जो वादाबन्दी की उसको तोड़ दिया जावे।

मैं मेरे माननीय मित्र से इस विषय में यह कहूँगा कि राजाओं ने किस कारण सैकड़ों वर्षों से चली आ रही अपनी सत्ता को बड़े, राज्यों को करोड़ों और लाखों रुपयों की आमदनी को, राष्ट्र के हित में छोड़ दी। उसकी एवज में थोड़े अर्से के लिये कुछ सुविधायें प्रदान की गई हमारे संविधान

[कुं० श्री जसवंतसिंह]

द्वारा लेकिन मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूँगा कि उनके पास मोटर साइकिल है; उनसे और उनके मुकाबले ऐसे गरीब आदमी भी हैं जिनको सुबह का खाना प्राप्त है तो शाम का नहीं, ऐसे भी कई गरीब आदमी हैं जिनको दोनों समय का खाना भी नसीब नहीं, उनके मुकाबले में मेरे मित्र पूंजीवादी हैं। मैं मेरे माननीय मित्र से यही कहूँगा कि उन व्यक्तियों के मुकाबले मेरे मित्र भी पूंजीवादी हैं। जब पूंजीवाद के नाम पर उनको रोष आता है तो वे अपने सूट बूट को छोड़ दें और मोटर-साइकिल भी छोड़ दें, ऐश आराम भी छोड़ दें और उन व्यक्तियों में शामिल हो जांय जो रात दिन सड़क पर भिक्षा मांगते फिरते हैं, जिनके पास न पहनने को कपड़ा है और न खाने को अन्न। लेकिन यह हिम्मत उनमें नहीं, वे साम्यवादी हैं इसलिये पूंजीवाद के विरुद्ध हैं और उनका जब तक उस पार्टी से ताल्लुक है यह कहना भी ठीक है। इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये उन्होंने यह भी दलील दी कि इसमें राजाओं को कर से मुक्त कर दिया गया और गधों पर टेक्सेज़ लगा दिये गये, यह लगा दिया, वह लगा दिया;यह कहना उनके कोई मायने नहीं रखता। यह चीज तो ऐसी है कि हमारे संविधान द्वारा उनको इन चीजों की गारन्टी है, यह उनके कहने से हटने वाली नहीं ; यह तो हिस्सा बराबर रहेगा। ये दो विषय उन्होंने खास तौर से कहे जिनके द्वारा उन्होंने चाहा कि इस बिल को फिर प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता और मैं इसका विरोधी भी हूँ कि इसको प्रवर समिति को पुनः भेजा जाय।

इस रिपोर्ट के मुतल्लिक दो चार बातें और मुझे कहनी हैं। सब से पहले मैं खुशी प्रकट करूंगा इस रिपोर्ट के लिए कि हमारे इस बिल में पहला क्लॉज़ था उसके माफिक हमने नामजद सदस्यों को कायम रखा था लेकिन प्रवर समिति ने नोमीनेशन्स को बिल्कुल हटा दिया है। सब म्युनिसिपैलिटी के सदस्य होंगे; वे चुने हुए होंगे यह प्रगतिशील कदम प्रवर समिति ने उठाया है लेकिन कुछ इसमें ऐसे विषय भी हैं जिन पर मैं कुछ कहना चाहूंगा, जिसका मेरी राय में इस सदन द्वारा दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

सब से पहले जिस बात के लिये निवेदन करूंगा वह बात मेरी समझ में नहीं आई; सिटी म्युनिसिपैलिटी और टाउन म्युनिसिपैलिटी, ये दो प्रकार की म्युनिसिपेलिटीज का भेद क्यों रखा गया ? मैंने इस रिपोर्ट को जो बहुत लम्बी-चौड़ी है, जिसमें करीब १८० पेज हैं इसको देखने की बहुत कोशिश की कि यह सिटी म्युनिसिपेलिटी और टाउन म्युनिसिपेलिटी दो अलग अलग क्या चीजें हैं। जितना ज्यादा पढ़ने की कोशिश की तो मुझे इसमें कुछ मतलब देखने में नहीं आया और न समझने में आया। सिर्फ मैं तो यह समझा कि जो अपीलें कुछ मुद्दों की टाउन म्यूनिसिपैलिटी की होंगी वे कलेक्टर के पास जावेंगी और सिटी म्युनिसिपेलिटी की जो अपीलें होंगी वे कमिश्नर के पास जावेंगी कुछ मुद्दों में। तो सिर्फ इतनी बात के लिये ये दो किस्म की म्युसिपैलिटियां बनाना मैं तो कुछ ठीक बात नहीं समझता।

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

इसके अलावा इसमें इतनी छोटी-मोटी बातें लिख दी गई हैं और इतने विस्तार से कि इन बहुत सी बातों के बारे में तो मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि अधिकांश बातें तो लागू ही नहीं होंगी और उनसे जो मतलब निकालना चाहते हैं वह सिद्ध नहीं होगा और कुछ बड़े बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिनमें गलत चीजें आ जावेंगी और जिनसे मतलब नहीं निकलेगा और छोटी-छोटी म्युनिसिपेलिटियों में इतनी अधिक चीजें रख दी गई हैं जो लागू ही नहीं हो पावेंगी और बड़ी म्युनिसिपेलिटियों में इतने अधिक मुद्दे आ जावेंगे कि जिनसे गलत चीजें पैदा हों और कोई मतलब नहीं हल होगा। तो यह कन्फ्यूजन दो तरह की म्युनिसिपेलिटियों का रखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिवाय इसके कि एक की अपीलें कलेक्टर के पास और दूसरी की अपीलें कमिश्नर के पास हों।

मेरा तो ऐसा भी ख्याल है कि मुमकिन हो सकता है कि जैसा दूसरे राज्यों में है कमिश्नर की पोस्ट ही हट जावे और इसके लिए तो हमारी एस्टीमेट कमेटी ने सिफारिश भी की है कि कमिश्नर का पद फालतू है और सुपरफ्लुअस है; इसके कोई माने नहीं निकलते। ये कमिश्नर और कलेक्टर दोनों ऐसे पद हैं जिन पर आई. ए. एस के अफसर नियुक्त किये जाते हैं। तो फिर यह भेद जो रक्खा गया है किसी रूप में, किसी स्थिति में उपयुक्त मालूम नहीं होता। सम्भव है कमिश्नर का पद नहीं रहे तो क्या होगा। फिर वही सबसे बड़ा कलेक्टर ही होता रहा। और कमिश्नर का पद तो ऐसो बात है जिसको खास कोई रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं है, खाली सुपरविजन करना और अपीलें सुनना, यही है। हर प्रकार से किसी की रेस्पोन्सिबिलिटी है तो कलेक्टर की है। तो इस वजह से भी यह भेदभाव कोई माने नहीं रखता।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

भारत के दूसरे राज्यों में तो देखा जावे तो म्यूनिसिपल एक्ट्स होते हैं, अगर कहीं फर्क करना चाहें तो कॉरपोरेशन होते हैं। अभी हमारे उदयपुर से आने वाले एक माननीय मित्र ने इस विषय पर काफी जोर दिया है और कहा है कि जो एक रजवाडे के राज्य के समय एक जगह प्रोग्रेसिव कदम उठाया गया था उसे इस बिल द्वारा वापिस लिया जा रहा है और यह अप्रजातान्त्रिक बात है। थ्योरी में तो ठीक बात मालूम होती है उनकी यह, पर उस वक्त जिस वक्त वहां कारपोरेशन बनाया गया था उदयपुर की स्थिति ऐसी थी कि वह एक राज्य की राजधानी थी और वहां पर उस समय में कॉरपोरेशन बन गया था। पर आज की स्थिति में यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान की तो आप बात छोड़िये हिन्दुस्तान भर में कितने कारपोरेशन हैं, मैं यह जानना चाहूंगा। जहां तक मेरा ध्यान है हिन्दुस्तान में अब तक सिर्फ तीन कॉरपोरेशन हैं बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, । और एक मित्र शायद बेंगलोर बता रहे हैं, है या नहीं, मैं निश्चित तौर से यहां के लिए नहीं बता सकता। पर आम तौर पर सुनने में सिर्फ तीन ही जगह के लिए आता है। दिल्ली शहर, जिसकी आबादी बीस लाख, पच्चीस लाख तक पहुंच गई है

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

और जो भारत की राजधानी है, जहां पर कि इतने बड़े बड़े अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्री नेता लोग हैं और दूसरे एम्बेसेडर्स हैं और इस कारण जिसका एक विशेष पद है, हमारी वह राजधानी भी है सारे देश की, पर वहां पर भी कॉर्पोरेशन अभी नहीं बना है।

यदि हमारे राज्यकी मजाक उड़वानी है तो फिर भले ही हर सिटीके लिए पचास हजार, साठ हजार वाले शहर के लिए भी एक कारपोरेशन बना दें। तो इस तरह यह तो एक मजाक सी होगी। हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा कस्बा जयपुर है, जिसमें करीब ढ़ाई लाख, तीन लाख के आबादी है। पर भारत में बीस-पच्चीस ऐसे बड़े बड़े कस्बे हैं जो जयपुर से दो-तीन गुनां बड़े हैं और जहां का नैतिक स्तर भी यहां से कहीं ऊंचा है, जहां लोगों में लिट्रेसी भी कहीं ज्यादा है, जहां के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ज्यादा समझने वाले हैं, वहां पर तो कॉरपोरेशन हैं नहीं और हम चाहें कि हमारे यहां राजस्थान में हम चार-पांच जगह पर कारपोरेशन बना दें क्योंकि अगर उदयपुर में कॉरपोरेशन होगा तो यह सही बात है कि चार पांच जगह और भी होंगे। तो मैं निवेदन करूं कि उनकी यह कॉरपोरेशन उदयपुर में बनाने की जो भावना है वह तो स्थानीय भावना है, वैसे इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उनको यह बात फील होती है और दुख होता है कि जिनको राजा के राज्य में कॉरपोरेशन का पद मिला वह आज तोड़ा जा रहा है। शायद यहां तक नौबत आ जावे कि उसका सिटी म्यूनिसिपैलिटी का रूप भी न आ पावे। यहां तो प्रजातन्त्र है आज, जनता के बहुमत का सवाल है, पार्टीज़ का और परसन्स का सवाल नहीं है। इस सदन में भी बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो अपने आपको अधिक बुद्धिमान समझते हैं पर प्रजातन्त्र में तो बहुमत के अनुसार ही कार्यवाही होगी। तो इसलिए अगर जिस जगह बहुमत की संख्या ज्यादा होगी, उसी प्रकार से वहां की म्यूनिसिपैलिटी को हक़ हक़ूक होंगे। तो इसमें एक बुरी भावना का सवाल नहीं है। यह तो एक जनसंख्या और जनतन्त्र का और संख्या का सवाल है। तो अगर कॉरपोरेशन भी कायम करना होगा तो इस बिल से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको नया कानून बनाना पड़ेगा और उनकी फिर बहुत सी विशेषताएं भी हैं, पॉवर्स भी हैं। कॉरपोरेशन होने के बाद में सरकार की मदद वह नहीं ले सकता। मैं नहीं समझ सकता कि जयपुर तक भी इस स्थिति में है, इसमें इतने ज्यादा टेक्स लगाने पड़ेंगे कि आपको फिर अधिकार नहीं होगा कि सरकार के द्वारा कोई रुपयेकी मदद मांगें आप। मैं तो यह कहता हूँ कि इस दृष्टिसे राजस्थान में कौनसी ऐसी म्यूनिसिपैलिटी है जो अपने पैरों पर आप खड़े हो सकती है। में जानना चाहूंगा स्वायत्त मन्त्रीजी से या अन्य सदस्यों से कि ऐसा कौनसा शहर राजस्थान में आज है जो राज्यसे एक पैसा न ले और फिर अपना कॉरपोरेशनका रूप रखकर स्वतन्त्र रूपसे चल सके। राजस्थानकी स्थिति और म्यूनिसिपैलिटियों की यहां की खास करके ऐसी स्थिति है कि वे अपने पैरों पर आप खड़ी नहीं हो सकतीं। उनको तो अभी काफी अरसे तक लाखों रुपयों की मदद सरकार द्वारा दी जानी होगी और कई वर्षों तक दी जानी होगी। अगर कोई हमारी उदयपुर की म्युनिसिपैलिटी या कारपोरेशन इस बात का

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

वादा करे कि हम राजस्थान सरकार से एक पैसा नहीं लेंगे और हम फिर भी अपना स्टेन्डर्ड कॉरपोरेशन का रख सकेंगे तो मैं जरा निवेदन करूंगा कि इस एक्ट से फिर उदयपुर को अवश्य निकाल दिया जावे और उसके लिए दूसरा कानून लाया जा सकता है। पर मैं जानना चाहूंगा कि इतना बोझा क्या उदयपुरका कॉरपोरेशन बर्दाश्त कर सकता है। मैं नहीं कह सकता कि राजस्थानकी सरकार आज भी उसे मदद देती है या नहीं।

(आवाज "देती है")

तो अगर राजस्थान सरकार से मदद लेता है तो फिर वह कॉरपोरेशन कैसे हुआ? और ये नाम से ही कॉरपोरेशन कहलाने को राजी हों तो बात दूसरी है। तो मेरा यह कहना है कि अगर कारपोरेशन स्वतन्त्र रूप से बनाया भी जावे तो इतने अधिक टैक्सेज लगाने पड़ेंगे कि जिनको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अभी जनतान्त्रिक राज्य में वैसे भी टैक्सेज जनता पर लगेंगे और उन्हें बर्दाश्त भी करना होगा। पर हमें उन टैक्सों का अनुभव अभी नहीं हुआ है। राजाओं के राज्य में टैक्स नहीं थे। अगर आप एक स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक राज कायम करना चाहेंगे तो आपको ओब्लीगेशन्स और कमिटमेन्ट्स दोनों झेलने होंगे और टैक्सों का बोझ बर्दाश्त करना होगा। मैं जयपुर को भी इस बात के लिये योग्य नहीं समझता कि वह कॉरपोरेशन बन सकता है क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता।

इसके लिए आपके पास बड़ी उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। अगर कॉरपोरेशन आप रखेंगे तो उस उच्च शिक्षाके लिए अभी आपको समय लगेगा। आपको अपना नैतिक स्तर इतना ऊंचा बढ़ाना पड़ेगा कि जिसके लिए सब जनता इस बातका आपमें विश्वास करले कि जो कार्य आप करेंगे उससे उन्हें संतोष हो। मुझे खुद से पूछा जाय कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी को, मैं बीकानेर का रहने वाला हूं, बीकानेर की म्युनिसिपैलिटी के लिए पूछा जाय कि उन्हें पूरे अधिकार (फुल पावर्स) देदें या किसी ऑथोरिटी के पास अपील भी हो तो मैं खुल्लमखुल्ला यह कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि मैं कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होऊंगा कि बीकानेर म्युनिसिपैलिटी को सब अधिकार दे दिया जायं कि जो चाहे वह करे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा अगर होगा तो अनर्थ हो जायगा। पूरा अनुभव नहीं होने के कारण, शिक्षा नहीं होने के कारण आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं होने के कारण कुछ ऐसे कार्य उनसे बन पड़ेंगे कि जिनसे तबाही हो जायगी। तो इस वजह से मैं निवेदन यही करूंगा कि मेरी राय में अभी समय नहीं आया है कि जहां कोई राजस्थान का शहर कॉरपोरेशन होने के योग्य हो। अगर कोई हिम्मत करे कॉरपोरेशन अपने को कहलाने की तो सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता लेने की उसे आशा नहीं करनी चाहिए और अपने पैरों पर सब कमिटमेंट्स, जो कि एक कारपोरेशन कर सकता है, उनको लेना होगा। ऐसी स्थिति में राजस्थान का कोई शहर इसके योग्य नहीं है, इस वक्त यह मेरी राय है।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

लेकिन सिटीज़ एण्ड टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ का जो भेद इसमें रखा गया है, मैं समझता हूं, यह बिल्कुल गलत है। डिवीजनल सिटीज़ या दूसरे शहर हों, मुमकिन हो कि ऐसा आप करें तो मेरे माननीय मित्र उससे खुश हो जांय तो उसके लिए अलग कानून बनाया जाय। इसमें सिटी म्युनिसिपैलिटी और टाउन म्युनिसिपैलिटी का भेद भाव करना बिल्कुल गलत है और कोई मायने नहीं रखता है।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है मेरे माननीय मित्र को शायद संतोष हो जाय कि जो कुछ रोष दूसरी जगह प्रकट होगा वह रोष नहीं होगा अगर सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ को डिवीनज़ल हैड क्वार्टर्स पर या कुछ जनसंख्या के लिहाज से कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ को टाला जाय। उनका और कुछ नाम दिया जा सकता है और उनको और ज्यादा अधिकार दिये जा सकते हैं लेकिन यह फर्क रखना जरूरी है और फर्क रखने से जहां तक मेरा ख्याल है मेरे माननीय मित्रों की जो समस्या है वह भी हल हो जायगी और यह जो टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ और सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ को जो नाम दिया गया है, ज्यादा अधिकार दिये गये हैं वह कुछ मायने नहीं रखता है। वह भी एक जो गलत चीज हो गई है वह भी ठीक हो जायगी।

अब, माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसमें इलेक्शन्स के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। यह जो चुनाव का प्रोविज़न इसमें रखा गया है कि जितने भी हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ के सदस्य होंगे वे सब चुने हुए होंगे, इसके लिए मैं अपना सन्तोष पहले ही प्रकट कर चुका हूं। मुझे सिर्फ माननीय मन्त्रीजी से एक निवेदन इसके विषय में करना होगा, वह यह करना होगा कि चुनाव की जो पद्धति होती है वह सब पद्धति क्लॉज़ २७ में और खास तौर से २७ (एफ) में रखी गई है, और आम तौर पर जो चुनाव के विषय में हुआ करता है वे सभी बातें इसमें रखी गई हैं, जैसे :

"(g) Adjournment of poll and fresh poll:

(h) Hours of polling;

(i) Manner of voting at elections;

(j) Identification of voters, etc. etc."

यह सब बातें रखी गई हैं। यह कागजों में और जहां तक यह बिल है उसमें बहुत अच्छे सिद्धांत हमें देखने में आये हैं और किसी की दो राय इसमें नहीं हो सकती है लेकिन इसमें हमारा बड़ा कटु अनुभव है। वह हमें अभी पंचायतों के इलेक्शन में देखने को मिला है और करीब करीब यही सिद्धान्त वहां पर भी हमें देखने में आये।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

लेकिन हमारा अनुभव क्या है ? किस तरह से हमें इस बात का संतोष होगा कि जो कागज़ों में यह बात रखीं गई हैं उसी प्रकार यह चुनाव कराये जायेंगे। अभी पंचायतों के चुनाव के विषय पर बोलते हुए मैंने मंत्रीजी को दूनी पंचायत के चुनाव का जिक्र किया था जहां पर कि तहसीलदार ने घोषणा कर दी थी कि चुनाव अमुक कारणों से नहीं होंगे, लेकिन जहां विपक्ष के कुछ आदमी चले गये तो फिर उसने चुनाव करवा दिया। मैंने माननीय मंत्रीजी से पूछा था कि क्या उपाय करेंगे तो उन्होंने कहा था कि कानून मुझे ऐसे अधिकार नहीं दे सकता है कि जिससे इस गलती को मैं सही कर सकता हूँ। तो मैं इस अनुभव को देखते हुए, हम तो यही चाहते हैं कि पंचायतों पर अमुक पार्टी ने एनकेन प्रकारेण कब्जा कर लिया और जो विरोधी पक्ष में थे वह देखते ही रह गये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन अब आ रहा है उसमें भी यही कोशिश की जा रही है कि विरोधी पक्ष एनकेन प्रकारेण उस पर कब्जा नहीं कर ले। जब कहीं बहस होगी तो कहा जायगा कि कानून है, कानून के मुताबिक चुनाव करवाये हैं और कभी बाद में एतराज हो तो कहेंगे कि कानून के मुताबिक अधिकार नहीं हैं और ज्यादती हो गई वह होगई। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अलावा स्वायत्त शासन का एक बड़ा मजबूत पहलू यह म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, जिसमें शहर पर कब्जा किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों का इलेक्शन करवा कर गांवों पर कब्ज़ा कर लिया। अब शहरों का विषय रह गया तो अब शहरों पर किस तरह से कब्जा किया जाय, वह कब्जा अब म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट के द्वारा हमारी सरकार इस सदन के सामने करने जा रही है। हम लोगों के सामने वही की वही चीज है "adjournment of poll and fresh poll, hours of polling, etc. etc." है लेकिन जैसा कि हमारा अनुभव है पुराना वही अनुभव हमें यहां पर देखने को मिलेगा, मैं मंत्रीजी से कहता हूं कि इसमें किस तरह से संतोष दिलायेंगे कि जो कागज़ों में लिखा है वही करते हैं, यह विश्वास के रूप में किस तरह से लिया जायगा ? सबसे पहले तो राजस्थान के जो आफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनका सवाल आ जाता है। मैं कम से कम शब्दों द्वारा तो यह वायदा मंत्रीजी से चाहूंगा जब कि वह बहस का जवाब देगें कि जो ऑफिसर ऐसी कार्यवाही करेंगे जैसी कि पंचायत ऑफिसर ने की है तो उनके साथ सख्त- से सख्त कार्यवाही की जायगी। तो फिलहाल हम संतोष कर लेंगे, और उसका संतोष प्रत्यक्ष रूप में इस बात से होगा कि पंचायतों के मामलों में जिन आफिसरों ने पक्षपात किया था दूनी के तहसीलदार के हाथ का लिखा हुआ पत्र है, नोटिस है, उसका करके बतलायेंगे कि आफिसर के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? जिनके साथ में अन्याय हुआ है उनको अगर राहत नहीं दे सकते हैं, अगर उनको न्याय नहीं दे सकते हैं तो कम से कम यह कह सकते हैं कि किसी आफिसर ने किसी कारण से, किसी आदमी को खुश करने के लिए, दबाव में आकर. डर कर कोई कार्यवाही कर दी है; उसी प्रकार म्युनिसिपेलिटीज में जहां पर कि सुशिक्षित व्यक्ति होंगे वहां कम से कम विरोधी पक्ष को और दूसरे पक्ष को भी किस तरह से हम अपने हक के मुताबिक अपने वोटों पर कब्जा करायेगें। लेकिन अधिकारियों द्वारा अपनी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए या दूसरे कारणों से ऐसा पक्षपात होगा जैसा कि वे जरूर करेंगे उसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे, यह हमें जानना जरूरी है ?

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

अब इस तरह यह से यह तो हुआ इलेक्शन का सवाल, और इलेक्शन के बाद में इलेक्शन पिटीशन्स । यह तो एक खुशी की बात है कि विधान सभाओं या संसद के चुनावों की पद्धति का इलेक्शन पिटीशन्स के लिए इस बिल में प्रोविजन रख दिया गया है । पहले दूसरी पद्धति थी, उसको हटा कर करीब २ वही प्रोसीजर जो विधान सभा और संसद के लिये होता है, वही पद्धति रख दी गई है । यह तो संतोषजनक है । पर हमें डर वही है जो आम चुनाओं में हुआ है । इलेक्शन पिटिशन की कन्डीशन्स, शर्तें रखी हैं , कैसी करप्ट प्रेक्टिस है विड्रावल ऑफ इलेक्शन पिटिशन की आदि २ । तो माननीय उपाध्यक्ष, निवेदन करूंगा कि पिछले चुनावों में हमको ऐसी बातें देखने में आईं कि प्रोसीजर बिल्कुल दुरूस्त था पर हमारी विधान सभा के सदस्यों के विरुद्ध इलेक्शन पिटिशन्स पेश की गईं और मैंने देखा कि उनसे स्वार्थ निकाला गया । मान लीजिये मेरे खिलाफ इलेक्शन पिटिशन थी तो कहा गया कि कांग्रेस में शरीक हो जाओ तो इलेक्शन पिटिशन विड्रा कर ली जाय । और जो जो लोग कांग्रेस में शरीक हो गये उनके खिलाफ इलेक्शन पिटिशन विड्रा कर ली गईं । हमारा कानून तो यह कहता है कि इलेक्शन पिटिशन एक दफा हो गई तो उसको फिर विड्रा नहीं कर सकते । पर यहां वे उदाहरण मिलते हैं कि इधर विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य जो उधर कांग्रेस में चले गये उनके खिलाफ जो इलेक्शन पिटिशन्स थीं उनको विड्रा कर लिया गया । तो इस तरह जो न्याय दूसरा पक्ष चाहता है वह नहीं मिलने वाला है, पर किसी प्रकार तो ठीक हो कि जो जनरल प्रोसिजर है इलेक्शन पिटिशन का वह इसमें ले लिया गया है

माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक निवेदन और करूंगा; वह यह है कि यह जो अपील्स हमने रखी हैं सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ की और टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ की वह कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के पास रखी हैं, यह न्यायोचित नहीं होगा । माननीय सदस्य इस पर पहले कह चुके हैं मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि जो राज्य कर्मचारी कलेक्टर और कमिश्नर्स हैं, और जैसी कि हमारे राज्य की स्थिति है उसको देखते हुए, हम लोगों का और हमारे अफसरों का नैतिक स्तर इतना ऊंचा नहीं हुआ है कि यदि सरकार हमारे से कोई अन्याय कराना चाहे तो हम वह अन्याय करने से इन्कार कर दें, हमारी हिम्मत नहीं होगी कि हम ऐसा कह सकें कि ऐसा नहीं होगा ।

हमारे संविधान में न्यायालय को ही इतना ऊंचा स्थान दिया गया है जिससे आम जनता को संतोष भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी द्वारा कोई अन्याय किया गया हो तो हमारे न्यायालय उसकी सुनाई करते हैं । कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के पास जायेंगे तो अन्याय की संभावना है, न्याय मिलने की संभावना नहीं है । इसलिये अपीलें कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के पास न जा कर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हैं, और जो जजेज वगैरह हैं उनको ऐसी अपीलें सुनने का अधिकार होना चाहिये न कि कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को ।

[कुं०श्री जसवन्तसिंह]

आगे इस बिल में क्लाज़ ५८ में माननीय उपाध्यक्ष, यहा का गया है कि हमारा कोरम म्युनिसिपैलिटी का होना वह कम से कम साधारण मीटिंग के लिये आधा होना चाहिये। हमारे भारतवर्ष में ही नहीं दुनियां में भी कहीं इस प्रकार की संस्था नहीं होगी जहां कम से कम आधी संख्या का कोरम से कम होने पर कार्य हो सके। हमारी विधान सभा में कई दफा देखने में आता है कि जहां १।१० वां हिस्सा कोरम है, १६० सदस्य हैं, उनमें से १६ सदस्य कई दफा नहीं मिलते हैं और सवाल सदन को स्थगित करने का आ जाता है।

हाउस ओफ पीपुल्स जो भारत की सबसे बड़ी सोवरेन बोडी है जो भारतवर्ष में जो चाहे कानून पास कर सकती है, सबसे बड़ी संस्था है, वहां पर ५०० सदस्य हैं; कई दफा देखने में आता है कि ५०० सदस्यों में से ५० सदस्य भी नहीं मिलते हैं जिसके कारण कई दफा हाउस ओफ पीपुल को स्थागित करने तक की नौबत आ जाती है। ब्रिटेन का हाउस ओफ कोमन्स जो कि मदर ओफ पार्लियामेंट है वहां ६०० सदस्य हैं पर वहां भी कोरम की डिफिकल्टी रहती है। सिवाय ऐसे मुद्दों के जहां विधान को उलट-फेर करना होता है वहां दो तिहाई सदस्यों की हाजिरी जरूरी हो जाती है। पिछले महीने में देखने को मिला कि संविधान का संशोधन करने में हमें वहां भी सपयुक्त संख्या नहीं मिली और जिसके लिये बड़ी समस्या आ गई।

तो म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये आधी संख्या कोरम के लिये रहनी चाहिये, यह मैं समझता हूँ कि हम बहुत बडी आशा करते हैं जो व्यवहारिक रूप में कभी निश्चित नहीं की जा सकती। इसके पहले १।३ एक तिहाई संख्या कोरम के लिये रखी थी पर प्रवर समिति ने रखा है कि आधी हो। प्रवर समिति ने आदर्श रखा है पर व्हार अपने सामने नहीं रखा जब यह सिफारिश की।

इस तरह माननीय उपाध्यक्ष, प्रवर समिति ने एक बहुत लम्बी चौडी रिपोर्ट पेश की है पर बहुत से मुद्दे इसमें ऐसे मिलेंगे जिन पर हमें विचार करना आवश्यक है।

पावर ओफ गर्वनमेंट टू डिसोल्व और सुपरसीड म्युनिसिपल बोर्ड क्लाज ३०१ में रखा गया है उससे बहुत ज्यादा अधिकार सरकार अपने हाथों में ले रही है जिससे जनता के अधिकारों पर आक्रमण होगा और बहुत सी बातें हैं जिनको मुझे इस वख्त कहने की आवश्यकता नहीं हैं। ज्यों ज्यों बिल पर क्लांज बाई क्लॉज आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों माननीय सदस्य ध्यान में लायेंगे। तो ये पांच-सात जो मोटी बातें थीं वे सदन के समक्ष पेश कीं और इसकी वजह से इस सदन में इन त्रुटियों को हमें ठीक करना आवश्यक होगा और इस बिल को वापिस प्रवर समिति में भैजना न तो राज्य के लिये हितकार होगा और न राजस्थान की जनता के लिये ही हितकर होगा।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

राजस्थान भू-राजस्व विधयेक, १६५४ (तृतीय वाचन स्थगित)

श्री उपाध्यक्ष—श्री दामोदर लाल व्यास ।

(श्री नाथूराम मिर्धा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—आप बोलना चाहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—जी हां ।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाव्यक्ष महोदय, आज जो साढे ग्यारह बजे के समय हमारे राजस्थान लेंड रेवेन्यु बिल का थर्ड रीडिंग के लिये मोशन-मूव करने का एजेन्डा में कार्य क्रम रखा है और उसके मुताबिक आपने राजस्व मंत्रीजी को आगाज दी है कि वे इस मोशन को प्रस्तुत करें । माननीय उपाध्यक्ष, वह मोशन इस सदन में प्रस्तुत हो इससे पहले मेरा सुझाव यह है कि इस बिल के कल करीब १०० क्लॉजेज बहुत जल्दी ही इस सदन में पास हुए और मेरा ऐसा ख्याल है कि इसमें कई तरह की त्रुटियां और खामियां रह गई हैं ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह सदन का मजाक हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा—और कुछ माननीय सदस्यों ने उसे पूरा पढ़ने की भी कोशिश नहीं की........

श्री **भैरूंसिंह**—(दांता रामगढ़) और जिन्होंने भी पढ़ने का प्रयत्न नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा—थर्ड रीडिंग क्रेम में बहुत सी त्रुटियों को, बहुत सी खामियों को दूर कर सकते हैं और उन्हें दुरुस्त करना जरूरी है, इसलिते यह प्रस्ताव आज नहीं रख कर तीन चार रोज बाद सोमवार को मिलें उस समय इसे रखा जाय तो बीच के तीन चार-दिन में इस पर विचार कर सकेंगे । फिर इस विधेयक को पास करेंगे तो ठीक रहेगा ।

कुं० श्री **जसवन्तसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, में इसका घोर विरोध करता हूं और वह इसलिये कि क्या हमारी सरकार अपने आप को इस प्रकार से बच्चा समझती है या इतना इनकोम्स्टीटेन्ट समझती है कि एक चीज़ को जिसे वह कल तय करें उसको आज रद्द कर दे या कल कानून बनावे उसको परसों रद्द कर दे और फिर दुबारा करे । इसमें कुछ एमेन्डमेंट पेश होने वाले थे वे नहीं हुए इस कारण से कोई नई बात नहीं हो सकती । इसलिये में नम्रता से निवेदन करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है सदन की मर्यादा को रखने की ।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, सरकार की तरफ से कुछ नहीं कपा गया है, फिर आपकी यह शंका कैसे हो रही है ? This is the view of the hon'ble member.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I am holding the from. सरकार की तरफ से नहीं कही गई, मगर उनकी तरफ से जो बात कह रहे हैं वे सदस्य कह रहे हैं। अगर माननीय राजस्व मंत्री सही कहते तो मैं कुछ कह सकता था।

एक माननीय सदस्य—ऐसी बात नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—This on Agenda, माननीय सदस्य जो कह रहे थे उन्होंने राजस्व मंत्री के कहने से या इशारे से कहा और मैं यह कह सकता हूं कि वे गवर्नमेंट के माउथ-पीस है। जिस प्रकार वे उनके माउथ-पीस हैं उसी तरह से हमें भी अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं। एक चीज जो गवर्नमेंट को सूट नहीं कहीं करती है और कल गवर्नमेंट को सूट करती है उसको वह लाना चाहती है। हम इतने और ऐसे दुधमुंहे बच्चे नहीं है जो जैसा चाहें आप करालें जो वाजिब हैं उसमें हम आपका सहयोग देंगे और सदन में हमारा सहयोग रहा है। हमें राजस्थान की पब्लिक के सामने अपना मुंह दिखाना है। यदि हम इस प्रकार से कार्यवाही करेंगे तो हम अपना मूंह जनता के सामने नहीं दिखा सकेंगे। जहां तक कानून बनाने का सम्बन्ध हैं यह विधान सभा हैं न कि बच्चों की डिबेटिंग सोसाइटी है जिसमें एक बात आज कही और कल दूसरी। यह कोई बच्चों का खिलौना नहीं जो आज बनाया और कल तोड़ दिया। अगर गवर्नमेंट अपनी अयोग्यता के कारण काम न कर सकती तो इस प्रकार का घोटाला कर देती है.........

श्री दामोदरलाल व्यास—क्या घोटाला कर दिया है?

कु० श्री जसवन्तसिंह—अगर आपको किसी प्रकार का रद्दोबदल कानून में करना है, जिसको आपने पास कर दिया है तो आप उसमें एमेंडमेंट लावें। जहां तक विरोधी दल का प्रश्न है हम कभी भी इस प्रकार के घोटालों में भाग नहीं लेंगे और हम वाक आउट करके बता देंगे कि हम इस प्रकार के कार्य में भागीदार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अभी तक किसी प्रकार की मंजूरी नहीं दी गई है। यह तो एक सदस्य की राय है। अब रहा प्रश्न यह कि आया इसको आज लिया जावे या इसको बाद में लिया जावे, यह बहुत महत्व को बात नहीं है। एतराज की बात तो एमेंडमेंट के बारे में है। इसको बाद में लिया जावे या आज लिया जावे, इसके लिये तो कोई एतराज की बात नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—Then I have no objection. माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं तो अच्छा होगा। इसको इतना महत्व क्यों दिया गया है? कल सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने अपने यह विचार प्रकट किये थे कि थर्ड रीडिंग के लिये वे काफी समय चाहते हैं और अगर मैं उनको सही समझ पाया हूं तो उनका मकसद यही था कि उनको इतना समय मिलना चाहिये कि वे इस बिल को पूरा पढ़ लें और फिर अपने विचार सदन के सामने पेश कर सकें और मैं समझता हूं कि इसमें तो किसी को एतराज नहीं हो सकता और

[श्री दामोदरलाल व्यास]

अगर उसमें कोई अच्छा सुझाव देगा तो उसको स्वीकार किया जावे। मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट ने क्या घोटाला किया है ? बिल तो सारे सदन ने मिल कर पास किया है । यह बिल तो विरोधी दल के नेता की मौजूदगी में पास हुआ है। जब हम थर्ड रिडिंग में बहस करेंगे उस समय देखा जाएगा ।

जहां तक श्री नाथुरामजी मिर्धा ने जो कहा उसके लिये माननीय सदस्य ने यह कहा कि वे सरकार के माउथ पीस हैं। मैं यह कहूंगा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है और जहां तक मेरा इससे ताल्लुका है मैं उसको साफ कर देता हूं। चूंकि सदस्य इस बात को चाहते थे कि उनको मौका मिलना चाहिये कि वे अपने विचार थर्ड रीडिंग में प्रकट कर सकें इसलिये अगर इसमें समय दिया जावे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें उनको क्या आपत्ति है। आपत्ति है तो उनको एमेन्डमेंट आने पर है। यह प्रश्न तो अमेण्डमेंट आवे उस समय पर पैदा हो सकता है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि एमेंडमेंट लाना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर कोई बात रह गई है तो उस पर सोचा जा सकता है। मैं नहीं कहता कि कोई बात रह गई है। मैंने तो यह कहा कि कोई बात रह गई हो। इसमें मैं नहीं समझता कि सरकार ने इसमें कौनसी गलती कर दी और कौनसा गड़बड़-घोटाला कर दिया ।.

श्री वेदपाल त्यागी—There was a suggestion. सिर्फ टाइम इसीलिये दिया जा रहा है कि माननीय सदस्य उसको अच्छी तरह से पढ़ सकें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। मेरे माननीय मित्र गलत समझे। मेरी यह बात नहीं है कि इसके लिये समय नहीं दिया जावे और इसको स्थगित नहीं किया जावे, जरूर किया जावे लेकिन यह कहा गया कि मूव नहीं किया जावे...

श्री नाथूराम मिर्धा—न तो मैंने यह कभी कहा और न मेरे कहने का मतलब ही है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हो सकता है कि आपने न कहा हो।

श्री नाथुराम मिर्धा—मैंने यह कहा कि कुछ क्लेरिकल मिस्टेक्स रह गई हैं उनको...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कल जो कुछ जल्दी जल्दी में हुआ उसके सम्बन्ध में ओब्जेक्शन किया। उसके सम्बन्ध में मैंने कहा कि आप जो कुछ कल हो चुका है उसको री-ओपन नहीं कर सकते, उसको री-ओपन नहीं किया जावे।

एक माननीय सदस्य—यह फालतू बहस क्यों हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—मिनिस्टर की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई है, जब आवेगी तब देखा जावेगा।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह चाहता हूं कि एक बात स्पष्ट कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—बहस के लिए समय दिया जावेगा। आप उस समय बता दें।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसी बातें रह गई हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह नहीं कहा कि रह गई हैं। मैंने कहा कि हो सकता है, मुमकिन है रह गई हों।

श्री भैरूंसिंह—आपके खयाल से "मुमकिन है," मगर मैंने देखा है कि रह गई हैं। इसलिये जहां सरकार की ओर से इस प्रकार का अगर कोई अधिकार मिलता हो कि वे कुछ सुधार कर सकें तो सदन के सदस्यों को भी यह अधिकार होना चाहिये कि वे भी जो बातें रह गई हैं उनके सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करें। इस चीज की घोषणा अगर आज हो जाती है तो दो दिन पहले हम अपने संशोधन पेश कर सकते हैं वरना एट दी इलेवन्थ अवर न तो कोई एमेन्डमेन्ट मूव कर सकते हैं और न उसके लिये कोई समय दिया जा सकता है। इसके लिये आज घोषणा कर दी जावे ताकि सब को समय मिल जावे।

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये घोषणा की कोई बात नहीं है। जो कमियें आपको नजर आती हैं वे बहस के दौरान में सामने आवेंगी और जो सदन का नियम है उन नियमों को ध्यान में रखते हुए जैसा होगा, हो जावेगा। इसलिये इसमें कोई रूलिंग देने की बात नहीं है।

इसको सोमवार को प्रश्नों के बाद में या दूसरा जो भी जरूरी काम होगा उसके बाद में ले लिया जावेगा।

अब म्युनिसिपल बिल पर जो जनरल डिस्कशन हो रहा है उस पर कोई और सदस्य बोलना चाहें तो बोलें।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४ (विचारार्थ-पूर्व क्रम से)

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि म्युनिसिपल बिल के सम्बन्ध में अभी सदन के सामने माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखे हैं और उस दौरान में जो बहस चल रही है उसके सम्बन्ध में अपने विचार यहां पर रखूं।

[श्री कंवरलाल जेलिया]

एक प्रस्ताव जोधपुर से आये माननीय सदस्य का है और उन्होंने जिन मुद्दों को रखते हुए यह प्रस्ताव रखा है कि इसको वापिस प्रवर समिति को सौंपा जाय और उन्होंने जो कारण बताये थे वे अपना दृष्टिकोण लिये हुए थे। लेकिन अब यह देखना है कि यह सम्भव हो सकता है या नहीं। दूसरा प्रस्ताव जो था वह उदयपुर से आये माननीय साथी का था और उन्होंने उदयपुर कॉर्पोरेशन के मसले को लेकर यह प्रस्ताव रखा था कि इसको वापिस प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। यह दूसरा सवाल आता है। इन दोनों प्रस्तावों पर सदन के विरोधी दल के नेता ने भी अपने विचार किसी हद तक सदन के समक्ष रखे हैं। उन्होंने किसी तरह की असमर्थता बताई और उन्होंने प्रवर समिति के एक सदस्य होने के नाते एक परम्परा को तोड़ कर अपने विचार व्यक्त किये हैं। चूंकि मैं भी प्रवर समिति का एक सदस्य होने के नाते अपने कुछ विचार साथियों में सामने रखना चाहता हूं कि यदि इस विधेयक को वापिस प्रवर समिति को सौंपा जायगा तो अधिक व्यय होगा और समय का भी दुरुपयोग होगा।

जोधपुर से आये माननीय सदस्य का यह दावा है कि यह जो विधेयक बना है, प्रवर समिति ने इस पर जो विचार किया है, उसको उसने जनतंत्रीय नहीं बनाया और इसमें कई कमियां रह गई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के जो म्युनिसिपैलीटीज़ बिल हैं उनको देखते हुये इस राजस्थान के बने विधेयक को देखा जाय तो मेरी विचारधारा से मैं मानता हूं कि इससे अधिक जनतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से अधिक नहीं बनाया जा सकता था और इसको सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से आधारभूत माना जा सकता है। यदि इस पर अधिक विस्तार के साथ कहा जाय तो सदन का अधिक समय खर्च होगा, जिसको मैं उचित नहीं समझता।

मैं आपको दो—एक उदाहरण देना चाहूंगा। जिससे आपको मालूम होगा कि जनतंत्रीय भावना का कहां तक इसमें समावेश किया गया है। जहां तक नामजदगी का प्रश्न था उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्यों को जानकार प्रसन्नता होगी कि नामजदगी को हटा कर निर्वाचन प्रणाली को रखा गया है और अगर इसको जनतंत्रीय नहीं समझते हैं तो मैं यह समझ सकता हूं कि माननीय सदस्य ने जानबूझ कर इस मुद्दे को टालने की कोशिश की है। उनका लक्ष्य है साम्यवाद और साम्यवादी लक्ष्य रखते हुए पूंजीपतियों और राजामहाराजाओं पर कीचड़ फेंकने की प्रवृत्ति स्वाभाविक सी लगती है। मेरे से अच्छे शब्दों में विरोधी दल के नेता ने इस सम्बन्ध में विचार दिये हैं। जो दृष्टिकोण सरकार का होगा वह तो सरकारी बैंच के मिनिस्टर साहब बतावेंगे कि राजा महाराजाओं को टेक्सेज़ की सुविधा क्यों दी है, उसमें क्या सरकारी दृष्टिकोण हो सकता है। मैं जो विचार दूंगा वे अधिकृत माने भी नहीं जाने चाहिये।

[श्री कंवरलाल जेलिया]

टैक्सेज़ के ऊपर जो सिलेक्ट कमेटी ने विचार दिये हैं वह मौजूदा स्थिति को देखते हुए वाजिब हैं। यह धंधा करने वालों पर रखा है। एक उदाहरण देकर मैं आपको बताऊंगा। अगर म्युनिसिपैलिटी चाहे तो किसी पेशेवर आदमी को हटा दे और जब उस क्लॉज़ का सवाल आया तो उस पर काफी गम्भीरता से विचार किया गया और यह हुआ कि जो लोग गृह उद्योग तरीके से धंधा करेंगे तो उनको म्युनिसिपैलिटी को हटाने का अधिकार है लेकिन उनको मुआवजा देना होगा। यह जनता की भावना को देखते हुए, अर्थ व धंधों की स्थिति को देखते हुए इन बातों को खयाल में रखा गया और जब माननीय सदस्य कहते हैं कि जनतंत्रीय प्रणाली नहीं है तो वह न्याय-संगत बात नहीं है।

इसके आगे डिटेल्स में म्युनिसिपैलिटीज़ को क्या अधिकार है और जो टेक्निकेलिटी के सवाल आते हैं जो कि लम्बे और विस्तृत सवाल हैं उनमें न पड़ कर, पिछले टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ में और जो चेयरमेन को अधिकार हैं उनमें विरोध मालूम होता था लेकिन उन सारी दिक्कतों को मिटाते हुए सिलेक्ट कमेटी के सदस्य, जो अनुभवी सदस्य थे, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर योग्यता के आधार पर इसको अधिक से अधिक जनतन्त्री बनाने का प्रयत्न किया है ताकि बोर्ड में अच्छा काम हो। म्युनिसिपल बोर्ड को काफी अधिकार दिये गये हैं और जो काम सौंपे जाने चाहिये थे वह सौंपे गये हैं। मैं नहीं समझ पाया कि जब अधिकारों का सवाल आता है तो फिर भी यह कहा जाता है कि जनतन्त्रीय दृष्टिकोण से काम नहीं किया गया है; मैं उसको उचित समझता हूं। बोर्ड को अधिक पॉवर्स दिये हैं और पिछली बार जो अड़चन आई थी वैसी नहीं आने वाली है।

जिन बातों को उदयपुर के माननीय साथी ने रखा है कि पिछले वक्त में राजाओं के टाइम में अधिक पॉवर्स दिये गये हैं, जब कि आज कम दिये गये हैं, यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि अन्य राज्यों की सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, परिभाषा में संशोधन किया गया है। उनके कॉरपोरेशन को भी म्युनिसिपैलिटीज़ में लायें तो कोई वैसी बात नहीं है। कोरपोरेशन हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान में कोई शहर नहीं है जो कि कोरपोरेशन की परिभाषा में आ सकती हो। उदयपुर भी उस सीमा में आता नहीं है और उस पर ज्यादा विचार रखेंगे तो वह उपयुक्त नहीं होगा।

राजस्थान की स्थिति को देखते हुए ऐसा बिल बनाया है, उससे स्तर ऊंचा हुआ तो ज्यादा उपयुक्त होगा। जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा था कि दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी है वहां भी कोरपोरेशन नहीं बन पाया, अब बनाने की कोशिश हो रही है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यह भी सिटी म्युनिसिपैलिटी है और ऐसी सूरत में उसको कैसे कोरपोरेशन रखा जा सकता है? यह कहा गया प्रगतिशील बिल का दावा करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि जनतन्त्रीय

[श्री कंवरलाल जेलिया]

है, जनतन्त्रीय मानने का दावा किया है, आज के जैसे कानून में अधिकार दिये गये हैं उन्हें जनतंत्रीय मानने को तैयार नहीं।

एक माननीय सदस्य ने मजदूरों के सम्बन्ध में कहा, मजदूरों से काम कराने वाले उनको बिना नोटिस दिये ही अलग कर देंगे, डिक्टेटरशिप की भावना को लोप कराने की कोशिश नहीं की गई। मैं निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपैलिटी की सार्वजनिक सेवायें हैं, सार्वजनिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाली सेवायें हैं, अगर कोई बिना सूचना दिये ही छोड़कर चला जाय तो माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ये सार्वजनिक सेवायें इतनी जरूरी हो जाती हैं कि जिनके लिए कुछ अंकुश रखना आवश्यक हो जाता है। अगर ऐसा अंकुश नहीं रखेंगे तो सार्वजनिक सेवायें हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य का इन सेवाओं से जो ताल्लुक है वह खतरे में पड़ जाता है अत: ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

कुल मिला कर अगर विस्तार में नहीं जाया जाय तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जितना जनतन्त्रीय ढंग से इस बिल को बनाया जाना चाहिए था, वह बनाया गया है। इलेक्शन पीटीशन के सम्बन्ध में जो धारायें हैं उनके संबन्ध में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विरोधी दल के नेता ने इलेक्शन सम्बन्धी क्लॉजेज़ के बारे में काफी अच्छा प्रकाश डाल दिया है और उसके बावजूद भी अगर यह बिल वापिस प्रवर समिति को सौंपा जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, केवल समय और खर्चे का दुरुपयोग है।

जहां तक टेक्सेज़ का सवाल है इसमें विभिन्न विचारधारायें हो सकती हैं और जब क्लॉज़ वार विचार किया जायगा तो प्रत्येक सदस्य अपने विचार रख सकेंगे और माननीय सदस्यों को अपने अपने विचार रखने का समय भी काफी मिल जाता है और इसलिए भी इसको वापिस प्रवर समिति को सौंपने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

राजस्थान की अन्य अन्य रियासतों के म्युनिसिपल बोर्ड के कानून बने थे, उन कुल को मिलाकर म्युनिसिपैलिटीज़ बिल बनाया है और जो सुझाव दिए हैं वे आज के समय को देखते हुए पर्याप्त हैं और इसलिए कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है कि वापिस इसको प्रवर समिति को सौंपा जाय।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने आया है उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। एक ओर यह विचारधारा है कि यह बिल अधिक जनतान्त्रिक बनाने के लिए प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय और दूसरी ओर से इसका विरोध किया गया है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है इसको अधिक जनतान्त्रिक बनाया जाय। मैं भी इसका समर्थक हूं, लेकिन जहां प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय; इसका विरोधी भी हूं।

Page No.75

[श्री चांदमल मेहता]

इस बिल में वे बातें जो राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ बिल में थीं उसके मुकाबले सुधार किया गया है और काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, अधिकारों में भी वृद्धि की गई है लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें और आगे सोचने की बातें भी हैं।

राजस्थान के निर्माण से पहले भूतपूर्व राजस्थान में यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट लागू था और वह एक्ट सन् १९१६ में यू० पी० में बना था; उसमें ऐसे अधिकार थे जो आज हम सन् १९५५ में जो बिल बनाने जा रहे हैं उसमें भी हमने नहीं रखा है। यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट के माफिक जो कि भूतपूर्व राजस्थान में लागू था सब म्युनिसिपैलिटीज़ को यह अधिकार था कि वे बजट अपनी ओर से बना सकते थे और बजट बनाकर स्वीकृति लेना कोई आवश्यक नहीं था। म्युनिसिपैलिटीज़ अपना बजट बना सकती थीं। अपने जो कुछ आमदनी के साधन थे उनको देखते हुए खर्चे का बजट भी वे ही बनाती थीं, उसमें सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं था। लेकिन जो बिल हमारे सामने आया है उसके मुताबिक यह आवश्यक बना दिया गया है कि बजट बनाकर सरकार के समक्ष पेश किया जायगा और सरकार उसके ऊपर स्वीकृति देगी। इस तरह से स्वायत्त शासन संस्थाओं को जो अधिकार बहुत पहले से थे इस बिल द्वारा हम वे अधिकार छीन रहे हैं और वे अधिकार सरकार अपने हाथों में लेने जा रही है। आज जिस तरह से बजट स्वीकार किया जाता है उसका जो सिलसिला है उसके अनुसार जो बजट को स्क्रुटिनाइज़ करते हैं बजट को देखते हैं वे स्वायत्त शासन संस्थाओं का बहुत कम खयाल रखते हैं। कोई भी बजट सामने आया उनका पहले यह दृष्टिकोण रहता है कि इसमें १० प्रतिशत सेविंग होनी चाहिये। जो भी स्वायत्त शासन संस्थायें, जिस किसी भी कार्य के लिये रकम को बजट में दर्ज करते हैं इस प्रकार की सेविंग्स से कई प्रकार के काम रुक जाते हैं; इसकी वजह से बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है इसलिये एक तो यह आवश्यक बात है कि जहां तक बजट का ताल्लुक है नगरपालिकाओं को पूरा अधिकार होना चाहिये कि वे अपनी ओर से अपनी आमदनी के अन्दर बजट बना लें और उसी के माफिक खर्च करें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो कि नगरपालिकाओं द्वारा किये हुए कार्यों के बारे में अपील से संबन्धित है। इस बिल में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जहां तक उन म्युनिसिपैलीटीज़ का ताल्लुक है कलेक्टर अपील सुनेगा और जहां सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं वहां कमिश्नर अपील सुनेगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के अपील का प्रोवीज़न और उसके सुनने का जो अधिकार रखा गया है उससे स्वायत्त संस्थाओं के जो अधिकार हैं उन अधिकारों पर एक तरह से रोक होगी, वे आजादी के साथ जनता के हित में काम नहीं कर सकेंगी। यह जनता के हित में एक प्रकार से बाधा उपस्थित करेगी। उसूलन हमको यह मान लेना चाहिये कि नगरपालिकाओं के काम के संबन्ध में अपील नहीं होनी चाहिये बल्कि इसका रिवीजन होना आवश्यक है और वह रिवीज़न डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज के पास हो जो बिल्कुल एक्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएन्स से दूर रहते

[श्री चांदमल मेहता]

हैं जिनसे बराबर निष्पक्ष राय की उम्मीद की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था करने की वजह से नगरपालिकाओं को अपने अधिकारों का उपयोग आजादी के साथ करने में सहूलियत होगी, वे किसी तरह से गलत काम करने को मजबूर नहीं होंगी।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं उसमें मुझे खास तौर से आपत्ति है। जो तरीका चेयरमेन के चुनाव के संबन्ध में रखा है उसके लिये इस बिल में जो व्यवस्था की गई वह इस प्रकार है कि पहले हम चुनाव करते हैं म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों का, फिर उसके बाद में सदस्य मिलकर चेयरमेन का चुनाव करते हैं।।इस प्रणाली को अधिक जनतान्त्रिक बनाया जा सकता है। यदि इस चेयरमेन के चुनाव को अधिक जनतान्त्रिक बनाया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। जिस तरह से पंचायत एक्ट में सरपंच के चुनाव जिस प्रकार जनता द्वारा होता है उसी तरह से म्युनिसिपल चेयरमेन का इलेक्शन भी जनता के मतों से किया जाता तो यह बिल ज्यादा जनतान्त्रिक हो सकता था। सदस्यों के चुनाव के होते ही चेयरमेन का भी चुनाव जनता के मतों से किया जाता तो बहुत अच्छा रहता। हिन्दुस्तान के म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट मैंने देखे हैं। उनमें जहां इस प्रकार का कायदा है वह बहुत कारगर साबित हुए हैं। आज जिस तरह की चुनाव प्रणाली है, जिस तरह के वार्ड बने हैं और जिस तरह की गड़बड़ियां होती हैं उनमें अच्छे आदमी और योग्य आदमियों को आने का मौका नहीं आता है। नगरपालिका में १०,१२ सदस्य चुनकर आते हैं और उन्हीं के मतों से चुनकर चेयरमेन भी आता है; तो जो चेयरमेन होता है वह तोड़ फोड़ कर कुछ आदमियों को इधर उधर करके चेयरमेन बन जाता है। इस तरह से नगरपालिका का भाग्य ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है जो तोड़ फोड़ करके या इधर उधर करके बन जाता है। अगर जनता के जरिये चेयरमेन का चुनाव होता है तो जनता सदा यह देखेगी कि जिनका चुनाव किया जा रहा है वह आदमी कैसा है उसके साथ काम करने वाले कैसे हैं। जिन जिन प्रान्तों में इस तरह की व्यवस्था है वहां जो पार्टी चेयरमेन के पद के लिये अपना आदमी खड़ा करती है वे अपने साथ सदस्यों का नाम देते हैं, ताकि चेयरमेन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सके। इस तरह की प्रणाली अपनाने की वजह से काफी सहूलियतें हो जायंगी। हिन्दुस्तान के कुछ प्रान्तों के एक्ट मैंने पढ़ने की कोशिश की है, उनमें इस तरह की व्यवस्था तीन जगहों पर है, और जगह पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है। यहां मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह से पंचायतों को महत्व दिया गया है उसमें हमने अधिक से अधिक जनतान्त्रिक प्रणाली अपनायी है; उसी दृष्टिकोण को हमें इस म्युनिसिपल बिल में भी अपनाना चाहिये।

अन्त में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि सब से बड़ी मुसीबत इस बात की होती है कि म्युनिसिपल एरिया में जो मुकदमे होते हैं उनके लिये कोई रास्ता नहीं कि कहां दायर करें। पंचायतों में यह व्यवस्था रखी है। पंचायत क्षेत्र में हमने दीवानी फौजदारी- इन दोनों के बारे में पंचायतों को कुछ अधिकार दिये हैं। उन अधिकारों के जरिये ऐसे मामलात निपट जाते हैं। जहां म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं वहां इस प्रकार के मामलों में बड़ी कठिनाई हो

[श्री चांदमल मेहता]

जाती है। उदाहरण की तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि सरवाड़ म्युनिसिपैलिटी है सरवाड़ म्युनिसिपल में अगर पचास रुपये का दावा करना हो तो उसको भागकर आना पड़ेगा किशनगढ़, जो वहां से काफी दूर है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि म्युनिसिपैलिटी को म्युनिसिपल क्षेत्र में वे अधिकार देने चाहिये जो पंचायतों को अपने अपने क्षेत्र में प्राप्त हैं ताकि जनता को सस्ता न्याय मिल सके।

इसी तरह से जहां तक टेक्सेशन का ताल्लुक है मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। यह अधिकार सरकार अपने हाथ में रखे, यह बिल्कुल अनुचित होगा। टैक्स लगाने का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिये क्योंकि इसका बोझ तो जनता के सिर पर पड़ता है, अतः जनता को इस प्रकार के अधिकार होने चाहियें। इस तरह के अधिकार हमने इस बिल में दिये हैं। म्युनिसिपेलिटीज़ को वह स्वागत योग्य है। नियुक्ति का जो तरीका है उसमें जो अधिकार दिये गये हैं उन अधिकारियों द्वारा इसका दुरुपयोग हो सकता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि कई नगरपालिकाओं का चुनाव होते ही जो पार्टी पॉवर में आती है वह अपनी पार्टी के आदमियों को नौकर रख लेती है और जो पहले से नौकर हैं उनको निकाल देती है। इस तरह के अधिकार बड़े ऑफिसरों को रखने के बारे में सरकार को यह आवश्यक होना चाहिये कि वह इस बारे में रूल्स बनावें, जिससे जो म्युनिसिपैलिटी में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको विश्वास होना चाहिये चाहे जो भी पार्टी आये हमारी नौकरी सुरक्षित है। जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों को संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है उसी प्रकार का संरक्षण म्युनिसिपैलिटीज़ में काम करने वाले कर्मचारियों को होना चाहिये ताकि समय समय पर चुनाव होते ही उन पर उसका कुछ असर न पड़ सके; कम से कम जो स्थायी कर्मचारी हैं उनके लिये तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी ही चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व के वक्ता महोदय ने जो कुछ कहा है उनकी कुछ बातों के सम्बन्ध में मुझे विरोध है और वे बातें ये हैं कि एक तो उन्होंने चेयरमेन के चुनाव के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त की है; मैं उससे सहमत नहीं हूं। जिस तरह पंचायतों में सरपंच का चुनाव होता है उसी प्रकार तमाम जनता से चेयरमेन का चुनाव हो और उसके सम्बन्ध में आपने यह बताया कि यह अधिक प्रजातान्त्रिक होगा। परन्तु इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि मेरे ख्याल से यह रखना उचित नहीं था कि सरपंच का चुनाव भी जनता से हो। इसका चुनाव भी पंच लोग कर सकते हैं, जैसे उप-सरपंच का होता है। क्योंकि पंचों को कौन चुनता है, जनता ही तो उनको चुनती है। तो फिर जनता के चुने हुए पंचों द्वारा चुने हुए सरपंच में और जनता द्वारा सीधे चुने हुए सरपंच में क्या अन्तर है? अब इसी तरह से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नगरपालिकाओं में आते हैं और वे चेयरमैन का चुनाव अगर करते हैं तो इसका अर्थ तो यही होता है कि उसको समस्त जनता ने ही चुना है। जब कि

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

असेम्बली में कानून का पास होना इस अर्थ को व्यक्त करता है कि तमाम राजस्थान की ओर से यह कानून पास हुआ तो ठीक इसी तरह से यह भी माना जा सकता है कि जनता के द्वारा चुने हुए नगर के प्रतिनिधि जब सदस्य होंगे तो उनका चुना हुआ वह चेयरमेन है तो वह भी नगर के लोगों के द्वारा चुना हुआ ही माना जाय। व्यर्थ में जनता को दो दो बार कष्ट देना और दो दो बार चुनाव सम्बन्धी खर्चा करना, ये सब बातें न्यायसंगत और तर्कसंगत अथवा बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं प्रतीत होतीं। और फिर इसमें यह बात आप लावेंगे तो सर्वत्र अन्य जगह भी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में या दूसरी जगह यही लाना पड़ेगा। इसलिये यह ठीक होगा कि चेयरमैन का चुनाव सदस्यों के द्वारा ही हो।

दूसरी बात उन्होंने कही है अधिकारों के सम्बन्ध में। जरूर इस सम्बन्ध में मैं मानता हूँ कि जो पंचायतों को अधिकार हैं वे इनको भी होने चाहिये। पंचायत हजार दो हजार व्यक्तियों की प्रतिनिधि संस्था है पर म्यूनिसिपैलिटी लाखों व्यक्तियों की प्रतिनिधि संस्था है क्योंकि कम से कम दस हजार की आबादी वाले कस्बे में इसका चुनाव होता है। तो वहां पंचायतों में जो अधिकार हजार दो हजार के प्रतिनिधि होने पर भी मिल जाते हैं उनसे इसको वंचित करना यह जनतन्त्र में एक खटकने वाली चीज जरूर है। फिर यह भी नहीं कि गावों के रहने वाले लोगों से शहर में रहने वाले लोगों में कोई खामी हो, या वे चतुराई में कम हों। फिर इसका अर्थ यह हुआ कि या तो ग्राम्यजन अधिक चतुर हैं और योग्य हैं, जो चतुर आदमियों को चुनते हैं; जिनके हाथ में अधिकार देना सरकार अनुचित नहीं समझती और नगर के नागरिक मूर्ख हैं, योग्य नहीं हैं इसलिए मूर्खों को और अयोग्यों को चुनती है, जिनके हाथ में अधिकार देना सरकार उचित नहीं समझती। पर मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है सरकार के ध्यान में। तो इसलिये इन अधिकारों से म्यूनिसिपैलिटियों को वंचित रखना, यह उपयुक्त नहीं है।

दूसरी बात है टैक्सों की। यह सही बात है की अर्थ की जरूरत होती है राज्य-संचालन के लिए। संस्कृत में भी स्पष्ट लिखा है कि राज्य वालों के लिए तो यह प्राण है। तो किसी राज्य के संचालन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और किसी कार्य को भी संचालित करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो म्यूनिसिपैलिटी के कार्य को संचालित करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है; नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जितने से वह अपना काम चला सके उतने टैक्स वह लगा सके, यह उचित सा ही प्रतीत होता है। पर इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनकी स्थितियां कमजोर हैं उन्हें कुछ दशाओं में इससे रियायत मिल जावे तो यह अच्छा होता। इसलिये इस दृष्टि से इन टैक्सों के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये।

टाउन म्यूनिसिपल बिल जब सिलेक्ट कमेटी में था तो मैं भी इसका एक सदस्य था। तो वहां यह आवश्यक समझा गया था कि इसका नाम म्यूनिसिपल बिल ही क्यों नहीं रक्खा जावे। आज सारे टाउन म्यूनिसिपैलिटी बिल कहते हैं तो इन सब बातों से यह उचित माना गया था और

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

उसमें संशोधन जो हुआ वह आपके सामने है। इस पर जो विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो उस सम्बन्ध में तो मेरा यही कहना है कि जो अधिकार लोगों को है वह उचित मात्रा में दिया जावे। यही मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ईश्वरीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स के बारे में एक सही बात कही गई जिसको इतनो बड़ो बवाल उठ्यो कि जिको हद नहीं। सामन्तशाही का जमाना में जरूर टैक्स को बोझ नहीं थो पर आज प्रजातन्तर राज बण रयो है तो टैक्स नहीं लगायो जावेला तो काम कियां चालेला। पहले तो राजा लोगां ने ही बकसीस कर दीयो हो तो टैक्स तो ऐ राजा महाराजाओं पर ही लगाणो चाहीजे और पाछे गरीबां पर लगाणो चाहीजे। गरीब बिचारो जो सारा दिन भर फिर कर मजदूरी करे है और आठ दस आना पैसा कमावे वो तो टैक्स देणे को हकदार और राजा महाराजा बैठा बैठा खावे ने हकदार नहीं, तो गरीब तो टैक्स लागेला तो काम कर भी सके नीं और बड़ा लोग बरी हो जावे तो फेर परजातन्तर होणे को के मतलब है। ऐ राज करणे वालां के मन में जो होवे वा ही करे है। लोग घणा ही एने केवे पर कोई की माने नहीं, तो ए ने कहणे की तो कांई जरूरत है पर कदई कदई कहणे की मन में आ जावे है। (हंसी) पुराणी बातों को में ज्यादा मानता हूं। तो पुराणी बात कहदी जावे और उनके भी दिमाग में आ जावे तो आछी बात है। आखिर तो जो कुदरत करे है वह ही बात होवे है। आदमी कुदरत के आगे कुछ नहीं कर सके है। तो ए चीजों पर विश्वास राखूं हूँ मैं। घणा बरसां पहले लोग कहता हा, अंगरेज इतनी बड़ी शक्ति राखता हा। लोग कहता हा इनका राज छीन कौन सके है ? पर वे भी कुदरत ने नहीं पहुँच सकिया। वा साल आते ही वे भी चलिया गया। तो अब तो बहुत सी बातां अनायास ही भली लाग जावे है। (हंसी) कौन कह सके कि आगे आणे वाले जमाने में कुदरत कांई करेगी। सीकर में हमारे आन्दोलन चलियो अंगरेजों का जमानें में। ऊंको समेटणो भी मुश्किल हो गयो। अंगरेज और अफसर भेजिया। बीचम साहब भी चलिया गया। तो वे सूं एक जणो सवाल करियो, पांच सात आदमियों को डेपूटेशन वे सूं मिलियो कि हमारे ठिकाने के साथ जो अन्याय हो रह्यो है वीं को के हाल होगो। उं बखत बीचम साब ए आश्वासन दीयो हो कि लोगां घबरावो मत, काम करके और मजदूरी करके खाणे वालो सोना का कटोरा में दूध पीवेगा और जो कि मुफ्त में खाणे वालो उबासी निकालेगो खाबा का लाला पड़ जावेगा उ के। तो वह दिन भी नजदीक आता जावे है। विश्वास है मने, मैं तो ए चीजां ने मानणे वालो हूं। जो कुदरत कर रही है वा तो करेगा। आप लोग बीच में ऐसा कानून बनाकर अपणो कालो मुंह कर जावोगा। एक साल और रयो है।

(हंसी)

तो मैं केऊं हूं के ओ कानून कार्य हो रयो है, एक तरह की दलबन्दी हो रयी है तो ऐ चीजां ने देखकर घबराओ मतीना। कुदरत सब ठीक करेगा। एक बात सोचो, जो राज अंगरेज तीन सौ बरस से करतो आयो तो भी कुदरत का परताब सुं खतम हो गयो और परजातन्तर

[श्री ईश्वरीसिंह]

आयो। परजातन्तर आयो जरूर, बण भी गयो पर हाल खरो परजातन्त्र नहीं बण्यो है। पर महात्माजी ऐसो बीज बो गया है कि निराश होणे की जरूरत नहीं है। क्या बीज बोय गयो ? वो कह गयो है लोगां ने कि मरो, मारो मत और हर बात में मरो, मारो मत। मरतां मरतां कदन कद तो हमारो कल्याण हो जावेगा।

(हंसी)

तो व्हो कल्याण होगो। तो इब वे कांई नहीं जोर देसी तो वे बोट मारे कानी है। तो एक सूं लेकर पार तो पड़े कांई नी। बींको निबटारो हो जासो। मैं तो आप लोगां ने आही कहूँ के (समय समाप्ति सूचक घंटी) दिमाग सारा टंडा करके टीक सूं जर्मान की तकसीम कर दो। तो गलती हो गई कानून में। तो जिको कानून बणाने जावे है वे आमें तरमीम भी कर सके है। या कोई नई बात थोड़े ही है। वे समझे है कि शहर का कानून टंडा हो गया। तो राजा महाराजा के वास्ते जो ई कानून में थोड़ो बणो है वी ने तरमीम कर दो, वे बड़ा बड़ा राजा हा, वांको बड़ो २ लेन देन मकान विगेरा हा (समय समाप्ति सूचक घंटी) ६०० बरसां का मकान तैयार हुयोड़ा है लेकिन काम में नहीं लिया गया। मकान बणावो तो काम में लेवो। (समय समाप्ति सूचक घंटी) में जाणूं हूं के सीकर में... (समय समाप्ति सूचक घंटी के बजने पर बैठ जाना)

(चारों ओर से बोलने दीजिये की आवाजें)

श्री वेदपाल त्यागी—उनको खत्म कर लेने दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—वे म्युनिसिपेलिटी बिल पर बोल रहे हैं या और किसी पर बोल रहे हैं।

श्री ईश्वरीसिंह—मैंने बताया है कि कांई पीछे निकाल करया है। मैंने आप लोगां सूं कई बार कह्यो है के प्रजा सूं जिता बोट लेर आया हो तो वोट लेणे के वक्त वायदा कर आया हा कि थांरे लोगों रे वास्ते सड़क बनावांगा गरीबां रे वास्ते आ बणवांगां तो कांई कदम उटायो है। गरीबां के लिये जो वायदा करया हा, मजदूरां के लिए कांई कदम उठायो है, छोटा दूकानदारों के लिए कांई कदम उठायो है। सब काम में राजा महराजा ने मिलणो चाहिए। बिड़ला, टाटा, सिंघानिया जिका के वास्ते जो कुछ कर दिया हो वो कर दिया हो। वियां तो राजाओं को समय हो। ई में ज्यादा कहने की कांई जरूरत है। एक साल रो और समय है वी में और कर लियो जाय। फेर आसी तो महने पछर आसी।

(हंसी और करतल ध्वनि)

रावल श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, बिल जिस रूप में हमारे सामने आया है आशा तो यह थी कि यह जो भूतपर्व रियासतों के वक्त में म्युनिसिपेलिटीज़ के कानून थे उनसे अधिक प्रजातान्त्रिक रूप में हमारे समक्ष वह आयेगा। परन्तु वर्तमान बिल को देखने से वह आशा निराशा में परिणत होजाती है। वर्तमान म्युनिसिपल बिल के ऊपर भिन्न भिन्न वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किये और उन बातों पर प्रकाश डाला कि इसमें इस तरह से उन बातों की कमियां हैं जो कि एक प्रजातान्त्रिक बिल में नहीं होनी चाहिए थीं।

शहर के वास्ते अपील का जो विधान किया गया है वह यह है कि सिटीज़ की म्युनिसिपेलिटीज़ की अपील कमिश्नर के पास होगी और टाउन्स की कलेक्टर के पास में। यह बात शोभा के योग्य नहीं है कि शहर और टाउन्स के चुने हुए नुमायन्दे जो बात तय कर देवें तो उनके फैसले की अपील एक राज्य कर्मचारी के पास को जाय। यह एक प्रजातन्त्र के खिलाफ कदम है। यदि अपील की व्यवस्था की जाना आवश्यक ही था तो पहले कई स्थान ऐसे २ हैं जहां कि म्युनिसिपल कारपोरेशन या म्युनिसिपल बोर्डीज की नहीं होती थी, जैसे कि उदयपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था। परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अपील का विधान रखना आवश्यक था तो जुडीशियल कोर्ट्स मौजूद हैं उनमें अपील की जा सकती है। उन जुडीशियल कोर्ट्स की उपेक्षा की जाकर के एक्जीक्यूटिव अधिकारियों के पास ऐसी बोर्डीज़ को अपील पहुँचे जो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की एक संस्था है। यह मुनासिब नहीं कहा जा सकता। तो यह प्रजातान्त्रिक विधान के विपरीत एक पीछे हटाने वाला कदम होता है।

दूसरी बात जो टेक्सेशन के सम्बन्ध में है तो उसमें बहुत से टेक्स लगाने की व्यवस्था की गई है। यह बात सच है कि बगैर टेक्स के, बगैर फन्ड्स के काम नहीं चल सकता, मगर छोटे छोटे लोगों पर, ऐसे लोगों के ऊपर, जो अपना निर्वाह किसी प्रकार अपने धन्धे से कर लेते हैं, टेक्स लगा देना और किसी तरह की लिमिटेशन नहीं रखना कि इतनी आमदनी से कम पर या इस प्रकार के काम करने पर टेक्स नहीं लगाया जायगा, यह एक अच्छी बात प्रतीत नहीं होती। होना यह चाहिए था कि म्युनिसिपल बोर्ड को यह अधिकार होने चाहिए कि सरकार के पास जो बहुत सी आमदनियों के साधन हैं उन साधनों में बहुत सी ऐसी आमदनियां हैं, जैसे ट्रान्सपोर्ट विभाग में, इलेक्ट्रिकल विभाग में ऐसी २ बहुत सी आमदनियां हैं, वे आमदनियां यदि म्युनिसिपल बोर्ड को फन्ड्स की आवश्यकता हैं तो म्युनिसिपल बोर्ड एक प्रस्ताव तैयार करे कि सरकार उन आमदनियों को जो कि म्युनिसिपल बोर्ड के पास होनी चाहिए, वह म्युनिसिपल बोर्ड को सौंप देवे। बरखिलाफ इसके इसमें यह प्रोवीजन रखा गया कि सरकार आदेश देवे कि म्युनिसिपल बोर्ड यह टेक्स इम्पोज़ कर दे, वह टेक्स इम्पोज़ कर दे, तो यह एक शोभा की बात नहीं है। सरकार को यह विधान करने की आवश्यकता है कि हम बखुशी हमारी जो आमदनियां है वह म्युनिसिपल बोर्ड को हस्तान्तरित करती हैं या म्युनिसिपल बोर्ड खुद सरकार को एप्रोच करे कि आपके पास यह आमदनियां जो रह गई हैं वह हमको दे देवें। इसका उनको स्वागत करना चाहिए था। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है यह एक प्रजातान्त्रिक और प्रगतिशील व्यवस्था नहीं कही

[रावत श्री शम्भूसिंह]

जा सकती। इस वास्ते इस बिल पर विशेष विचार तो जब क्लॉज़ बाद क्लॉज़ यह हाउस में आयेगा उस वक्त किया जायगा, परन्तु जनरल डिबेट में इस पर प्रकाश डालने के सम्बन्ध में यह बात आवश्यक है कि इस बिल को ज्यादा प्रजातान्त्रिक और ज्यादा प्रगतिशील रूप में सदन के सामने प्रस्तुत करते तो अच्छा होता।

इस प्रकार होता तो ज्यादा प्रजातान्त्रिक होता, ज्यादा अच्छा होता। अन्त में मैं आशा करता हूं कि जो ऐसे अमेंडमेंट आयेंगे जो कि बिल को ज्यादा प्रगतिशील बनाने वाले होंगे उन पर सरकार गम्भीरतापूर्वक अवश्य विचार करेगी और उन्हें स्वीकार करेगी।

राज श्री हिम्मत सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टाइम १० मिनिट ही रह गया है, साढ़े आठ से प्रारम्भ हुआ था और साढ़े बारह बजे खत्म हो जाता है।

यह म्युनिसिपैलिटीज़ बिल कन्सीडरेशन के लिये हाउस के सामने आया है आज और उसके ऊपर कुछ सुझाव भी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य तथा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिये हैं कि इस बिल को वापिस सिलेक्ट कमेटी के ही पास भेज दिया जावे ताके वह इसे ज्यादा प्रजातान्त्रिक रूप में बना कर सदन के समक्ष पेश करे और उन्होंने अपनी बहस के दौरान में इसमें त्रुटियां बताई हैं वे भी हाउस को विदित हैं ही।

यह बात सत्य है कि त्रुटियां तो इसमें हैं हीं, त्रुटियां तो हम देखते ही रहते हैं। कोई ऐसा एक्ट अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने पास नहीं किया जो बगैर त्रुटियों के हो। इधर तो पास करते हैं और इधर अमेंडमेंट आ जाते हैं त्रुटियां भरी रहती हैं। इसमें भी त्रुटियां रही हैं तो यह कोई नई बात नहीं है। सिलेक्ट कमेटी के ध्यान में नहीं आई हों तो रह सकती हैं। पर सदन उन त्रुटियों पर विचार कर सकता है और जितनी त्रुटियां होंगी वे इस सदन की कार्यवाही के दरम्यान ही तय होकर बिल को हम एक अच्छे रूप में पास कर सकेंगे। इसलिये मैं तो इस बात के खिलाफ हूं कि यह बिल जो सिलेक्ट कमेटी ने इतना प्रयत्न करके अच्छे रूप में रखा है उसे वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। परिणाम इसका कुछ नहीं निकलने वाला है।

अब इसके सिद्धान्तों के ऊपर कुछ जिक्र किया जावे। मैं समझता हूं कि यह म्युनिसिपल बिल जो हमारे सामने आया है वह किसी हद तक तो पुराने जमाने की, ब्रिटिश राज्य की कॉपी किये हुए के रूप में आया है या और जो और और रियासतें थी और वहां के म्युनिसिपल कानून थे उनमें से किसी का कुछ व किसी का कुछ लेकर इसको माउल्ड किया है। कहीं किसी का सिर है, किसी को टांग है, किसी का नाक है, किसी का मुंह है, इस प्रकार बुद्धि के मुताबिक यह बिल हमारे सामने आया है। क्या शक्ल हो सकती है इसकी, इसे कहने में बड़ी डिफिकल्टी हो रही है। इसे क्या कहा

[राज श्री हिम्मतसिंह]

चाहिये, वास्तव में यह म्युनिसिपैलिटी बिल है यह कुछ और है। ऊपर तो इसके वस्त्र धारण तो म्युनिसिपैल्टी बिल का किया हुआ है इसीलिये यह मानना पडेगा कि यह म्युनिसिपैलिटी बिल है, पर इसके अन्दर क्या है इसको देखने से पता चलेगा कि यह म्युनिसिपैलिटी बिल है या ...

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—पंचायत बिल है या कुछ और बिल है।...

राज श्री हिम्मत सिंह—सबसे मुख्य बात जो मुझे इसको देखने से नजर आई वह मैं प्रकट चाहता हूं। वह यह है कि सरकार इस प्रजातन्त्रवाद के जमाने में लोगों को अधिक से अधिक अपना काम खुद करने के अधिकार देने की चेष्टा करती है और प्रजातन्त्र का दरअसल देखा जावे तो अर्थ भी यही है कि पीपुल स्वयं ही अपना काम करें और सर्व सम्मति से जो वे चाहें वह करें और इससे प्रजा के हित में, देश, के हित में न्याय के कार्य करें। लेकिन ऐसा ज्ञात पड़ता है कि पंचायत एक्ट जो हमने पास किया है उसका और इसका मुकाबिला किया जावे तो एक बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति नजर आती है। पंचायत का कानून जिन लोगों से ताल्लुक रखता है, हम मानते हैं कि अधिकतर वे अपठित और अज्ञानी लोग हैं, उनको तो बहुत कुछ अधिकार हमने पंचायत एक्ट में दे दिये हैं, पर आश्चर्य की बात है कि शहरों में जहां कि हिन्दुस्तान का क्रीम ऑफ दी पॉपुलेशन है, उनको क्या हम पंचायतों से भी कम अधिकार दें? यही बड़ी भारी त्रुटि इस बिल में नजर आती है। मैं तो यह समझता था कि शहरों, कस्बों और गांवों में जहां जहां हम यह म्यूनिसिपैलिटी एक्ट लागू करने जा रहे हैं वहां के निवासियों को, वहां की जनता को हम पूर्ण अधिकार दे देंगे और सरकार उनके कार्यों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप कदापि नहीं करेगी। परन्तु जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों ने बताया है सरकार ने अपने हाथों में इतने अधिक पॉवर्स रखे हैं कि वहां के आदमियों को वहां की म्यूनिसिपैलिटीज़ को फंक्शन करने में ही बड़ी भारी रुकावट पैदा हो जाती है। अपनी इच्छा के अनुसार सरकार द्वारा चेअरमैन को सस्पेन्ड कर देना और अपनी इच्छा के अनुसार म्युनिसिपल बोर्ड को भंग कर देना, यह तो प्रजातन्त्र शासन के लक्षण नजर नहीं आते। फिर टेक्सेज़ के बारे में जो इसके अन्दर आइटम्स दिये हैं उनको देखने से तो पता चलता है कि टेक्सेज़ अगर जितने इसके अन्दर दर्ज किये हुए हैं वे किसी गलती से पूर्ण रूप से लगा दिये जावेंगे तो मेरा ऐसा खयाल है कि वहां के आदमियों का गुजर चलना ही मुश्किल हो जावेगा। पहले ही लोग टेक्सेज़ से दबे हुए हैं और म्युनिसिपैलिटीज़ का काम चलाने के लिये अगर इतने अधिक टेक्सेज़ जो इसके अन्दर दर्ज किये हुए हैं वे टेक्सेज़ लाद दिये गये तो टूटी हुई कमर तो पहले ही है, इस तरह से तो मुमकिन है प्राण भी चले जावें।

इस तरह के प्रोविज़न्स इसमें रखे हैं, उन प्रोविजन्स पर काफी विचार करने की आवश्यकता है। फिर इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया है कि गवर्नमेंट जो चाहे टेक्सेज़

Page No.84

[राज श्री हिम्मतसिंह]

तजवीज कर दे और म्युनिसिपैलिटीज को लाजिमी होगा कि ऐसे टेक्सेज़ लगा दे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी अपने हाथ में रखा है कि यदि कोई टैक्स नावाजिब हो तो उसको गवर्नमेंट हटा भी सकती है। यह चीज़ तो मैं समझता हूं कि वाजिब ही है। पर फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि इसमें गवर्नमेंट का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप है। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—पौन बजे तक का टाइम है। पौने नौ बजे सदन शुरू हुआ था।

राज श्री हिम्मतसिंह—टाइम तो साढ़े आठ से ही रखा था। अगर सदस्य वक्त पर नहीं आवें तो इसके माने यह नहीं कि सदन ज्यादा समय तक चले। इसलिये इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा और जहां तक मेरा यह सुझाव है कि सिलेक्ट कमेटी में इसे वापिस भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो त्रुटियां हैं उन्हें सही पर सदन में ही अच्छी तरह विचार करके दूर किया जा सकता है।

माननीय मंत्री ने इस पर पूरी तरह से अध्ययन किया है और इस बात को देख चुके हैं और इस सम्बन्ध में अच्छा ज्ञान रखते हैं। अतः इन सब पर ठीक तरह से विचार करके इनको यथास्थान देने की व्यवस्था करेंगे।

श्री भैरूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष,......

("समय हो गया है" की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष—कितना समय चाहियेगा ?

श्री भैरूसिंह—यह तो विचारों पर है। विचारों के भाव बनते जावेंगे, वैसा समय मिलेगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या दो रोज तक यह डिसकशन चलता रहेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप बोलिये न.....

श्री भैरूसिंह—सदन की कार्यवाही एडजोर्न की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—परसों ८.४५ बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३३ मिनिट पर, परसों प्रातः ८.४५ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–१३ दिसम्बर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १५५ का उत्तर देखिये)

पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला चित्तौड़गढ़ में होने वाले भवन निर्माण कार्य की सूची

क्रम संख्या	कार्य का नाम	एस्टीमेटेड कोस्ट
१.	तहसील भवन बड़ी सादड़ी	६००००
२.	तहसील और उप संभाग अधिकारी बेंगू	१०००००
३.	पुलिस थाना प्रथम श्रेणी कपासन	५००००
४.	बड़ी सादड़ी	५००००
५.	बीजपुर	५००००
६.	सालमगढ़	५००००
७.	गंगरार	५००००
८.	द्वितीय श्रेणी बन्दी गृह चित्तौड़गढ़	७००००
९.	तृतीय श्रेणी बन्दी गृह बेंगू	५००००
१०.	प्रतापगढ़ लोक बन्दी गृह में कोठरियां तथा अमले के मकानात बनाने का तकमीना	१००००
११.	लोक बन्दी गृह छोटी सादड़ी में तरमीमा व तनसीख	२०००
१२.	द्वितीय श्रेणी गृह चित्तौड़गढ़ (बी क्लास बंगला)	४००००
१३.	चित्तौड़गढ़ में पुरानी कचहरी में तरमीन व तनसीख	१००००

परिशिष्ट २

[कृपया प्रश्न संख्या १६२ का उत्तर देखिये]

वेतन सम्बन्धी अध्यापकों की एरियर रकम का विवरण

क्र सं०	नाम अध्यापक	स्कूल	रकम	
१	श्री रणजीतसिंह	प्रा० स्कूल नीम का थाना	१०—	१.४.५३ से ३१.८.५३
२	श्री जगन्नाथ प्रसाद	,, ,, सवाईरामगढ़	१०—	१.४.५३ से ३१.८.५३

१	२	३	४
३	श्री घनश्याम लाल	,, ,, नीम का थाना	८।६।— २३.११.५३ से ७.१२.५३
४	श्री प्रभाती लाल	,, ,, सवाई रामागढ़	१०।— १.४.५३ से ३१.८.५४
५	श्री मुरलीधर	,, ,, नीम का थाना	२२।— १.४.५३ से २८.२.५३
६	श्री दुर्गादास शर्मा	,, ,, ,,	२३।११— जून ४६ से सितंबर ४६
७	श्री जयनारायण शर्मा	,, ,, ,,	१०।— १.७.५२ से १.४.५३
८	श्री प्रभुदयाल शर्मा	,, ,, ,,	१०।— १.७.५२ से १.४.५३
९	श्री बचन सिंह	,, ,, ,,	१७८।१०।— १०.७.५० से ३१.१२.५०
१०	श्री बद्री प्रसाद शर्मा	,, ,, ,,	१७८।१०।— १०.७.५० से ३१.१२.५०
११	श्री लक्ष्मीनारायण	,, ,, ,,	६२।३।— १.१.५३ से ३१.७.५५
१२	श्री सूवालाल मिश्र	,, ,, ठावला	३५।५।— १.४.५३ से ३०.१.५५
१३	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	,, ,, ,,	२६६।— १.५.५३ से ३१.७.५५
१४	श्री कल्याणमल शर्मा	,, ,, बोहार	२०।५।९ २४.७.५१ से ३१.१२.५३
१५	श्री हजारीलाल शर्मा	,, ,, रामपुरा पाटन	१०।— १.४.५३ से ३१.८.५३
१६	श्री कालूराम गुप्त	,, ,, ,,	८।१०।— १.७.५२ से ३०.६.५३
१७	श्री ब्रजमोहन लाल	,, ,, अजमेरी	२२।— २१.११.५३ से ३१.८.५५
१८	श्री भंवरलाल वर्मा	,, ,, किशोरपुरा	३४।१३।— १.४.५३ से ३१.१.५४
१९	श्री रामसहाय शर्मा	,, ,, ,,	२८।— १.४.५३ से ३१.३.५४
२०	श्री गणपतलाल	,, ,, ,,	२२।— १.४.५३ से ३१.३.५४
२१	श्री भैरोंलाल	,, ,, ,,	१४६।०।६ १०.७.५० से ३०.६.५०
२२	श्री नाथूलाल गुप्त	,, ,, ,,	३२।८।६ १.४.५३ से २०.१.५५
२३	श्री बद्री नारायण	,, ,, मावड़ा खुर्द	१।३।६ २५.१२.५४ से ३१.१.५५
२४	श्री भोरीलाल वर्मा	,, ,, छाजाका नांगल	३८।० १.४.५३ से १.७.५५
२५	श्री छाजूसिंह तवर	,, ,, ,,	२१।— २३.४.५२ से २३.७.५५
२६	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	,, ,, जिला	४०४।— १.७.५२ से ३०.६.५५
२७	श्री उम्मेदसिंह	,, ,, मि० टोडा	१४०।— १.२.५५ से ३०.८.५५
२८	श्री लक्ष्मीनारायण	,, ,, ,,	३६।— १.४.५४ से ३१.१०.५५

Page No.88

	१		२	३	४	
२९	श्री बनवारीलाल	,,	,,	,,	४०।२।०	१.४.५३ से ३१.७.५५.
३०	श्री राम प्रतापसिह	,,	,,	,,	५६१।६।—	१.७.५२ से ३१.७.५४
३१	श्री बद्रीलाल	,,	,,	सवाई रामगढ़	२२।०	२.४.५२ से २८.२.५३
३२	श्री सजन सिंह	,,	,,	गोहला	७३।८।६	७.७.५३ से ३०.७.५३
३३	श्री मोहनलाल	,,	,,	,,	१४।—	१.४.५४ से ३०.१०.५४
३४	श्री चोथमल	,,	,,	,,	३८।८।—	१.९.५२ से २८.२.५५
३५	श्री कानाराम कहार	,,	,,	,,	१६०।—	३१.१२.५० से ३१.३.५१
३६	श्री नुवालाल	मा०	स्कूल	गोहाला	१४।—	१.४.५४ से ३०.१०.५४
३७	श्री ब्रह्मदत्त	,,	,,	,,	२२।—	१.९.५२ से ३१.१.५४
३८	श्री माली रामा	,,	,,	,,	१४।—	९.८.५२ से १.१.५३४
३९	श्री जगदीशप्रसाद	प्रा०	,,	रूपगढ़	१२।—	१६.११.५३ से १०.११.५४
४०	श्री मोहनलाल शर्मा	,,	,,	बानूड़ा	१४।—	२२.७. ५२ से ३१.२.५३
४१	श्री नन्दकिशोर शर्मा	,,	,,	,,	२०।—	१.४. ५३ से ३१.१.५४
४२	श्री कुन्दनमल	,,	,,	हीरनाश	१३०।—	१.७.५१ से ३१.८.५५
४३	श्री मूलचन्द शर्मा	,,	,,	रूपगढ़	२४।—	४.८.५२ से ३.·.५४
४४	श्री माधोप्रसाद	,,	,,	डीगपुर	४६।१२।—	१३.४.५३ से ३१.३.५४
४५	श्री मूलचन्द	,,		भारड़ों का बास	७२ —	१.४.५० से १.५.५३
४६	श्री रूड़मल शर्मा	,,	,,	टींगपुर	८८।११।—	१०.५.५० से ३०.६.५०
४७	श्री गोपीनाथ	,,	,,	,,	१०'–	१.४.५३ से ३१.१.५४
४८	श्री राधेश्याम शर्मा	,,	,,	गढ़टकनेथ	२७।–	१६.१०.५२ से १८.१०.५४
४९	श्री बांकेबिहारी	,,	,,	भादवाड़ी	२८।—	१. ४.५३ से ३१.८.५५
५०	श्री शंकरलाल स्वामी	,,	,,		१३५।८।—	१.४.५३ से ३१.५.५५
५१	श्री प्रभुदयाल शर्मा	,,	,,		१७।२	१५.१०.५२ से ३०.६.५४
५२	श्री सूरजमल शर्मा	,,		हाथीदत्त	८३।२'—	१.७.४६ से ३१.१.५४
५३	श्री भूरामल वर्मा	,,	,,	,,	३७।१२।६	१. १. ५२ से ३१. १.५४
५४	श्री प्रभातीलाल सैनिक	,,	,,	आशपुरा	१७९।१४।	१.७.५३ से ३१.३.५५

१	२	३	४
५५	श्री मदनलाल पारीक	,, ,, ,,	११८।५ – १. १.५३ से ३० ६. ५५
५६	श्री भवरीलाल	,, ,, ,,	३९ – १. १०.४८ से ३१. १. ५४
५७	श्री भैरू लाल	,, मलिकपुर ,,	४९।४।– १. १०.४८ से ३१. १. ५४
५८	श्री बद्रीनारायण	,, भारणी ,,	४८।० १. ५. ५३ से ३०. ६. ५५
५९	श्री प्रभुदयाल कटारिया	,, हौद ,,	२४।– २१.७. ५२ से ३१. ३. ५४
६०	श्री भागीरथसिंह	,, ,, गोविन्दपुरा	१२। १.४. ५४ से ३१. ३. ५५
६१	श्री गोर्वधनलाल गुप्त	,, ,, मनू	२२६।११।– १. ४.५० से ३०. ६. ५५
६२	श्री भूरामल शर्मा	,, ,,	८६।८।– १. ७.५२ से ३१. ८. ५५
६३	श्री लादूराम वर्मा	,, ,, ,,	१०।१२।६ १. २.४७ से ३१. ७. ४६
६४	श्री चतरसिंह वर्मा	,, ,, ,,	९।११।– १. ४.५३ से ३१. १. ५४
६५	श्री हनुमानसहाय	,, ,,भाम्रावास	१६।।— १. ४.५३ से ३१. ७. ५४
६६	श्री राधाकृष्ण शर्मा	,, ,, ,,	१६।— १. ४.५३ से ३१. ७. ५४
६७	श्री राधेश्याम	,, गोकुलकाबास	१२३।— १. ७.५१ से ३१ ८. ५५
६८	श्री राधेश्याम पारीक	,, ,,	२४।— १. ७.५२ से ३१. १. ५४
६९	श्री शिवदत्त शर्मा	,, ,, लालणी	१५८।११।— १. ७.५२ से ३०. ७. ५५
७०	श्री कल्याणदत्त	,, ,, ठिकरियां	३२।— २३.७.५२ से २२. ७. ५३
७१.	श्री नन्दकिशोर लाटा	प्रा० स्कूल ठिकरिया	१२।— २८. ९. ५४ से २८. ६. ५५
७२.	श्री भगवान सहाय	,, ,, नाथूसर	३०।— १. ४. ५२ से ३१. ८. ५५
७३.	श्री रामाअवतार शर्मा	,, ,, ,,	२४।— १. ८. ५२ से ३१. १. ५४
७४.	श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा	,, ,, ,,	१४।६ २६. ९. ५४ से ११. ५. ५५
७५.	श्री अर्जुनलाल	,, ,, रामपुरा	९।।६ १. १. ५१ से ३१. ८. ५५
७६.	श्री बिहारीलाल शर्मा	,, ,, ,,	१००।८।— १. ४. ५२ से ३१. ८. ५५
७७.	श्री मनोहरलाल	,, ,, गुटा	२४५।— १०. ७. ५१ से १०. ८. ५५
७८.	श्री राजराम प्रनामी	,, ,, ,,	२०।— १. ४. ५३ से ३१. १. ५४
७९.	श्री किशोरीलाल शर्मा	,, ,, कोटड़ी	१२।— १. ७. ५३ से ३१. १२. ५४
८०.	श्री बनवारीलाल शर्मा	,, ,, ,,	१२।— १. ४. ५३ से ३१. १०. ५४

Page No.90

१	२	३		४
८१. श्री मदनलाल शर्मा	,, ,;	श्रीमाधोपुर	१०७।११।—	१. ६. ५४ से ३१. ७. ५५
८२. श्री मांगीलाल शर्मा	,, ,,	,,	३०।—	१. ४. ५३ से ३१. ७. ५५
८३. श्री बद्रीनारायण शर्मा	,, ,,	,,	३८।११।—	१. ७. ४७ से ३१. ८. ५५
८४. श्री गजानन्द गुप्त	,, ,,	,,	३०।—	१. ४. ५३ से ३१. ८. ५५
८५. श्री बंसीधर गुप्त	,, ,,	,,	६७।—	१. ४. ५३ से ३१. ८. ५५
८६. श्री जगदीश नारायण गुप्त	,, ,,	माद्रो	३२।—	१. ४. ५३ से ३१. ५ ५४
८७. श्री कितलाल वर्मा	,, ,,	,,	र्म ६५।—	१. ८. ५३ से ३१. १. ५४
८८. श्री दुर्गाप्रसाद	,, ,,	,,	१६।—	१. ८. ५२ से ३१. ८. ५४
८९. श्री मिलापचन्द जैन,	,, ,,	,,	५।—	१.१०.५३ से ३१. १. ५४
९०. श्री प्रभाता शरण	,, ,,	,,	२७।—	१. ४. ५३ से ३१. ८. ५५
९१. श्री जमनालाल स्वामी	,, ,,	गोविंदपुरा	२६।६।—	१.१०.५१ से २८. २. ५२
९२. श्री चौथमल शर्मा	,, ,,	भूदौली	४४।५	१. २. ४६ से ३०. ४. ४६
९३. श्री भूरामल यादव	,, ,,	हासामपुर	३७।२	१. ७. ५२ से २०. ७. ५३
९४. श्री सुखलाल यादव	,, ,,	,,	२११।—	२६. २. ५१ से २५. २. ५३
९५. श्री बनवारीलाल शर्मा	,, ,,	,,	१२।१०।—	२६. १. ५४ से २८. २. ५४
९६. श्री अमरनाथ स्वामी	,, ,,	,,	५१।१४।—	जुलाई ५० से
९७. श्री सुवालाल कुम्भावत	,, ,,	,,	१७।४।—	२५. ७. ५२ से २४. ६. ५४
९८. श्री नारायणसिंह	,, ,,	भूदोली	१३३३।५।३	१९. २. ५१ से ३०. ६. ५५
९९. श्री बनवारीलाल परनामी	,, ,,	,,	४४।—	३१. ७. ५२ से ३०. ६. ५३
१००. श्री चरन्जीलाल शर्मा	,, ,,	,,	६।५।—	१. ७. ४९ से १. ८. ५४
१०१. श्री सागरमल सेन	,, ,,	,,	१८।१५।—	मार्च ५३
१०२. श्री भंवरलाल शर्मा	,, ,,	,,	५५।७।—	२९. ४. ४९ से २१. ५. ४९
१०३. श्री भंवरलाल दधीच	,, ,,	,,	२५।१०	१. ४. ५३ से ३०. ८. ५३
१०४. श्री मुरलीधर शर्मा	,, ,,	,,	८८।१२।—	८.१०. ५२ से ३०. १०. ५२
१०५. श्री भंवरीलाल	,, ,,	थाई	८।८।—	१०. ८. ५३ से १४. ८. ५३
१०६. श्री नथमल ठठा	हाई स्कूल	खेडला	६०।८।—	१. ५. ४५ से ६. ९. ५४

१	२	३	४
१०७ श्री सूर्यनारायण शर्मा	,, ,, ,,	५१।—	१. ७. ४६. से ३०. ६. ५०
१०८ श्री मदनमोहन	हाई स्कूल खंडेला	४०।१०।—	२१.१०.५३ से २१.१२.५३
१०९ श्री हजारीलाल गुप्त	मा० स्कूल रायपुरा जागीर	६७।—	१. ७.४५ से ३१. ७.५५
११० श्री गोपीराम	,, ,,	३०।११।३	२६.११.४६ से ३१. ५.४६
१११ श्री रामसहाय	प्राइ० मठासूरेरा	१०।—	१. ४.५३ से १. १.५४
११२ श्री मोतीलाल शर्मा	हाई ,, कांवट	१०।—	१.४. ५३ से ३०. ८.५३
११३ श्री रूड़मल शर्मा	प्रा० स्कूल हिंगपुर	८८।११।—	१०.५. ५० से ३०. ६.५०
११४ श्री चिरंजीलाल शास्त्री	,, हि०मि० धाई	१०६।४।—	१.९. ४८ से ३०. ६.४९
११५ श्री गजानन्द गुप्त	हि० मि० अजीतगढ़	२५।	१.६. ५३ से १. १.५४
११६ श्री बलदेवदास स्वामी	हि० मि० पलसाना	३६।—	१.४. ५४ से ३१.३.५३
११७ श्री मेदारामा	,, ,, ,,	१०।—	१.४. ५३ से ३१.१.५४
११८ श्री बालूसिंह आर्य	,, बांय ,,	५२२।८।—	६.४. ५० से २८.२.५५
११९ श्री ज्ञानेन्द्रनाथ	,, रायपुरा जागीर	२०२।—	२४.१२.५४ से २.२.५५
१२० श्री बन्सीधर पारीख	,, बाय	१०।२।—	१२. ३.५५ से २६.३.५५
१२१ श्री श्रवणलाल शर्मा	प्रा० स्कूल नांगल	१५।—	१. ४.५३ से ३१.७.५२
१२२ श्री जमन सिंह	,, ,, ,,	८।१०।	७. ८.५२ से ३१.३.५३
१२३ श्री विद्याधर	प्रा० स्कूल महरोली	२०।०।०	२८.७.५२ से २०.८.५३
१२४ श्री लालचन्द	प्रा० स्कूल दीनजा	२०।४।—	१६.७.५२ से ३१.७.५२

परिशिष्ट ३

(सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

१. (२१।आर एम) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए. (८७)—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क. ग्राम मरोगला तहसील, सरवाड़ के कितने किसानों की कितनी काश्त की भूमि पानी में डूब गई है ?

ख. उक्त किसानों में किस २ के पास डूबी हुई भूमि के अलावा भी कितनी २ काश्त की भूमि है ?

ग. काश्त की भूमि के डूबने से गांव वालों की काश्त का कितना नुकसान हुआ है ?

घ. क्या यह भी सही है कि उक्त गांव के किसानों के रहने के मकान मी पानी में डूब गये हैं ?

ङ. यदि हां, तो किस २ किसान की मकान डूबने से क्या २ क्षति हुई है ?

च. मरोगला ग्राम के किसानों को जमीन व मकान डूबने का क्या कोई मावजा दिया गया है ?

छ. यदि हां, तो कब और कितना ?

ज. क्या उक्त ग्रामवासियों को सहायतार्थ कोई रकम सरकार द्वारा दी गई है ?

झ. यदि हां, तो कब और कितनी ?

उत्तर

क, इसका सेटेट्मेंट एपेन्डिक्स 'ए' संलग्न है ।

ख. इसका स्टेटमेंट ऐपेन्डिक्स 'ब' में संलग्न है ।

ग.	बण	तिल	मक्की	जवार	योग
	२५) रु.	७४रु.१२पा.१	१२।१	११।२	१२३।४
कपास	३७॥)	३७) ६	२४॥)	५॥) ७	१६१५॥)
	६३७॥)	७४८)	१६६)	३४)	

रुपयों का माल रिफाल की दीगर खेतों की पैदावार को देखते हुये, अगर फसल पैदा होती तो होता और इस आराजी में से ६३॥ आराजी हर साल बंध में पानी भरने डूबती है। जिसका पहले भी कोई नुक्सान नहीं दिखाया गया ।

घ. उक्त गांव के किसानों के मकान रहने के पानी से नहीं डूबे है ।

ङ. मकानात डूबने से कोई क्षति नहीं हुई ।

Page No.93

च. कोई क्षति न होने से मुआवजा नहीं दिया गया।

छ. जी नहीं।

ज. उक्त ग्रामवासियों को सहायतार्थ रकम सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

झ. जी नहीं।

नक्शा ग्राम मरोगला तालाब मदन सरोवर से पानी में फसल डूब गई जिसका सो० २०१२ खरीफ

क्रमांक	नाम आसामी	खसरा नंबर	किस्म जमीन	रकबा	जिन्स	विवरण
१	कल्याण व हीरा बख्तावर नाथू १०S	१०७	चा० ११।४ चा० डा०	१।।।) ,,	बण	खातेदारी
		१०८	चा० ११।३ चा० डो० S२	१।।)	बण	खातेदारी
	हुक्मा जाट सा० देह	११०	चा० ११।) चा० S१	१।)१	बण	खातेदारी
		१४६	चा० II	१)	तिल	खातेदारी पहले भी पानी में डूब रहता था—
		६२/२६३	नहरी II	१।।।)१	बण	खातेदारी
		११/३०२	गै० मु ता: II	२।)१	तिल	बिलानाम पहले भी पानी में डूब रहता था—
		११/३०४	गै० मु ता: II	२।।)२	तिल	बिलानाम पहले भी पानी में डूब रहता था—

१	२	३	४	५	६	७
२	कल्याण व हीरा पि: बरकाबर १/४ नाथू वल्द हुक्मा १/४ माधू व रोडू पि० धूला जाट सा० देह	१४८	बंजर II	१)	तिल	खातेदारी पहले पी पानी में डूब रहता था—
३	माधू व रोड़ा पि: धूला जाट सा०देह दि० बराबर	१४३	चा० II ६)४ चा० डो० ॥४	७)३	तिल १/२ मक्की १/२	खातेदारी पहले भी पानी में डूब रहता था-
		१४/३१३	गै० मु० ता: १	४)	तिल १/२ जवार १/२	बिलानाम पहले भी पानी में डूब रहताथा—
		७७/३२०	नाड़ा II	१॥)	बणि	खातेदारी
४	रामचन्द्र कल्ला पि: छीतर जाट	६	गै० मु० ता: II	१३)	तिल	बिलानाम पहले भी पानी में डूब रहता था—
		१३२	चाडी	॥।३	जवार	खातेदारी ब० स० सदर
		१३३	चाडी	१)१	बणि	खातेदारी
		१३४	चाडी	१)	जवार	खातेदारी पहले भी पानी में डूब रहता था—
		१३५	चाडी	।)१	बणि	खातेदारी
५	हीरा डा० रामनाथ जाट सा० देह	१०४	न० III १)१ न० डो० ।)	१।)१	बणि	खातेदारी

१	२	३	३	५	६	७
		११/३१२	गै० ता: १	३॥)१	तिल	विलानाम पहले भी पानी में डूब रहता था—
६	गनेश डा० गंगाराम	३५	चा० १	१॥३	बण	खातेदारी
	दरोगा सा० देह	८/३०६	गै० मु० ता: १	३)१	तिल	बिलानाम पहले भी पानी में डूब रहता था—
		१५/३०८	ता: १	२।)१	तिल	विलानाम ब० सदर
		१४/३०९	ता: १	॥)४	तिल	विलानाम ब० सदर
७	छीटू दरोगा	३३	चा० १२॥२ डो०ऽ १	२॥३	मकी	खातेदारी
		१६	ता: II	२॥)	तिल	विलानाम पहले भी पानी में डूब रहता था—
		१६/३०७	ता: १	३।४	तिल	विलानाम ब—सदर
		१५	ता: II	१॥)	तिल	विलानाम ब—सदर
		१४/३१०	ता: II	॥३	तिल	विलानाम ब—सदर
		१४/३११	ता: १	॥)३	तिल	विलानाम ब-सदर
८	मांगू वल्द भूरा नाई० सा० फतहगढ़	८६	न I-II	१॥)१	मकी बण १)	खातेदारी
९	घीसा डा० रुपा	५१	चा० १	५)	बण १) तिल ४)	खातेदारी

१	२	३	४	५	६	७
	नायक सा० देह	५५	चा० III	४)	जवार तिल	खातेदारी
१०	बीजा वल्द मोडू	३८/३५४	चा० II	१।२	बण	खातेदारी
	व बिहारी बल्द रामधन वड़वा सा० देह हि० ब०	३८/३५३	चा० II	१।।१	बण	खातेदारी
		३८/३५०	चा० II	।।)१	बण	खातेदारी
		३८/३५२	चा० II	१)	बण	खातेदारी
		६२	न० प०	१।।)	जवार	खातेदारी
११	मु: रसाल बेवा जेतसिंह राजपूत	१०६	न II १।।३ डो ४।)	१।।)४	बण	खातेदारी
		११२	चा० १२।३ डो० ४।)४	१)४	बण	खातेदारी
१२	माफी मंदिर श्री गोपालजी महाराज	६०	नहरी III	३।।)	मकी	माफी पुन्यार्थ
१३	लाला रावत	१८०	२।।) बंजर १।) जवार	२।।)	तिल	विलानाम
१४	बीजराज डा० मोडू राम भाट	१/२	बंजर II	१।।)	तिल मकी	विलानाम
		१/१	बंजर II	२)	जवार	विलानाम
		१३	गै० मु० ता: १	३।।)	तिल	विलानाम
१५	बिहारी डा० रामधन भाट सा देह	१/३	बंजर II	१।।)	बण	विलानाम
		१२/३०५	गै०मु० ता० १	४)	तिल	विला नाम पहले ही पानी में डूब था—
१६	बालू डा० गिरधारी भाट सा० देह	१/४	बंजर II	४)	तिल	विलानाम
		१३	गै०मु० ता० II	३।।)	तिल	विला नाम पहले भी पानी में डूब था—
१७	भूरा दरोगा सा देह	६	गै० मु० ता० १	४)	तिल	विला नाम
१८	जेटू डा० गिरधारी भाट सा देह	६	गै० मु० ता: १	३)	तिल	विला नाम पहले भी पानी में डूब था—

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ सं०	लाईन सं०	अशुद्ध	शुद्ध
विषय सूची	२	नियामक	नियमन
१०३७	शीषक	राजष्थान	राजस्थान
१०४०	शीर्षक	राजस्थन	राजस्थान
१०४१	शीर्षक	राजस्थन	राजस्थान